राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] पंचम विधान सभा के दसम् सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

बुधवार,

7 जनवरी, 1976.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, वित्त, आयुर्वेद, कृषि, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, सहकारिता, स्वायत्त शासन, जन सम्पर्क, समाज कल्याण एवं खनिज विभाग]

नगरपालिका झुन्झुनूं के सेवामुक्त कर्मचारी

24. **श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं):** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं नगरपालिका के कितने कर्मचारियों को सन् 1974-75 एवं 1975-76 में राज्य सरकार द्वारा सेवा मुक्त किया गया ?

(2) क्या यह सेवा मुक्ति न तो अनिवार्य सेवा मुक्ति है तथा न उन्हें सेवा मुक्ति के नोटिस में कोई कारण ही बताया गया है ?

(3) इन सेवा मुक्त कर्मचारियों की कितने कितने वर्ष की सेवायें थीं ?

(4) क्या यह सही है कि यह सेवा मुक्ति आदेश नगरपालिका झुन्झुनूं के प्रशासक की बिना राय एवं सिफारिश के ही किये गये हैं तथा भारी संख्या में कर्मचारियों की सेवा मुक्ति के कारण नगरपालिका के साधारण कार्य संचालन में भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) झुन्झुनूं नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी को सन् 1974-75 एवं 75-76 में राज्य सरकार द्वारा सेवा मुक्त नहीं किया गया है।

(2) भाग (1) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) भाग (1) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) राज्य सरकार ने किसी भी कर्मचारी को सेवा मुक्ति के आदेश नहीं दिये। अतः प्रशासक की सिफारिश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। नगरपालिका का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मन्त्री महोदय

Page No 2

(2)

(श्रीमती सुमित्रासिंह)
सदन में गलत जवाब कैसे दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनू नगरपालिका ने 15 कर्मचारियों को सेवा मुक्ति के नोटिसेज दिये हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलत जवाब नहीं दिया है। मेरे पास जो जानकारी है उसी के अनुसार बता रहा हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : हो सकता है नोटिसेज वापिस ले लिये हों।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : इनके पास यही जानकारी होगी।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, या तो मन्त्री महोदय मेरी चुनौती स्वीकार करें या यहां पर सदन में आश्वासन दें कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। यह इनके पास कौनसी तारीख तक की सूचना है? अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को बाध्य करें कि वह सही सूचना दें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई और श्रीमती सुमित्रासिंह के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जवाब दिया है वह सही है। झुन्झुनू नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी को राज्य सरकार ने सेवा मुक्त नहीं किया है।

श्री दलपतसिंह (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जो सूचना दे रहे हैं वह कौनसी तारीख तक की है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना है वह आज की तारीख तक की है। और उसके अनुसार झुन्झुनू नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा सेवा मुक्त नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केसरीमल।

ब्यावर में पेय जल की व्यवस्था

25. **श्री केसरीमल (ब्यावर)** : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में पेय जल हेतु बनास योजना स्वीकार की गई है? यदि हां, तो यह योजना कब स्वीकार की गई?

(2) उक्त योजना पर पंचम् पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितने रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया था? तथा इस अवधि में कितना पैसा खर्च किया गया? यदि नहीं तो क्यों?

(3) अब राज्य सरकार उक्त योजना पर कब से काम शुरू करा रही है?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) अजमेर, ब्यावर एवं किशनगढ़ की पुनर्गठन जल प्रदाय योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 29-9-75 को दी गई।

(2) पंचम् पंच-वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में उक्त योजना के लिए राशि आवंटित

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)
नहीं की गई थी। क्योंकि योजना को तब तक स्वीकृत नहीं किया गया था।

(3) योजना पर इस वित्तीय वर्ष में 10.00 लाख रुपये खर्च किये जावेंगे। काम प्रारम्भ किया जा रहा है।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, जब पंचम पंच-वर्षीय योजना में कुछ राशि खर्च करने का प्रावधान बनास योजना के लिए रखा गया था वह खर्च क्यों नहीं की गयी इसके क्या कारण हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जिस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति ही दिनांक 29-9-75 को की गयी है तो उसके पहले उस योजना पर खर्च किस प्रकार हो सकता है ?

प्रश्न संख्या 26

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रघुनाथ बिश्नोई।

(प्रश्नोतर के लिए कृपया स्कम्भ 53 देखिये)

(आयुर्वेद मंत्री की अनुपस्थिति के कारण नहीं पूछा गया)

(तारांकित प्रश्नोत्तर सं. 26 के लिए कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट : श्री कर्णसिंह।

ग्राम सभाओं का नगरपालिका में परिवर्तन

27. **श्री करनसिंह (डीग)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--(1) भरतपुर जिले में दो वर्ष की अवधि में कितनी ग्राम सभाओं को नगरपालिकाओं में परिवर्तित किया और उनकी जन संख्या क्या क्या थी ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सभा, नगर, जिसकी जन संख्या उन ग्राम सभाओं से अधिक है जो ग्राम सभाएं नगरपालिकाओं में परिवर्तित की हैं ? यदि हां, तो ग्रामसभा, नगर, जिला भरतपुर को क्यों नहीं नगरपालिका में परिवर्तित किया गया ?

(3) ग्राम सभा, नगर, यदि सभी दृष्टि से नगरपालिका होने के योग्य है तो इसको अब कब तक नगरपालिका घोषित कर दिया जावेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री राम नारायण चौधरी) : (1) भरतपुर जिले में दो वर्ष की अवधि में तीन ग्राम पंचायतों को नगरपालिका में परिवर्तित किया गया है।

1) भुसावर

2) कुम्हेर

3) नगर

इन तीन कस्बों की जन संख्या 1971 की जन गणना के आधार पर आठ हजार से अधिक थी।

(2) जी नहीं।

कस्बा नगर को भी नगरपालिका में दिनांक 17-12-75 को परिवर्तित कर दिया गया है।

(3) इसका उत्तर भाग दो में शामिल है।

श्री करनसिंह : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि भुसावर को नगरपालिका में कब परिवर्तित किया गया और नगर को कब किया गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : नगर को 17-12-75 को नगरपालिका में परिवर्तित किया गया है।

श्री करनसिंह : भुसावर को कब किया गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : भुसावर को कब किया गया इसकी तारीख मेरे पास अभी नहीं है।

श्री करनसिंह : नगर को अभी हाल ही में किया गया और उसको 6-7 महीने पहले क्यों किया गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि नगर को अभी हाल ही में नगरपालिका बनाया गया है इसका कारण यह हो सकता है कि जो आवश्यक प्रक्रियायें होती हैं जिनके माध्यम से नगरपालिका बनायी जाती है वह पूरी नहीं हुई होंगी। बाकी नगर को नगरपालिका बनाने में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस लिस्ट में रूपवास का नाम क्यों नहीं है ? आबादी के अनुसार तो रूपवास की आबादी ज्यादा है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अलग से सवाल है इसकी सूचना मेरे पास अभी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय (श्री मोहनलाल छंगाणी के आने पर) आयुर्वेद मन्त्रीजी आ गये हैं।

प्रश्न संख्या 28

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 29

श्री हनुमान सहाय व्यास।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 30

श्री भीमसेन चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 31

श्री मूलचन्द सामरिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

सवाई माधोपुर सीमेण्ट फैक्ट्री

32. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के बन्द हो जाने से कितने मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की उक्त फैक्ट्री के प्रबन्ध मन्डल में लगभग 10 लाख रुपये से भी अधिक की राशि बकाया है ? यदि नहीं, तो कितनी, और राज्य सरकार के पास इसकी क्या सिक्योरिटी है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त सीमेंट फैक्ट्री को और अधिक धनराशि अग्रिम देने पर विचार कर रही है ?

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त फैक्ट्री को अपने अधीनस्थ लेने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) सवाई माधोपुर फैक्ट्री के बन्द हो जाने से 4,112 मजदूर बेरोजगार हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के दो, तीन और चार भाग उद्योग विभाग से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए उनके बारे में उद्योग मन्त्री जी जवाब देंगे। क्योंकि इनका श्रम विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, यह क्या व्यवस्था है कि प्रश्न के जवाब के लिये दूसरे मन्त्रियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है और हमें इसकी जानकारी तक नहीं होती है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, बाकी के प्रश्नों का संबंध उद्योग विभाग से है। वह उनके पास जाना चाहिये था मेरे पास तो उसकी जानकारी नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मन्त्री महोदय का जवाब तलब किया जाना चाहिये। यह बहुत ही गम्भीर मामला है, क्योंकि आज हजारों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। बहुत ही संगीन मामला है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को सदन को जानकारी देनी चाहिये, क्योंकि आज पांच हजार से भी ज्यादा मजदूर बेरोजगार बैठे हुए हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात है कि मन्त्री महोदय यह कह दें कि मेरी जानकारी में नहीं है। He should inform the House properly.

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की जानकारी में है और वह कार्यवाही भी कर रहे हैं। इनको चाहिये कि सदन को इन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी जानकारी दें। क्योंकि 6 हजार मजदूर बेकार बैठे हैं और एक एक मजदूर के पीछे पांच बच्चे वगैरह ही हों तो करीब तीस हजार लोग आज मौत के मुंह में हैं। 6 महीने से भी अधिक समय हो गया है। इनके लेबर डिपार्टमेंट ने जो भी प्रयत्न किये हैं वह सदन को अवगत करादें तो हमें भी पता लग जाय कि क्या हो रहा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। जो भी जानकारी मुझे थी वह बता दी, फैक्ट्री कब चालू होगी यह मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। अच्छा तो यह रहेगा कि माननीय सदस्य सम्बन्धित मन्त्री महोदय से सूचना चाहेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री विजयसिंह राठौड़।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मसला है। हम जानते है कि मन्त्री जी कुछ कर रहे हैं यह जो भी इन्होंने किया है वह सदन को बतावें बहुत ही अहम मसला है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप भी केबीनेट के मन्त्री हैं, लेबर मिनिस्टर हैं,

Page No 6

(6)

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
आपको भी लेबर के हितों की रक्षा के लिए जानकारी रखनी चाहिये। आपने अभी तक क्या किया वह बता दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : श्रम विभाग लेबर के लिये क्या कर रहा है। यह बता दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह श्रम विभाग की बात नहीं है। उद्योग विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : यह श्रम विभाग का सवाल नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, सदन बहुत ही चिन्तित है क्योंकि पांच हजार मजदूरों की बेकारी का सवाल है और यह श्रम मन्त्री हैं इनको भी चिन्ता होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी चिन्ता से यह भी चिन्तित हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जिस बेरोजगारी को इन्होंने तस्लीम फरमाया है उसके बारे में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है उस फैक्ट्री के खिलाफ और उनको जो अब तक 6 महीनों की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं तो राज्य सरकार उनको क्या रिलीफ दे रही है ?

वह आंकड़े गलत टाइप हो गये 10 करोड़ के बजाय 10 लाख वह गलती हो गई सो हो गई, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चार हजार मजदूर बेकार हो गये हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं और उस फैक्ट्री के खिलाफ इस बेकारी के सिलसिले में क्या कदम उठाये गये हैं ? उनको जो 6 महीनों की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं तो क्या राज्य सरकार ने अपने श्रम विभाग के द्वारा उनको मजबूर किया है कि उनको तनख्वाहें दे दें ?

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उन श्रमिकों को कब से वेतन नहीं मिला है क्या माननीय मंत्रीजी उस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जुलाई, 1975 से उनको तनख्वाहें नहीं मिली है। काम ठप्प पड़ा है इसलिए अब तनख्वाहें नहीं मिल रही है तो ई. एस. आई., एल. आई. सी. और सी. बी. एस. के डिडक्शन्स तनख्वाहों से नहीं मिल रहे हैं।

श्री केशरी मल (ब्यावर) : यह गलत बात है। इससे पहले का पैसा काटा है वह भी नहीं दिया गया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इनका पैसा बकाया है उनकी सब कार्यवाही चल रही है। मुकदमे हो गये हैं। वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। पेमेन्ट बन्द कर दिया तो डिडक्शन्स भी बन्द कर दिये, और अब स्थिति यह है कि हम क्या करें ? लेबर डिपार्टमेंट द्वारा पेमेंट आफ वेजेज एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय तो पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट के नीचे नवम्बर तक कुल 500 तक के पावर्स थे और उसके ऊपर तनख्वाह वाले पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट के तहत नहीं आते थे। उनका क्लेम नहीं

[redacted]

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
मांग सकते थे। वह नवम्बर में एमेंडमेंट हुआ है 500 से हजार कर दिया है तो एक हजार का करने के बाद क्लेम फाइल कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं। कब फैक्ट्री चालू होगी यह मालूम नहीं। श्रम विभाग से इतना ही सम्बन्ध है इसलिए इतना ही उत्तर दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया से नवम्बर में एमेंडमेंट हुआ तो आपका श्रम विभाग इतने अर्से तक क्या करता रहा उसको स्पष्ट तौर से आप फरमाने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : नवम्बर और दिसम्बर तक जितने क्लेम थे वह ले लिये हैं उनकी कार्यवाही चल रही है। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जितना भी श्रम विभाग कर सकेगा करेगा। जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है यह बात सही है कि यह बड़ा कारखाना है इसलिए राज्य सरकार के तहत नहीं है और इन्डस्ट्रियल रेग्युलेशन एक्ट के तहत सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। जो भी कार्यवाही करनी थी राज्य सरकार ने करके भेज दी है। आपको जितने डिटेल्स चाहिए उनका इस विभाग से सम्बन्ध नहीं है। उनके लिए आपको दूसरे मंत्री महोदय और दूसरे विभाग से पूछना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : क्या इन क्लेम्स को निपटा दिया ?

श्री अध्यक्ष : श्री विजय सिंह।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय अध्यक्ष यह जरूरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : क्लेम आपके पास सैटल कब तक हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ओक्जीलियरी हैल्थ वर्कर्स व सेनेट्री इन्सपेक्टर्स को हैल्थ एज्यूकेशन का जॉब

33. **श्री विजय सिंह** (मांडल) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ऑक्जीलियरी हैल्थ वर्कर व सेनेट्री इन्सपेक्टर को डिप्लोमा इन हैल्थ एज्यूकेशन कोर्स पास करने के बाद भी हैल्थ एज्यूकेशन का जॉब नहीं दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि डिप्लोमा इन हैल्थ एज्यूकेशन पास ए. एच. डब्लू. व सेनेट्री इन्सपेक्टर्स को परिवार नियोजन में भी प्रसार शिक्षा के कार्य के लिए नहीं लगाया गया है जब कि डिप्लोमा इन हैल्थ एज्यूकेशन पास ए.एच.डब्यू.व एस. आई. प्रसार शिक्षा के लिए विशेष तौर से प्रशिक्षित हैं तथा उनको दस साल से ज्यादा जनस्वास्थ्य व स्वास्थ्य शिक्षा का अनुभव भी है ?

(3) यदि यह सही है तो क्या सरकार कभी इन व्यक्तियों को इनकी योग्यतानुसार कार्य में लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री विजय सिंह)

(4) क्या यह सही है कि विभाग के बाहर के ऐसे व्यक्तियों को जिनको हैल्थ एज्यूकेशन का कतई ज्ञान नहीं है उक्त कार्य में लगाया गया है ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (श्रीमती कमला) : (1) हैल्थ एज्यूकेटर के पद के लिए राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार 25 पर्सेन्ट सीधी भर्ती से व 75 पर्सेन्ट पदोन्नति से भरे जाते हैं। सीधी भर्ती के लिए सोशियोलाजी में बी.ए. होना आवश्यक है व पदोन्नति ऑक्जीलियरी हैल्थ वर्कर, सेनेट्री इन्सपेक्टर व न्यूट्रीशन इन्सपेक्टर के पद से होती है व इस पद पर पांच वर्ष कार्य करना आवश्यक है। इसके लिए डिप्लोमा इन हैल्थ एज्यूकेशन आवश्यक नहीं है, व इस आधार पर कि डिप्लोमा प्राप्त किया है, नियुक्ति नहीं की जा सकती बल्कि उक्त मापदण्ड के आधार पर होती है।

(2) जी नहीं। परिवार नियोजन में कार्यरत ब्लाक एक्सटेन्शन एज्यूकेटर का पद पदोन्नति या सीधी भरती से भरा जाता है। पदोन्नति 25 पर्सेन्ट पदों के लिए है जिस पर हैल्थ असिस्टेन्ट, फील्ड वर्कर, वेलफेयर वर्कर व विलेज वर्कर की 6 वर्ष के कार्य के अनुभव प्राप्त करने पर वरिष्ठता क्रम के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है। शेष 75 पर्सेन्ट सीधी भर्ती से भरे जाते हैं जिसके लिए स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ कम्युनिटी अथवा सामाजिक कार्य का अनुभव आवश्यक है। पदोन्नति या सीधी भर्ती दोनों के लिए हैल्थ एज्यूकेशन डिप्लोमा होना आवश्यक नहीं है, ऐसी स्थिति में इस पद पर डिप्लोमा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक कि उपरोक्त मापदण्ड को पूरा नहीं किया जाता।

(3) पदोन्नति के लिए निर्धारित नियमों की यदि कोई पूर्ति करेगा तो उस व्यक्ति को पदोन्नत कर दिया जावेगा।

(4) इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भाग में इन्होंने कहा है कि बी. ए. सोशियोलाजी होना जरूरी है, लेकिन आपके डिपार्टमेन्ट में ऑक्जीलियरी हैल्थ वर्कर, सेनेट्री इन्सपेक्टर है उनमें से 75 पर्सेन्ट आफ दी टोटल आफ दी रिक्रूटमेंट के प्रोमोशन की बात आप करते हैं लेकिन 75 पर्सेन्ट के बजाय एक पर्सेंट भी उनमे नहीं लिया गया है और वहां पर जबकि एम. ए. इन सोशियोलॉजी तक मौजूद है और उसके साथ साथ उन्होंने दूसरा डिप्लोमा, हैल्थ एज्यूकेशन का डिप्लोमा किया हुआ है। मैं नहीं कहता हूं आप अपने डिपार्टमेंट में देखें कि उन्होंने हैल्थ एज्यूकेशन का डिप्लोमा कर रखा है उसके बावजूद नहीं किया गया है। ऐसे हार्ड केसेज हैं और आप मना कर रहे हैं कि किसी को नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ ऐसे-ऐसे लोगों को ले लिया है जिनके पास हैल्थ-एज्यूकेशन का डिप्लोमा भी नहीं है और न वह सोशियोलोजी में बी. ए. और एम. ए. हैं। उनको डाइरेक्टली कैसे ले लिया ?

श्रीमती कमला : मैंने आपको भाग (4) में निवेदन किया है कि इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई स्पेसि-

(श्रीमती कमला)

फिक केस आप बतायेंगे कि पर्टीक्यूलर व्यक्ति डिपार्टमेंट के बाहर का है और क्वालिफाई नहीं करता है फिर भी ले लिया है। वह बेसिक क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करता है उसके बावजूद भी उसको ले लिया गया है तो उसकी जांच करवा कर जरूर निवेदन करूंगी।

श्री विजयसिंह : यह तो गलती ही मेरी हुई है कि मैंने आपको बता दिया कि मुझे नाम मालूम नहीं है इसलिए आप यह फर्मा रही हैं कि मैं बताऊं।

श्रीमती कमला : आप नहीं बताते तो भी मैं जरूर पूछती क्योंकि उसकी मेरे को जानकारी नहीं है।

श्री विजयसिंह : लेकिन मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कई आदमी ऐसे ले लिये हैं जिनकी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन उसकी जानकारी आपको विभाग से मिलनी चाहिए। मैं तो यह जानना चाहता था और सदन को यह अवगत कराना चाहता था ऐसे आदमी चूंकि प्रमोशन से आ सकते थे इसलिए उनको इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया था। अगर वे प्रोमोशन के काबिल नहीं होते तो इन्टरव्यू के लिए नहीं बुलाये जाते। उनको तो नहीं लिया जाता है और ऐसे आदमियों को लिया जाता है जो कि क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं। वह जानकारी आपको होना चाहिए थी। अगर आपको ही जानकारी नहीं है तो इसका मैं क्या करूं?

श्रीमती कमला : इसीलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो, हालांकि मैंने बहुत विस्तार से और तकाजे के साथ में इस बात की जानकारी की है कि एक भी व्यक्ति कोई ऐसा है क्या जिसने बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की है फिर भी उसको भर्ती कर रखा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसे हैं तो मैं पुनः जांच करवाऊंगी और यदि बिना बेसिक क्वालिफिकेशन के फुलफिल किये हुए किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी ने भर्ती किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : क्या उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री विजय सिंह: अगर मैं आपको जानकारी दूं तो उस आदमी को हटायेंगे और उनको लगायेंगे जो आपके डिपार्टमेंट में हैल्थ वर्कर, सेनेट्री इन्सपेक्टर की क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनको लगायेंगे।

श्रीमती कमला : किसी व्यक्ति के पास बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी उनको लगा दिया गया है उनको हटाया जायगा और उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री **यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

आप सिर्फ यह बता दें कि 25 पर्सेन्ट और 75 पर्सेन्ट प्रमोशन और डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट का आधार क्या बनाया है, यह बता दें।

श्रीमती कमला : आप जानते हैं कि आमतौर पर जो फरदर पोस्ट पर डाइरेक्ट

(श्रीमती कमला)

रिक्रूटमेंट रखा जाता है उससे न्यू ब्लड और हाईली क्वालिफाइड को एन्ट्री मिलना चाहिए इसलिए रखा जाता है। यह आमतौर पर गवर्नमेंट की पालिसी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मीठालाल।

कृषि उपज समिति कर

34. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कृषि उपज समिति के द्वारा कई जिन्सों पर नये सिरे से कृषि उपज समिति कर चालू किया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी जिन्सों पर? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। और अब कुल जितनी जिन्सों पर टैक्स लागू है?

(2) क्या यह सही है कि कुछ जिन्सों में कई एक ऐसी भी हैं जिनका कृषि उपज प्रक्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि कुछ जिन्सों पर बहुद्देशीय टैक्स भी लगा दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी जिन्सों जिनकी केवल शक्ल बदल कर दूसरा रूप लेती है अथवा वही जिन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उस पर भी टैक्स लगाना सिद्धान्त रूप से सही मानती है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या उक्त कृषि उपज समिति के टैक्सों के बारे में राज्य सरकार केन्द्र की सरकार के साथ भी कोई वार्ता हुई है अथवा केन्द्र सरकार ने कोई निर्देश दिया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

(5) क्या सरकार बहुद्देशीय टैक्स का एक बहुत बड़ा भार किसान व उपभोक्ताओं के ऊपर मानकर इसे हटाने के बारे में विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी नहीं। यह 'कर' नहीं है, 'शुल्क' है। जिन वस्तुओं को मण्डी नियमन के अन्तर्गत लिया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अधिनियम में 'कृषि जिन्स' की परिभाषा दी हुई है, जिसमें कृषि, बागात, पशुपालन, अथवा अन्य, अनुसूची में वर्णित जिन्सें सम्मिलित हैं। नियमन हेतु घोषित जिन्सें अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कृषि जिन्सें हैं।

(3) अनुसूची में वर्णित मूल कृषि जिन्स एवं तैयार की गई जिन्सें अलग-अलग दिखाई गई हैं, क्योंकि दोनों की विपणन प्रक्रिया भिन्न है। इस प्रकार नियमानुसार दोनों प्रकार की कृषि जिन्सों से क्रय-विक्रय पर नियमन लागू होता है। एक मण्डी क्षेत्र से दूसरे मण्डी क्षेत्र में जाने के पश्चात् इन जिन्सों की विपणि प्रक्रिया पुनः उसी प्रकार दुहराई जाती है। किसी भी जिन्स पर मण्डी क्षेत्र में मण्डी शुल्क एक बार ही वसूल किया जाता है। अन्य राज्यों में भी ऐसी ही व्यवस्था है।

(4) मण्डी फीस के सम्बन्ध में केन्द्र से कोई वार्ता नहीं हुई है। व्यापारियों का एक

(कृषि मंत्री)
शिष्ट मण्डल केन्द्रीय उद्योग एवं रसद मन्त्रालय के अधिकारियों से मिला था। उनके ज्ञापन पर केन्द्र सरकार ने व्यापारियों द्वारा उठाये गये मुद्दों के परीक्षण हेतु कहा था, जो किया जा चुका है।

(5) जी नहीं। मण्डी शुल्क बहुद्देशीय टैक्स नहीं है मण्डी शुल्क का भार विक्रेता किसान पर बिल्कुल नहीं पड़ता। व्यापार की प्रचलित पद्धति में शोषण के तत्व को समाप्त किया जाकर उपभोक्ता को अच्छी तथा उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराना व ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करना मण्डी नियमन का मुख्य उद्देश्य है। अतः मण्डी शुल्क समाप्त किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मीठा लाल मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिचोलियों को समाप्त करने की या किसान पर टैक्स न लगे उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन एक तो मुझे सूची नहीं मिली है—सूची में अण्डे वगैरह हैं जिस पर शुल्क लगा दिया है और दूसरी बात दाल—दाल चना एक ही बात है। इन दालों के अतिरिक्त जैसे चना और चना दाल को एक माना है उस प्रकार धानी और चावल एक चीज है तो उसको एक क्यों नहीं माना। चावल पर भी शुल्क लगा दिया है और चावल की धानी बनती है उस पर टैक्स लगा दिया है। चना और दाल एक चीज मानी है तो फिर धानी और चावल को एक चीज क्यों नहीं माना?

श्री शिवचरण माथुर: मैंने प्रश्न के 2–3 भाग पर स्पष्ट कर दिया था जो कोई चीज शिड्यूल में शामिल है वह इसमें भी शामिल हो सकती है। आप समझने की चेष्टा करें तो स्पष्ट हो जायगी। जो दूसरी प्रक्रिया होती है उसके लिये ट्रांजेक्शन्स अलग-अलग हैं। यह केवल हमारे राज्य में ही नहीं हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में भी हो रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: दूसरे राज्यों में शिड्यूल भी इसी प्रकार की है क्या? बोलो न...

श्री मीठा लाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था चना, चना दाल मूंगफली और मूंगफली की गिरि जब आपने एक चीज मानी है तो फिर धानी और चावल को एक चीज क्यों नहीं मानी—धानी और चावल एक चीज क्यों नहीं है, इसका जवाब दें।

श्री शिवचरण माथुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां सेल और परचेज के प्रोसेस सेपरेट होते हैं वह मण्डी शुल्क में आयेगी चाहे रूप बदल गया हो व्यापारी भी रूप बदलने पर आढ़त लेते हैं और वह केवल बिचोलियों के लाभ के लिये होता था, इससे तो क्षेत्र का लाभ होगा और उपभोक्ता को अच्छी चीज मिले और बिना शोषण के मिले।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप एक ही चीज पर अलग-अलग टैक्स लेते हैं तो उपभोक्ता पर किस प्रकार टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान में आपने एक ही जिन्स की अलग-अलग चीजों पर अलग-अलग टैक्स लगा रखा है। एक ही चीज से तीन-चार चीज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बनती हैं गोश्त, चमड़ा, जूते आदि और छोटे-छोटे आदमी जूते बनाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। इस पर आपको फिर से विचार करना चाहिये। एक ही चीज पर तीन-तीन दफा टैक्स देना पड़ रहा है। छोटे-छोटे दुकानदार हैं, वे कहां तक अपना हिसाब रखेंगे।

श्री शिवचरण माथुर: अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में निवेदन करने की चेष्टा की है। आज भी मण्डी में एक चीज की अन्य चीजों पर बिचौलियों द्वारा आढ़त ली जाती है, जैसे व्यापारी आढ़त लेता है, धर्मादा लेता है–ये सब चीजें अलग-अलग लगाता है। मान लीजिये जहां पर सस्ती चीज मिल जाती है और वही हाई-कन्जम्शन सेन्टर पर ले जाई जाती है तो व्यापारी उसकी कीमत कैसे बढ़ाकर दे देते हैं लेकिन यहां पर तो एक निश्चित रूप से एक टैक्स लेकर विकास करना चाहते हैं····

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय··· अध्यक्ष महोदय···

श्री शंकरलाल (पाली): अध्यक्ष महोदय···

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय···

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर व्यापारी इस तरह की हरकतें करता है तो सरकार को रोकना चाहिये, सरकार क्या करती है?

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, ये 3-3, 4-4 वगैरह जो बताया है यह भी शामिल है क्या?

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, सरकार और व्यापारी के बीच टैक्स में अन्तर होना चाहिये। अगर सरकार भी टैक्स मल्टीप्लाई करती जाय तो फिर सरकार और व्यापारी में क्या फर्क हुआ?

श्री मीठालाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं और मेरा उद्देश्य भी यह था कि आज आपने जयपुर में मूंगफली का टैक्स ले लिया फिर उसकी गुली बनी उस पर टैक्स ले लिया और उसी मण्डी में मूंगफली का तेल बना उस पर टैक्स लगा दिया, उसके बाद उसी क्षेत्र में डालडा बना, उस पर भी टैक्स लगा दिया आखिर इसकी सीमा कहां तक रखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया है आपके सैल्स टैक्स की तरह एक मर्तबा ले लिया तो वह चीज फिर टैक्स पेड हो जाती है। अगर शहर में एक जगह टैक्स ले लिया तो मेरे ख्याल से उस पर राजस्थान में दूसरी जगह टैक्स नहीं लगना चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह: इस बारे में हम माननीय मंत्री महोदय से निश्चित आश्वासन चाहते हैं। आप कहते हैं उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है तो फिर इन्ट्रेस्टेड कौन लोग हैं–व्यापारियों को आप रोकिये, आप पर कोई पाबन्दी नहीं है। किसी ने 10 किलो दूध बेचा, किसी ने 10 किलो गोश्त बेचा, किसी ने चमड़ा बेचा तो जो उनके साथ हेरेसमेंट है उसको दूर करना चाहिये। एक

Page No 13

(13)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ही चीज की बनी दूसरी चीजों को आपको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। सरकार की बदनामी हो रही है, इसका अन्दाजा आप नहीं लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं इस प्रक्रिया को सरल करने के लिये आप मण्डी समिति में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, यह विस्तार से बताइये।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष, महोदय, जो छोटे-छोटे ठेले वाले हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है, यह वाजिब है क्या ? जो खुदरा ठेली पर बेचते हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है क्या यह सही है ? क्या उनसे टैक्स लिया जा सकता है क्या ?

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष : आपका वर्ष तो समाप्त हो गया लेकिन पूछिये···

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय···

(व्यवधान : अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : 10 साल के लिये और घोषणा हो रही है····

श्रीमती उषा प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों की जो बात कही तो क्या सरकार इस केस में व्यापारियों को रिप्रजेन्ट करना चाहती है और दूसरी बात जिस ऐरिया में या जिस मण्डी में माल आता है क्या उस पूरे इलाके में विकास के लिये पैसा खर्च होता है क्या ? एक तहसील का माल दूसरी तहसील में जाता है और वह मण्डी उस ऐरिया में नहीं है उसका एक पैसा भी विकास के लिये नहीं मिलता है। जिस एरिया में माल आता है उस ऐरिया को पैसा मिलना चाहिये।

श्री मोठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं धानी और चावल की बात कह रहा था एक दफा शुल्क लेने के बाद नहीं लेते हैं जैसे एक ही मण्डी में चावल आता है और उस ही मण्डी में धानी बनती है तो फिर उसमें तो अलग-अलग टैक्स नहीं लेना चाहिये- इस बारे में सोचकर आप बताइये।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में राज्य सरकार के समक्ष कई रिप्रजेन्टेशन आये हैं मुझे भी रिप्रजेन्टेशन किया है और मैंने वे कृषि मंत्री जी को भेजे हैं। यह कृषि उपज मण्डी का सिस्टम नया इन्ट्रोड्यूज हुआ है और बहुत मुमकिन है गलती भी हो रही हों। हम सारी चीज को देख रहे हैं और इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि उपभोक्ता पर अनावश्यक भार न पड़े—यह हमारी कभी मंशा नहीं है और न हमारी यह भी मंशा है कि मण्डी को जो रेगूलेट करना चाहते हैं उसको रोक देवें। मूल उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, उसकी ठगाई को रोकना है और उसके बाद ही सारी चीज को देखना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

35. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सन् 1975 में क्षेत्रीय जल प्रदाय स्कीम कहां-कहां की स्वीकृत हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला टोंक में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत जो क्षेत्रीय जल प्रदाय स्कीम जिला कमेटी द्वारा स्वीकृत हुई है उस पर कब से कार्य शुरू होगा ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) वर्ष 1975 में अब तक स्वीकृत क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला टोंक में स्वीकृत क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना टोरड़ी की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 22-12-75 को जारी कर दी गई है व इस पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो टोंक जिले की जिला स्तर कमेटी है उसको यह जवाब गया था कि पानी का स्रोत ठीक नहीं है और इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर दुबारा यह योजना कैसे वापिस आई ? क्या आपने इसको स्वीकार कर लिया या फिर पानी का स्रोत मिल गया ? फिर प्रस्ताव भेजा था कि दूसरी योजना विचार करके भेजी जाये। इसके लिए विचार करके तीन योजनायें भेजी थीं लेकिन उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया और आज वही योजना फिर सामने आई है तो क्या टोरडी वाली योजना स्वीकृत की है या दूसरी ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने जवाब दिया है कि टोरडी वाली योजना स्वीकृत की है।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो रीजनल स्कीम लगा रहे हैं। इन जिलों के अन्दर चूरू और बीकानेर जैसी स्थिति नहीं है। हमारे यहां नजदीक में स्रोत मिलता है और हमने जिला स्तर पर भी डिसकस किया है इसलिए हम जो योजना आपको पेश करते हैं और जो बनास योजना है वह काफी उपयोगी योजना है और आप टोरडी योजना ला रहे हैं। आपने अम्बापुरा और टोरडी योजना बताई हैं लेकिन उसके नजदीक तो बनास का स्रोत था उस योजना को क्यों नहीं लिया गया ? मैं कहना चाहता हूं कि योजना बनाते समय जिला स्तर पर जो सुझाव आयें उनको ध्यान में रखा जाये। हमारे जैसे जिले में छोटी-छोटी योजनायें एक, एक और दो, दो गांवों की बना रहे थे और वही उपयुक्त हैं। रीजनल स्कीम तो डेजर्ट ऐरिया में ज्यादा फायदेमन्द हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पारटेन्ट सवाल है। मैं नागौर क्षेत्र की योजना के बारे में कहूंगा कि जो वहां पर परामर्शदात्री समिति है···

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप कौन-सा प्रश्न पूछ रहे हैं ? इसमें तो नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पर ही पूछें यह जरूरी है क्या ?

श्री दीपंकर : इस प्रश्न का पार्ट वन पूरे राजस्थान के बारे में है···

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : आपके साथी ने आपत्ति कर दी है।

श्री दीपंकर : लेकिन मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानकारी तो दे दीजिए, और, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय इसकी जानकारी देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं तो सदन की सहमति से ही करता हूं सारे काम।

श्री शंकरलाल।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, यह अकेले टौंक का ही प्रश्न नहीं है और मुझे अवसर दीजिए। मैंने सवाल पूछा ही नहीं, और उसके पहले ही कह दिया गया कि कौनसी जगह के बारे में पूछ रहे हैं। सन् 1975 में जो क्षेत्रीय जिला योजना स्वीकृत हुई थी और जिनके लिए मंत्री महोदय के पास सिफारिशें आई थी क्या उनके लिए पूर्ण धनराशि दी गई ? वहां पानी पीने से टेढ़े हो जाते हैं तो ऐसी जगह पर रहने वाले लोगों के लिए क्या धनराशि पूर्ण उपलब्ध करवा दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : जितनी योजनायें स्वीकृत की गई हैं वह सिफारिशों के आधार पर ही स्वीकृत की गई हैं। चाहे तो मैं लिस्ट पढ़कर सुना सकता हूं। कितनी धनराशि किस योजना के लिए खर्च होगी यह आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

ग्राम भरटिया को गोचर की भूमि

36\. **श्री शंकरलाल (पाली) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील के गांव भरटिया में कुल कितनी भूमि गोचर के लिए सुरक्षित है ? क्षेत्रफल व खसरा नम्बर मय तफसील सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस गांव में कुल मवेशी की संख्या कितनी है जो मालगुजारी रेकार्ड में दर्ज है ?

(3) राजस्व कानून और नियमों को दृष्टिगत रखते हुए कितनी भूमि आवश्यक गोचर से अधिक है ?

(4) क्या यह सही है कि भूमिहीन बनजारा भाट जाति के लोगों ने आवश्यक गोचर से अधिक जो भूमि रहती है उसे एलॉट करने हेतु प्रार्थना-पत्र जिलाधीश पाली को प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ?

(श्री शंकर लाल)

(5) क्या यह सही है कि कुछ लोगों ने गोचर भूमि में अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) पाली तहसील के गाव अरटिया में 1804 बीघा 10 बिस्वा भूमि गोचर के लिये सुरक्षित है। उस भूमि का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) मालगुजारी रिकार्ड के अनुसार इस गांव में कुल मवेशियों की संख्या 974 है।

(3) तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा मवेशी संख्या 2842 है व राजस्व कानून को दृष्टिगोचर रखते हुए 383 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवश्यक गोचर से अधिक है।

(4) जी हां, दिनांक 21-11-75 को जिलाधीश के समक्ष भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ था जो जांच के लिए उप-जिलाधीश पाली को भेजा हुआ है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

(5) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री शंकरलाल (पाली) : यह जो गोचर से अधिक भूमि है क्या इसका आवंटन किया जायेगा ?

श्री मूलचन्द मीणा : उप-जिलाधीश को जांच के लिए भेजे गये हैं जिलाधीश के द्वारा जब वह अपनी रिपोर्ट देंगे उसके पश्चात् ही इस पर सोचा जायेगा।

श्री शंकरलाल : जिनके पास गोचर से अधिक भूमि है क्या वहां पर आवंटन किया जा सकता है ? सरकार की इस संबंध में क्या नीति है ? आपने कहा है कि 382 बीघा भूमि गोचर से अधिक है और जिसके लिए आप कह रहे हैं कि दूसरों ने कब्जा नहीं किया है तो जो गोचर से अधिक भूमि है क्या भूमिहीनों में उसका आवंटन करने का सरकार का इरादा है ?

श्री मूलचन्द मीणा : आपने प्रश्न के खण्ड 4 में लिखा है कि कुछ आदमियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे एलॉट करने के बारे में और वह खसरा नम्बर ऐसे हैं कि जिनकी जांच करना बहुत आवश्यक है कि वह चरागाह के लिए एलॉट होनी चाहिए। पहले यह जांच हो जाय उसके बाद ही कार्यवाही होगी।

श्री शंकरलाल : वह तो प्रार्थना-पत्र हैं कि हमें दी जाये। आपने यह तो मान ही लिया है कि 382 बीघा जमीन गोचर से अधिक है तो आवंटन करने का सरकार का विचार है या नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : इन्डीविजुअल केस को मेरिट पर डिसाइड किया जायेगा। जहां तक अरटिया गांव का प्रश्न है वहां बंजारा जाट लोगों ने एक दरख्वास्त दी है और वह नवम्बर में उन्होंने दी है। जिलाधीश के पास दरख्वास्त आने के बाद में तहसीलदार को आवेदन-पत्र भेजा गया तो इस पर रेवेन्यू इन्सपेक्टर को भेजा गया। वह लोग आज

Page No 17

(17)

(श्री परसराम मदेरणा)
वहां पर मौजूद नहीं हैं और न जाने कहां हैं। इसलिए उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी और एस. डी. ओ. से जिलाधीश ने रिपोर्ट मांगी है। अभी राज्य सरकार को सूचना मिली है उसमें मवेशियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए टेनेन्सी रूल के रूल 6 में ऐसा प्रावधान है कि गोचर भूमि आधी उपयोग होगी। उससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है लेकिन वहां पर खेती के लिए जमीन की अधिक आवश्यकता है और प्रेसिंग डिमाण्ड है तो गोचर जमीन को कम किया जा सकता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : चरागाह के बारे में सरकार की नीति विभिन्न जिलों में अलग-अलग रखी गयी थी और जिसकी वजह से कई जिलों में मवेशियों की संख्या ज्यादा होते हुए भी बहुत ज्यादा जमीन अलाट कर दी गई और आज मवेशियों को दिक्कत पैदा हो रही है जब कि दूसरे जिलों में सरकार के आदेश ही नहीं हुए इसमें सरकार की दोहरी नीति है और अलग अलग जिलों में अलग अलग नियम बनाने का क्या औचित्य है ?

श्री परसराम मदेरणा : अलग-अलग जिलों की अलग-अलग परिस्थितियां हैं। जैसलमेर का वह जिला जिसकी वर्ग किलोमीटर भूमि या माइल्स में ले लीजिए कि केरला और हरियाणा से ज्यादा है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बाड़मेर की एक तहसील 12 हजार वर्ग किलोमीटर की है। इसलिए अलग-अलग जिलों की अलग-अलग परिस्थितियां हैं। राजस्थान हरियाणा और केरल की तरह नहीं है। राजस्थान के पूर्वी जिले जहां जमीन पर बहुत प्रैशर है और जहां पर लाखों बीघा भूमि आज भी कल्चरेबल भूमि अवेलेबल है इसलिए अलग-अलग जिलों की परिस्थितियों के अनुसार वहां की जैसी कन्डीशन्स होंगी उसके अनुसार लोगों को न्याय देने के लिए सरकार आदेश प्रसारित करेगी।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह अरटिया गांव का प्रश्न है इसलिए नीति के संबन्ध में जब कभी भी आपको अवसर मिलेगा तो मैं उसके संबन्ध में स्पष्टीकरण करूंगा।)

श्री मीठालाल मीणा : नहीं अध्यक्ष महोदय, अलग अलग जिलों की ही नहीं, अलग अलग तहसीलें भी हैं और एक तहसील में अलग अलग गांवों के लिए नीति अलग है। जिले की नहीं, तहसील की नहीं बल्कि अलग अलग गांवों के लिए आपकी नीति अलग है। पहले सवाई माधोपुर जिले में आपका कोई ऐसा कानून नहीं था कि अलाटमेन्ट कर दिया जावे, उसके पहले ही जिलाधीश महोदय ने अलाटमेन्ट कर दिए। तो ऐसे जिलों के बारे में जहां पर अलाटमेन्ट हो चुके हैं और किसी गांव में अब भी रुके हुए हैं तो इनके बारे में आपकी नीति क्या है ? क्या आप उनको केन्सिल करेंगे जो जो अलाटमेन्ट हुए हैं और क्या आप जो बचे हैं उनकी अलाटमेन्ट करेंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि इसमें आपकी नीति क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपका सप्लीमेंट्री हाईपोथेटिकल है इसलिए हाईपोथेटिकल सप्लीमेंट्री के लिए ट्रेजरी बैंचेज के लिए यह

(श्री परसराम मदेरणा)
सम्भव नहीं है कि स्पेसिफिक सन्तोषजनक उत्तर दिया जा सके ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : हाईपोथेटिकल कैसे हैं, आपने खुद ने इसके आर्डर्स किये हैं। अलवर के लिए देखिए, उदयपुर के लिए देखिए और सवाई माधोपुर के लिए देखिए यह ठीक है कि इस प्रश्न से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन यह देखिए कि सरकार के प्रति उत्साह के कारण या किसी को प्रसन्न करने के लिए या न मालूम किस कारण से ये आदेश दिए गये हैं। चरागाह नाम की कोई चीज नहीं रखी और लोगों के सामने दिक्कतें पैदा कर दीं कुछ लोगों को ओब्लाईज करने के लिये। क्या सरकार इनको कैंसिल करेगी जो अलाटमेंट हुए हैं।

श्री मीठालाल (मीणा) : अध्यक्ष महोदय, यह नीति का प्रश्न है। आपकी नीति क्या है यह हम जानना चाहते हैं। अलग अलग गांवों के लिए नीति क्या है ? मैं तो नीति की बात जानना चाहता हूं कि जो अलाटमेंट हो चुके हैं क्या उनको कैंसिल करेंगे या बाकी बच गये हैं कुछ उनको अलाटमेंट करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अलाटमेंट जो हो गए हैं वह भी कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए कैंसिल हो सकते हैं कि कोई अलाटी ऐलेजिबल नहीं है । अब आप प्रश्न पूछिए कि जो असाईनीज हैं, जो अलाटीज हैं जिनको जमीन आवंटन हुआ है वह उसके लये हकदार था या नहीं, यह स्पेसिफिक प्रश्न आप पूछ लीजिए मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री नत्थासिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं · · ·

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, गोपाल जोशी !

श्री नत्थासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी से मैं नीति का प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजस्थान के चरागाहों में मेरे जिले भरतपुर में चार गांवों में जो नाजायज कब्जा कर रखा है, पटवारी के कागजातों में चरागाह ढ़ाई सौ बीघा, डेढ़ सौ बीघा, पचास बीघा लिखा है और उन पर नाजायज कब्जा कर रखा है उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी !

श्री गोपाल जोशी : प्रश्न सं. 37।

श्री परसराम मदेरणा : नाजायज कब्जे गोचर भूमि या चारागाह भूमि या गवर्नमेंट की सवाई चक है या गवर्नमेंट की अनएग्रीकल्चरेबल लैंड है या फोरेस्ट की भूमि है, जहां कहीं पर भी ट्रेसपास है, उन ट्रेसपासर्स को हटाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धाराओं को काफी स्ट्रीजेंट बनाया है और रेवेन्यू लाज बिल इस सदन के सामने विचारार्थ है जिस पर 19 तारीख को यहां पर विचार किया जाएगा, उस समय मैं अपने विचार स्पष्ट करूंगा।

श्री अध्यक्ष : गोपाल जोशी !

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री है · · ·

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री उम्मेदीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकिंड की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं। श्री गोपाल जोशी !

जल उपभोक्ताओं के बिल बनाने की प्रक्रिया

37. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जल उपभोक्ताओं के बिल बनाने की क्या प्रक्रिया व नियम हैं ? नियम की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या जल दाय विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध इन नियमों की अनुपालना न करने सम्बन्धी किसी तरह की शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिकायत किस प्रकार की थी और उसके समाधान की दिशा में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर के जल उपभोक्ताओं के बिल अनियमित रूप से बढ़ा-चढ़ा कर बनाये गये हैं, और उसकी शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों और जिलाधीश को बार-बार कई पीड़ित लोगों द्वारा की गई है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसका विभाग द्वारा क्या समाधान किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि जल उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत करने पर विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा अधिक शिकायत करने पर भविष्य में बिल को और बढ़ा-चढ़ा कर देने की धमकी दी जाती है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में जल उपभोक्ताओं के बिल बनाने की प्रक्रिया व नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, शिकायत साधारणत: बिल अधिक होने अथवा बकाया राशि अधिक दिखाने बाबत आती है जिनकी जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं, साधारणत: बिल ठीक प्रकार बनाये गये हैं एवं शिकायत मिलने पर उनकी जांच कर यदि आवश्यक हुआ तो संशोधन भी किया गया है। बीकानेर में उच्च अधिकारियों के पास कुल पिछले छ: माह में लगभग 17 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें 16 पर निर्णय लिया जा चुका है एवं एक मामला विचाराधीन है जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जा रहा है।

(4) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(नियम एवं प्रक्रिया की प्रति पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री गोपाल जोशी : प्रश्न कैसे नहीं उठता··

श्री भोराम गोटवाला : अभी तो आप उठे हो।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री महोदय से यह प्रार्थना है कि आपने जो मेरे को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी नियम की किताब दी है जो राजस्थान जल प्रदाय नियम दिए हैं उसमें इस प्रकार लिखा है कि समस्त बिल उपभोक्ताओं को हर महीने की 14 तारीख तक दे दिये जायं तथा उनका भुगतान बिल जारी करने की तारीख से 15 दिन के अन्दर अवश्य कर दिया जाना चाहिए। आगे लिखा है कि बिल प्राप्त न होने का बहाना स्वीकार नहीं होगा। 14 तारीख को आप बिल दे नहीं सकें, आखिरी तारीख के एक दिन पहले बिल मिलता है और फिर आप कहते हैं कि कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाता है। बहाना तो आपके विभाग की तरफ से किया जाता है। आप हस्ताक्षर नहीं मानते कि किस तारीख को बिल दिया गया है और उसके बाद उनको 15 दिन का टाईम मिलना चाहिए पैमेंट करने के लिए। बिल देने के 15 दिन बाद आपको भुगतान लेना चाहिए लेकिन आप इसको स्वीकार नहीं करते और बिल देने के दूसरे दिन से कनेक्शन काटने के लिए आदमी घूमने लगते हैं और फिर किसी तरह से लिपट दे दी जाय तो मामला चलता रहता है।

तीसरी बात यह है कि विवाद की स्थिति में, अपहार का लाभ उठाने के लिए, बिल का पूर्ण भुगतान विरोध के साथ समय के अन्दर कर देना चाहिए। अब आप देखिए कि मैं निजी अनुभव से कह सकता हूं कि एक बिल जो छः रुपये का आना चाहिए उसकी जगह डेढ़ सौ रुपये, दो सौ रुपये का बिल बनाया जाता है और वह आदमी जो डेढ़ सौ रुपये कमाने वाला है या सौ रुपये कमाने वाला है वह आपको डेढ़ सौ रुपये दे देगा तो रोटी क्या खाएगा। ऐसी बहुत सी शिकायतें बिलों के बारे में हैं उन पर आपने क्या किया? यह बिल बनाने के नियम बिल्कुल गलत हैं। लोगों को तकलीफ देने के लिए हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। इसके अलावा जो अधिकारीगण हैं स्पष्ट रूप से बात तक नहीं करते हैं। बिल गलत आता है तो कहते हैं कि हमारे यहां नियम है, दो परिवारों का फ्लेट रेट से ज्यादा पैसा लेंगे। दो परिवारों के लिए नियम यह है कि जिनके राशन कार्ड में आठ आदमी से ज्यादा हैं तो दो फ्लेट रेट लग सकती है लेकिन आठ आदमी नहीं होने पर भी बिल ज्यादा बनाया जाता है और अप्रोच करने पर कोई समाधान नहीं किया जाता है। लोगों की तकलीफ मिटती नहीं है, लोग परेशान होते हैं और जब अधिकारियों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम तो ऐसे ही बनायेंगे, आपको जो कुछ भी करना हो आगे से करा लाओ। यहां तक कह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करवा दो···

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री करते नहीं हैं ट्रांसफर। वे ही इसके मंत्री हैं इसलिए वे ट्रांसफर भी नहीं करेंगे।

श्री गोपाल जोशी : हम लोगों की तकलीफ मिटाने को तैयार नहीं···

श्री शंकरलाल (पाली) : बहुत से प्रश्न पैदा हो गए।

श्री चन्दनमल बैद : नियम यह है कि एक परिवार में आठ से ज्यादा व्यक्ति हैं तो दो फ्लेट रेट का पैसा उनसे लिया

(श्री चन्दनमल बैद)

जावेगा। एक फ्लेट रेट आठ व्यक्तियों के एक परिवार पर लागू है और आठ व्यक्तियों से ज्यादा अगर परिवार में हैं तो उनसे दो फ्लेट रेट का पैसा लिया जाता है। अगर एक जगह दो परिवार रहते हैं उनसे भी दो फ्लेट रेट का पैसा लिया जाएगा चाहे आठ से कम ही हों। जून 75 में नए राशनकार्ड बीकानेर में बने। अब राशनकार्ड में तो संख्या लिखाते हैं बारह और पानी वाला पैसे लेने जाता है तो कहते हैं कि हम तो सात ही हैं। अब यह कैसे हो सकता है। इस वजह से कई जगह परेशानियां हैं। दोनों तरफ से फायदा उठाना चाहते हैं। जहां राशन लेने की बात है वहां तो ज्यादा राशन लेना चाहते हैं लेकिन जहां पानी का पैसा देने की बात आती है तो कम देना चाहते हैं। इस तरह से परेशानियां होती हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप राशनकार्ड का फायदा उठा रहे हैं बीच में।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो राशन कार्ड के आधार पर चल रहा हूं। अब जो माननीय सदस्य की शिकायत है शिकायतों के बारे में तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17 शिकायतें हमारे पास बीकानेर में आई। अध्यक्ष महोदय, 17 शिकायतों के बारे में मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि किस प्रकार की शिकायतें हैं। एक अल्लाउद्दीन साहब हैं उनको शिकायत है कि हमारा मीटर कनेक्शन ज्यादा बताता है इसलिए बिल ज्यादा आता है। उनका मीटर चैक करने पर सही पाया गया। दूसरी एक शिकायत है मोतीचन्द की, वे कहते हैं कि फ्लैट रेट के अनुसार जो पैसा आता है वह ज्यादा आता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : यह मीटर उसी ने चैक किया जिसकी शिकायत थी ?

श्री चन्दनमल बैद : राशनकार्ड के अनुसार बिल ठीक था। राशनकार्ड के अनुसार दो कनेक्शन का पैसा बनता है जब कि वे एक कनेक्शन का पैसा देना चाहते हैं। इस तरह से मेरे पास और भी जो शिकायतें हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम स्वीकार करते हैं कि लोहा तो मनवा दिया।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कहीं गल्तियां हैं, किसी ने अभद्रता की है, दुर्व्यवहार की शिकायत है और वह मेरे पास आती है तो मैं जांच कराने को तैयार हूं मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जहां कानून और कायदे के अनुसार दो कनेक्शन का पैसा मिलना चाहिये जलदाय विभाग उसको लेने का हकदार है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप पूछिए।

श्री गोपालजोशी : मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि जहां 12 आदमियों का परिवार होगा वहां पर दो फ्लैट रेट का पैसा

(श्री गोपाल जोशी)

लेंगे, वह तो मैं मानता हूं लेकिन जहां पर एक ही परिवार में पांच आदमी हैं उनसे भी दो फ्लेट रेट का पैसा लिया जाता है इसलिए कि हमने देखा है यहां पर दो चूल्हे जलते हैं। आपके नियमानुसार राशनकार्ड में आठ आदमी से ज्यादा होने चाहिये, अब मैं दो चूल्हे जलाऊं या चार चूल्हे जलाऊं आपको क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : अगर आप दो चूल्हे जलायेंगे तो में दो कनेक्शन का पैसा लूंगा।

श्री गोपाल जोशी : लेकिन आपके नियमों में यह नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप चूल्हों का पैसा लेते हैं या पानी का ?

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द !

श्री गोपाल जोशी : मंत्री महोदय चाहे तो मैं लिस्ट दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, पोस्टपोन्ड। श्री गंगाराम।

श्री विजयसिंह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आप चूल्हों के हिसाब से पैसा लेते हैं या परिवार के हिसाब से पैसा लेते हैं।

(निरन्तर व्यवधान-अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा सवाल ले लिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न इतना-सा है कि जो फ्लेट रेट पर हैं उनसे तो आपने इस प्रकार पैसा ले लिया लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जयपुर शहर में तीन-तीन हजार और दो-दो हजार के बिल पानी के आ गए हैं। जब भी शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि पहले रुपया जमा कराओ नहीं तो कनेक्शन काट देंगे। यह सम्भव नहीं है कि किसी के दो हजार, तीन हजार रुपये का पानी आ जाय, यह सम्भव नहीं है। अब इतना रुपया कोई कहां से जमा कराए। क्या आप कृपा करके इसकी जांच करायेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर में चीफ इंजीनियर है, वाटर वर्क्स मिनिस्टर हैं, आप शिकायत करें तो मैं जांच कराऊंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : शिकायतें तो बहुत की गई हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पास दो शिकायतें हैं उनकी जांच करवाई जाएगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोई पूछता ही नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : पूछता कैसे नहीं है। आप आइये। क्या मेरे घर के बाहर ताला लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गोकुलचन्द जाटव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा ले लिया है। राजस्व मंत्रीजी।

सदस्य महोदय वक्त पर तो पूछते नहीं हैं?

श्री गोकुलचन्द जाटव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहीं पर बैठा था?

श्री अध्यक्ष : मैं भी तो यहीं बैठा हूं। पूछिये।

सब-तहसील कठूमर को तहसील बनाने की मांग

38. **श्री गोकुलचन्द जाटव** (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत बजट सत्र में अलवर जिले की सब-तहसील कठूमर को तहसील बनाये जाने की मांग को राज्य सरकार ने वाजिब माना था? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये?

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ सबसे बड़ी तहसील है और कई तहसीलों से सब-तहसील कठूमर की प्रस्तावित जन संख्या कहीं अधिक है? यदि हां, तो ऐसी कौन-सी कठिनाईयां रहीं जिससे राज्य सरकार कठूमर को तहसील बनाने में असमर्थ रही?

राज्य मन्त्री, राजस्व (श्री मूलचन्द सीणा) : (1) जी, नहीं।

(2) जनसंख्या के हिसाब से तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर की सबसे बड़ी तहसील है परन्तु क्षेत्रफल के हिसाब से यह सबसे बड़ी तहसील नहीं है। यह सही नहीं है कि सब-तहसील कठूमर की जनसंख्या जिले कि कई तहसीलों से अधिक है। सब-तहसील कठूमर को तहसील बनाने का मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री गोकुलचन्द जाटव : अध्यक्ष महोदय, यहां पिछले सत्र में उत्तर दिया गया है और यहां पर आंकड़ों से साबित किया है फिर यह कैसे कह रहे हैं। आप चाहें तो दुबारा पेश कर दूं। रिकार्ड को राजस्व मंत्री महोदय देख लें। पहले उन्होंने यहां, सदन में स्वीकार किया है।

राजस्व मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : क्या स्वीकार किया है?

श्री गोकुलचन्द जाटव : जो 9 तहसीलें हैं उनमें लक्ष्मणगढ़ तहसील की जनसंख्या सब से अधिक है। जो सब-तहसील बना रहे हैं उसकी भी ज्यादा जनसंख्या है। यह पहले भी आपने माना है।

श्री परसराम मदेरणा : ज्यादा हो या कम हो, यह सवाल नहीं है। यह सही है कि आपके जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील की जनसंख्या सबसे ज्यादा है लेकिन सवाल जब आता है राजस्थान के 197 तहसीलों का कि किसकी क्या जनसंख्या है, पापुलेशन है। बाड़मेर तहसील की जन संख्या 3 लाख 61 हजार 516 है और 1 045 वर्ग किलो मीटर उसका क्षेत्र फल है। आपने अपने जिले का ही प्रश्न किया है। थोड़ा अलवर जिले के दायरे से भी निकलने का प्रयत्न कीजिये। आपको यह गलतफहमी हो गयी है कि आपके जिले की तहसील की ही

Page No 24

(24)

(श्री परसराम मदेरणा)
जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अलवर जिले में जरूर अन्य तहसीलों के मुकाबले इसकी जनसंख्या ज्यादा है। दूसरी जनसंख्या अलवर तहसील की है। पिछले सत्र में भी यही उत्तर दिया था। मैंने खुद ने ही दिया था। राज्य सरकार को अभी तक जिलाधीश, रेवेन्यू बोर्ड से इस विषय में प्रस्ताव नहीं आया है। जब उनके पास से प्रस्ताव आयेगा तब राज्य सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी। उचित निर्णय राज्य सरकार को अभी तक लेना है।

श्री गोकुलचन्द जाटव : अध्यक्ष महोदय यह आश्चर्यजनक बात है। पिछले सत्र में पंचायत समितियों के सारे फीगर्स दिये थे। राजस्व मंत्री महोदय ने भी इसको माना है तो आज फिर कैसे मना कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह निर्विवाद रिपोर्ट देने के लिये माननीय सदस्य को क्षेत्रीयवाद से बाहर आना होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : तहसील को क्षेत्रीयवाद से बाहर ले रहे हैं। कलेक्टर के सामने यह प्रश्न है कि जो गोविन्दगढ़ तहसील बनाने जा रहे हैं वह छोटी रह जाती है जब तक कि 35/34 गांव भरतपुर जिले के उसके साथ न मिला दिये जायें। क्योंकि यह प्रस्ताव कलेक्टर अलवर ने दिया है इसलिए इसके संबंध में रेवेन्यू बोर्ड की मार्फत प्रस्ताव आना है इसलिए यह मामला अब केवल अलवर तक ही सीमित नहीं रह गया है इस मामले का सम्बन्ध भरतपुर जिले से भी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शंकरलाल : यह निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : उचित समय पर निर्णय ले लिया जायेगा।

ग्राम रामसर में भूमि पर नाजायज कब्जे

39. **श्री गंगाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1-11-74 को रात्री के समय ग्राम रामसर तहसील बाड़मेर में राजस्व अधिकारियों ने नाजायज कब्जे हटाने के निमित्त कई लोगों के घर जला दिये ?

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष शिकायत पेश हुई है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) यदि कथित बेदखली की कार्यवाही किसी कानून के अन्तर्गत की गई है तो क्या ऐसे कानून में दी गई प्रणाली को भलीभांति अपनाया गया है और क्या अनधिकृत अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु तामीर को जला कर नष्ट करने का अधिकार प्राप्त है ?

(4) क्या यह सही है कि जिस भूभाग व बस्ती से उपरोक्त बेदखली की गई है उसी भूमि पर कई राजकीय भवन भी बने हुए हैं ? यदि हाँ, तो क्या-क्या है और कुल कितना क्षेत्रफल है ?

(5) यदि राजकीय भवन निर्माण हेतु कथित भूमि उपयुक्त है तो गांव की

Page No 25

(25)

(श्री गंगाराम चौधरी)
बस्ती के लिये किस भांति उपयुक्त नहीं है ?

(6) क्या यह सही है कि नगर बाड़मेर के बन्दोबस्त के बाद जितनी बस्तियां बसी हैं व सब राजकीय कृषि भूमि अथवा चरागाह पर बसी हुई हैं जिन्हें बेदखल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो रामसर जैसे छोटे गांव में ऐसी कच्ची बस्ती को हटाना व जलाकर हटाना क्यों कर उपयुक्त समझा गया ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) :

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां, जिलाधीश बाड़मेर को स्थानीय व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो प्रस्तावित भूमि को आबादी हेतु परिवर्तन करने का प्रस्ताव भिजवाने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

(3) बेदखली की कार्यवाही हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में दी गई प्रणाली को भलीभांति अपनाया गया है । केवल अनधिकृत बाड़ों का निर्माण ही हटाया गया है । किसी तरह के भवनों को नहीं जलाया गया है ।

(4) जी हां । चिकित्सालय भवन, पानी का हौज तथा जलदाय-विभाग के 2 कमरे मय चार दिवारी के एवं मिडिल स्कूल भवन, गोचर भूमि पर बने हुए हैं ।

(5) उपरोक्त राजकीय भवनों के पास जो भी अनधिकृत वाड़े आदि थे वे हटाये गये हैं न कि बस्ती के मकानात आदि । वे मकानात अभी तक विद्यमान हैं और उन पर संबंधित गैर सायलान जिन्होंने अनधिकृत निर्माण कराया है, का ही कब्जा है । सरकारी भूमि पर बस्ती बसाने हेतु नियमानुसार भूमि आबादी में परिवर्तन करा कर समक्ष अधिकारी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक है ।

(6) जी नहीं । राजकीय कृषि भूमि अथवा चरागाह पर बसी हुई बस्तियों की बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है और वर्तमान में की जा रही है । ग्राम रामसर में केवल अनधिकृत बाड़ों को ही हटाने की कार्यवाही की गई है अतः ग्राम रामसर की कच्ची बस्ती को हटाने व जलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री गंगाराम चौधरी : ग्राम रामसर में रेकार्डेड आबादी की कोई भूमि है या नहीं ? अगर आबादी की भूमि नहीं है तो सैटलमेन्ट के बाद जो बस्तियां बसी हैं वे नजदीक के चरागाहों की भूमि पर बसी हैं और यह सही नहीं है जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां पर केवल बाड़ों को ही हटाया गया है । मेरी जानकारी में तो यह है कि जो बस्ती, सेटिलमेन्ट 1955 के बाद बस्ती बसी हैं और जो मकानात बने हैं उन सब को एक तारीख को, 1 नवम्बर की शाम को रात के वक्त में जलाया गया है । प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में इससे इन्कार किया गया है लेकिन यह बात सही है । यह वास्तव में सही है । रात के वक्त 1-11-75 को एस.डी.एम., दो तीन अधिकारी मौके पर गये, साथ में पुलिस फोर्स भी थी जिलाधीश बाड़मेर ने आर्डर दिया मौके पर जाकर और

(श्री गंगाराम चौधरी)
इन सबको जला दिया गया । यह बात सही है और मेरी जानकारी में : । मंत्री महोदय क्या इस सारे मामले की जांच कराने को तैयार है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह सही है, हम ने जो नहीं इसलिए उत्तर दिया है कि वहां पर मकान और दूसरे झोंपड़े नहीं जलाये गये हैं । यही पार्ट वन में पूछा गया है । बाड़ जरूर जली है परन्तु जो मकान और दूसरे हैं उनको नहीं जलाया गया है—यह सरकार की जानकारी मे नहीं है और फिर गांव के पास जो भूमि है वह अभी तक कृषि भूमि है और उसको आबादी की जमीन ईयरमार्क नहीं किया गया है । यह हमारी जानकारी में नहीं है कि आग से झोंपड़े जलाये गये हैं· · ·

श्री अध्यक्ष : (श्री खेतसिंह विधि मंत्री द्वारा सदन की मेज के पास आ जाने पर) आम तौर पर फ्लोर को, क्रास नहीं किया जाता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कर्मचारियों ने आग लगाकर बाड़े को जलाया है, क्या सरकार इसको स्वीकार करती है ?

श्री परसराम मदेरणा : बाड़ जलायी है ।

श्री मोहम्मद गफ़्फ़ार अली : क्या ये नियमानुसार जलाये गये हैं· · · ·

श्री परसराम मदेरणा : यह डिसपोज आफ करने का प्रश्न है । इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है । बाड़ आम तौर पर कांटों की होती है और डेजर्ट एरिया में इसके पांच पैसे भी नहीं मिल सकते हैं ।

श्री विठ्ठल भाई (पीपलखूंट) : बाड़ मकान से मिली हुई होती है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भले ही इसकी कीमत पांच पैसे हो परन्तु बाड़ जीवन रेखा होती है ।

श्री परसराम मदेरणा : रेगूलराईज करने का सरकार को आदेश है । यह आदेश है कि 500 वर्ग गज तक के मकान 31 दिसम्बर से पहले के हैं तो उसको रेगूलराईज कर दिया जाये । एक हजार तक· · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब बाड़ को जलाया गया है तो यह कैसे संभव हो सकता है कि मकान न जले हों । सदन के एक जिम्मेदार माननीय सदस्य ने यह जानकारी दी है तो वह कैसे गलत हो सकती है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य से मैंने आज मोरनिंग में बात की है । माननीय सदस्य ने सदन के अन्दर जो बात कही है, उससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं । मैं उनकी बात को गलत नहीं मान सकता । इसलिए मैं इस मैटर की फरदर इन्क्वायरी, फरदर जांच करवा रहा हूं । माननीय सदस्य ने जो बात रखी है और सरकार ने जो इनफौरमेशन दी है उसको ही आधार मानकर आन दी फ्लोर में डिनाई नहीं कर रहा हूं । हो सकता है कि सरकार की जानकारी गलत हो । इसलिए मैं इस विषय में जवाब तलब कर रहा हूं और इसकी जांच करवा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

ग्राम देवड़ा में आयुर्वेद अस्पताल

26. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर के ग्राम देवडा में एक आयुर्वेद अस्पताल खोलने की मांग जनता द्वारा की जा रही है।

(2) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम वासियों ने अस्पताल के लिये जन सहयोग से एक मकान बनवा दिया है? अगर हां, तो उक्त स्थान पर आयुर्वेद अस्पताल कब तक खोल दिया जावेगा।

(3) आयुर्वेद अस्पताल ग्राम होड्चा-कोरिया एवं भाब को द्वितीय श्रेणी के अस्पताल में कब तक परिवर्तित कर दिया जावेगा ?

(4) क्या सरकार पिछड़े जिलों में ज्यादा आयुर्वेद अस्पताल खोलना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो जिला जालोर में कितने अस्पताल कब तक खोल दिये जावेंगे ?

राज्य मंत्री आयुर्वेद (श्रीमती कमला) : (1) विभाग की जानकारी के अनुसार वर्ष 1975-76 में जनता से औषधालय खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत या जिलाधीश महोदय से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ कि औषधालय भवन जनता द्वारा निर्मित होकर उपलब्ध है।

(3) आगामी बजट प्रावधान के अनुसार इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

(4) जी हां, इस वर्ष दो औषधालय पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में खोल दिये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मकानात निर्मित हुए हैं। आपके पास जानकारी नहीं है और आप इसकी जानकारी कर लीजियेगा।

श्रीमती कमला : जैसा कि मैंने कहा खोले जाने की संभावना बजट प्रावधान के ऊपर ही संभव हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चूरू जिले की सहकारी समितियां

28. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चूरू में कुल कितनी सहकारी समितियां इस वक्त कार्य कर रही है ? और उनमें कितनी सदस्य संख्या है ? तहसील वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही नहीं है कि कितनी ही समितियों में वर्षों से लगातार कर्जा लेते रहने वाले समर्थ आदमियों से विगत साल कर्जा वसूल नहीं किया गया और गरीब आदमियों से कुछ दिन पूर्व दिया हुआ कर्जा भी कुर्की का डर दिखला कर प्रभाव के दिनों में वसूल किया गया ?

(3) इस सिलसिले में कृपया राजगढ़ तहसील की सहकारी समितियों में 3 व 5 वर्षों से पुराने सहकारी कर्ज वाले किसानों की मय रकम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 28

(28)

(सहकारिता मंत्री)

उत्तर

(1) जिला चूरू में कुल 530 सहकारी समितियां इस वक्त कार्य कर रही हैं और उनकी सदस्य संख्या 59,310 है। तहसील वाईज सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) राजगढ़ तहसील की सहकारी समितियों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शाहपुरा में अस्पताल के भवन का निर्माण

29. **श्री हनुमानसहाय व्यास** (वैराठ): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् शाहपुरा (जयपुर) में 25 बेड के अस्पताल हेतु जनता द्वारा भवन निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कृपया स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति किये जाने के पश्चात् शाहपुरा में नवीन भवन का निर्माण कराया जाकर राज्य सरकार को डोनेशन सम्बन्धी सभी कागजात काफी समय पूर्व प्रेषित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब प्रस्तुत किये गये तथा राज्य सरकार या विभाग द्वारा किन कारणों से वापिस लौटाये ?

(3) क्या सरकार अपनी पूर्व स्वीकृति आदेश के अनुसार इस अस्पताल में स्टाफ वगैरह भेजने को तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, दान पत्र स्वास्थ्य मंत्री महोदय को दिनांक 5-2-74 को निर्माण कराये गये भवन के उद्घाटन के समय प्रस्तुत किये गये थे, जो राज्य की स्वीकृत शर्तों के अनुसार न होने के कारण लौटाए गये थे। जो अभी तक वापिस प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) वर्तमान में वहां स्वीकृत डिस्पेन्सरी का स्टाफ कार्यरत है तथा अन्य स्टाफ व व्यवस्था खर्च हेतु बजट में प्रावधान की कार्यवाही की जावेगी।

बीकानेर जिले के गांवों में पेय जल की व्यवस्था

30. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान बीकानेर जिले के कितने गांवों को पेय जल सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है तथा अब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

(2) अब तक धन उपलब्धता की गति को ध्यान में रखते हुए बीकानेर जिले की कितनी जन संख्या व गांवों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराया जा सकेगा ?

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) पंचम पंच वर्षीय योजना का अंतिम-प्रारूप अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है अतः अन्तिम रूप से लक्ष्य नहीं बताया जा सकता है। पंचम पंच वर्षीय योजना काल में अब तक कुल 70 ग्रामों में जल वितरण प्रारम्भ किया जा चुका है।

(2) अब तक की धन उपलब्धता की गति को ध्यान मे रखते हुये बीकानेर जिले में पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक कुल लगभग 168 ग्रामों को 1.89 लाख आबादी को पेय जल उपलब्ध करवाने की संभावना है।

सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा

31. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):– क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में भंगी कष्ट मुक्ति आन्दोलन का क्या हुआ ? इस पर राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(2) क्या "राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि राज्य में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा समाप्त हो चुकी" ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या इस कुप्रथा से छुआछूत को बढ़ावा नहीं मिलता ? यदि नहीं, तो कैसे ?

उत्तर

(1) यह भंगी कष्ट मुक्ति आन्दोलन नही था बल्कि भंगी कष्ट मुक्ति योजना थी जो 1969–70 से 1971–72 तक राज्य सरकार ने लागू की थी।

(2) जी नहीं। अभी तक निम्न लिखित नगरपालिकाओं में यह प्रथा बिलकुल समाप्त हो चुकी है।

1. नगरपालिका केकड़ी (अजमेर)
2. नगरपालिका माउन्ट आबू (सिरोही)
3. नगरपालिका ब्यावर (अजमेर)
4. नगरपालिका विद्याबिहार (पिलानी)
5. नगरपालिका देवली (टोंक)
6. नगरपालिका खेडली (अलवर)
7. नगरपालिका गंगापुर (सवाईमाधोपुर)

इस प्रथा को समाप्त करने हेतु अन्य सभी नगरपालिकाओं को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे भी इस दिशा में यथाशीघ्र कार्यवाही करने की चेष्टा करें।

(3) छुआछूत को बढ़ावा देने में यह भी एक कारण है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है :

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा बोनस अध्यादेश जारी करने के विरोध में एटक से सम्बन्धित मजदूरों की सामुहिक भूख हडताल के विषय में। यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है।

(2) सवाईमाधोपुर सीमेन्ट फेक्ट्री के पिछले 6 महीनों से बन्द रहने से उत्पन्न

(श्री अध्यक्ष)
स्थिति के विषय में। इस स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

अतः मैं इन दोनों प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर के सम्बन्ध में मेरे स्थगन प्रस्ताव को आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया उसके लिये आपका मैं आभारी हूं। दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि बोनस का प्रश्न भारत सरकार द्वारा जो बोनस सम्बन्धी ओर्डिनेन्स जारी किया है उससे सम्बन्धित है। चूंकि इसका प्रभाव राजस्थान के तमाम श्रमिक वर्ग पर पड़ता है और राजस्थान के श्रमिकों को पहले 8.33% बोनस मिलता था इस अध्यादेश के आने के बाद वह बोनस बन्द हो गया इसलिये इस प्रश्न का ताल्लुक न केवल भारत सरकार से रह जाता है बल्कि राजस्थान के मजदूर वर्ग पर इसका असर पड़ने का प्रश्न है इसलिये यह प्रश्न राजस्थान का भी हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न की अहमियत इतनी है कि तमाम मजदूर वर्ग, न केवल हमारे दल से सम्बन्धित ऐटक संघों ने बल्कि सत्ता धारी दल के संगठन, इंटक और दूसरे संगठनों ने भी सर्वसम्मति से इस ओर्डिनेन्स पर पुनर्विचार की मांग की है और यह कहा है कि सरकार ने मजदूरों से जो बड़े संघर्ष के बाद अधिकार प्राप्त किये उनमें इस इमरजेन्सी में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन स्थितियों में यह इमरजेन्सी लागू हुई है उसमें और उससे पहले यदि किसी वर्ग ने डट कर उन प्रतिक्रिया वादी शक्तियों का मुकाबला किया, उन प्रतिक्रिया वादी शक्तियों के भुलावे में आने से इन्कार किया, चाहे वह बिहार रहा हो, चाहे अन्य प्रान्त रहे हों, तो वह मजदूर वर्ग ही है। चाहे जयप्रकाश का आह्वान हो या उनके चेले चपेटों का आह्वान हो क्रान्ति का, सम्पूर्ण क्रान्ति का, तो मजदूर वर्ग ने ही प्रतिक्रान्ति का एलान किया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि चाहे यूरोप हो या और किसी जगह हो जहां भी फासिस्ट वर्ग ने सिर उठाया है वहां पर मजदूर वर्ग ने ही आकर उन फासिस्ट वर्गों का मुकाबला किया। इस इमरजेन्सी के दौरान फासिस्ट शक्तियों से लड़ कर आने आने वाले इस मजदूर वर्ग, यह मजदूर वर्ग जो हमारी अगुआई करने वाला है, जो हमारा नेतृत्व सम्हालने वाला है, आगे बढ़ कर लड़ाई लड़ने वाला है, उसको किसी प्रकार की नयी राहत देने की आवश्यकता थी उसके बजाय, मुझे खेद है इस दौरान में जब कि वह बहुत बहादुरी से अपने वर्ग की जिम्मेदारी को निभाने के लिये आगे बढ़े हुए हैं, जैसा कि इस बात को हर रोज स्वीकार किया गया है, चाहे पैदावार बढ़ाना हो, चाहे और किसी तरीके से अपने काम की जिम्मेदारी को निभाना है, उसमें मजदूर वर्ग ने सही भूमिका अदा की है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि इस पर आप पुनर्विचार करें। एक मजदूर वर्ग के पास 26 जून से पहले अधिकार मौजूद थे, ये बोनस के अधिकार कानूनी, कोंस्टियूशनल लड़ाइयां लड़ कर हासिल की हैं जिसके पीछे ज्युडिशियल प्रनाउन्समेन्ट्स हैं, कमीशन्स के प्रनाउन्समेन्ट्स हैं,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिसके अन्दर आपके दल के मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, हमारे वर्ग के प्रतिनिधि भी हैं जिसकी यूनानिमस रिपोर्ट की बुनियाद पर ही यह 8.33% बोनस का अधिकार मिला था उसको वापिस लेने का प्रयत्न किया जाय या वापिस ले लिया जाय यह एक जबरदस्त चोट आपने सबसे बड़े रेस्पोन्सिबल वर्ग पर की है। उस वर्ग को फासिस्ट तत्वों की तरफ, उन शक्तियों की तरफ मुड़ने की स्थिति पैदा की है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करुंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस पर निर्णय नहीं ले सकती है लेकिन राज्य सरकार अपनी सिफारिश यहां का मजदूर वर्ग जो बात महसूस करता है, खुद कांग्रेस के दल जो महसूस करते हैं, जिस तरीके से महसूस करते हैं उसके अनुसार अपनी सिफारिश केन्द्रीय सरकार के पास भेजें कि मजदूर वर्ग नये अधिकार इमरजेन्सी में खड़ा कर मांग नहीं कर रहा है, नया प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा है बल्कि पूर्व अधिकार हैं उसके, जिनको हर तरीके से स्वीकार किया गया है आर्थिक सामाजिक न्याय के आधार पर उनको इस बीच में न ले। इस बुनियाद के आधार पर इंटक के सारे हिन्दुस्तान के और राजस्थान के मजदूर संगठनों ने 24 घंटे की भूखहड़ताल रखी है केवल ध्यान आकर्षित करने के लिये। श्रम मंत्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी यहां हैं। वह यह आश्वासन दें कि उनकी सहानुभूति मजदूरों के साथ है और वे यह महसूस करते हैं कि इस प्रश्न पर दुबारा विचार होना चाहिये और गम्भीर विचार होकर उनके अधिकार, जो उनको पहले मिले हुए थे उन पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे कमरे में मिल लीजिये।

श्री मोहरसिंह : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष : आपको भी यही जवाब है

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं –

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 21(3) राज।उप/75, दिनांक 3 दिसम्बर, 1975/

(2) अधिसूचना संख्या प. 7 (58) राज ग्रुप-4/75, दिनांक 23 सितम्बर, 1975/

(3) अधिसूचना संख्या प. 7 (58) राजस्व। ग्रुप - 4। 75, दिनांक 1 नवम्बर, 1975

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री):अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या प. 6(1)वित्त ग्रुप -4/73-12 (जी. एस आर. 189, दिनांक 28 दिसम्बर, 1973.

Page No 32

(32)

(श्री चन्दनमल वैद)

(2) अधिसूचना संख्या प.6(1) वित्त ग्रुप – 4 73–3 (जी एस. ग्रार. 222), दिनांक 13 फरवरी, 1974।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 6(18) एफ. डी. ग्रुप–4 75–13 (जी एस. ग्रार. 221), दिनांक 19 नवम्बर, 1975.

समिति का प्रतिवेदन

क्रोस एक्जामिनेशन पत्रिका के सम्पादक एवं मुद्रक के विरुद्ध निर्दिष्ट समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री श्रीराम गोटेवाला (सभापति महोदय, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन द्वारा विशेषाधिकार समिति को क्रोस एग्जामिनेशन पत्रिका के सम्पादक एवं मुद्रक के विरुद्ध निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समिति के प्रतिवेदन हेतु नियत समय बढाया गया।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 1975.

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्मारक, पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान स्मारक, पुरातत्वीय स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 29 सन् 75) को जारी करने के कारणों को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उन्होंने हमारे देश में जो विशेष राजनैतिक परिस्थितियां जिनके कारण हमारे देश में 26 जून को एमरजेन्सी लागू की गई उन परिस्थितियों का विशेष तौर से उल्लेख किया है और उनके अभिभाषण में इस एमरजेन्सी लागू होने के बाद जो राज्य सरकार के कार्यकलाप रहे हैं उनका लेखा-जोखा माननीय सदस्यों के सामने रखा है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि उन सद कार्यक्रमों की ओर जिनकी ओर माननीय राज्यपाल महोदय ने ध्यान आकर्षित किया है, उनके मूल्यांकन की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ओर जाऊं, जिस राजनैतिक परिस्थिति की ओर राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में एमरजेन्सी लागू होने के बाद जब हम मिले थे तो कुछ लोगों को यह शंकायें थीं, कुछ लोग जो क्रिटिक्स थे इस बात के, जिनका यह कहना था कि एमरजेन्सी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिये लगाई है और देश के सामने या डेमोक्रेसी के लिए कोई फासिस्ट खतरा नहीं था। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा, मैं यह जानना चाहूंगा, कि बंगला देश के अन्दर जो घटनाएं हुई हैं पिछले 15 अगस्त को और उसके बाद 2 नवम्बर को जिस प्रकार बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान का परिवार सहित कुछ लोगों ने कत्ल करके अपने हाथों में सत्ता ली, जिस प्रकार 2 नवम्बर को इन फासिस्ट शक्तियों के नेताओं ने बंगला देश में केवल शेख मुजीब के खून से हाथ रंग कर तसल्ली न रखी बल्कि उनके मित्रों को, जिनको उन्होंने जेल के सीखचों में बन्द कर रखा था, उनके अन्दर जाकर और भालों से और बुरे तरीके से उनको वहां पर जेल के सींखचों में कत्ल किया है कायरों की तरह और वहां की सरकार ने इस प्रकार मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले लोगों को दूसरे देशों में भागने का मौका दिया। मैं यह जानना चाहूंगा इन घटनाओं के बाद भी क्या उन लोगों की आंखें नहीं खुलीं? क्या वे यह महसूस नहीं करते हैं, क्या आज हमारे देश के सामने वास्तव में इस प्रकार के संकेत हैं कि कुछ विदेशी शक्तियों ने, कुछ विदेशी ताकतों ने, न केवल बंगला देश में, न केवल हमारे देश में बल्कि तमाम दुनियां के वो विकासशील देश जो प्रजातन्त्र के आधार पर, समाजवाद के आधार पर, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन तमाम देशों की सरकारें जो इस अमेरीकी साम्राज्यवाद और उनके पीछे चलने को तैयार नहीं हैं, उन्होंने खुले तौर पर यह घोषणा की है कि ऐसी सरकारों को नहीं रहने देंगे। उनको पलट देंगे। क्या यह जो बंगला देश में हुआ, वहां के लोग और वहां जो फासिस्ट शक्तियों को चलाने वाले अमेरीकी साम्राज्यवादियों के साथी माओत्से, चाइना के समर्थक और पाकिस्तान के समर्थक इन तीनों शक्तियों ने मिलकर बंगला देश में जघन्य अपराध करवाये हैं और खुला फासिस्ट तरीके से प्रदर्शन किया है। मैं यह जानना चाहूंगा इधर बैठने वाले मित्रों से, जनता मोर्चे का रुख मैं साफ तौर से जानता हूं उन लोगों की खुशी हुई जब बंग बन्धु की हत्या की गई····

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : कभी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे बड़ी खुशी है, मुझे खुशी है कि उनके राजनैतिक दृष्टिकोण में इस प्रकार का परिवर्तन··

श्री मीठालाल मीणा : आप ज्योतिष भी जानते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : देश के मुख्य मेन-स्ट्रीम के साथ अगर हो जाय, अगर वह उसके साथ चलने की कोशिश करें, आज जो देश के अन्दर, जो देश की स्थितियों का मुकाबला करने को तैयार हैं, उसमें शामिल होने की कोशिश करें तो यह देश के लिए सौभाग्य होगा। इसलिए मैं उनके साथ उनकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आलोचना को रखने, देश के लोगों के नाम यह प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। आज इस देश के अन्दर प्रजातान्त्रिक तरीके से कोई सरकार को बदले या बदलने का प्रयत्न करे यह बात, यह तरीका तो हमारे पिछले 25-30 वर्षों से जबसे हमारी आजादी आई, वह अधिकार तो है और उसके अनुसार चुनाव करायें, इलेक्शन कराये यह बात तो समझ में आती है। जो भी विशेष तरह के बदलाव आये, जो नई परिस्थितियां पैदा हुई जिसकी वजह से इमरजेन्सी लागू हुई उसमें कुछ लोगों ने यह कहा कि चुनाव के जरिये परिवर्तन संभव नहीं है, चुनाव 71 में कराये, 73 में कराकर देखा, 74 में कराकर देखा। चाहे उनकी दलील यह रही हो कि चुनाव का तरीका ठीक नहीं है, चुनाव के तरीके में तबदीली होनी चाहिए, इस बात पर भी देश के अन्दर कन्सेसन्स हो सकता है। इस बात को भी मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी वर्षों से कहती आई और सत्ताधारी दल ने भी स्वीकार किया है कि चुनाव के तरीकों में, खास तौर से जो इतना अधिक खर्चीला होता है उन पर विचार किया जाना चाहिए। नेशनल कन्सेन्सस इस बात पर निकाला जाना चाहिए।

इस बात पर भी कि इस संविधान के अन्दर मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियां इस देश में पैदा हो गई हैं, इसलिए उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अभी कांग्रेस ने इस 75वें अधिवेशन में बहुत जोर के साथ कहा है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जो लोग ऐसे प्रश्न उत्पन्न करते थे जिसके कारण यह क्राइसिस उत्पन्न हुआ है। क्या सत्ता का परिवर्तन डेमोक्रेटिक पार्लियामेन्ट्री तरीके से हो अथवा सत्ता का परिवर्तन हिंसा के द्वारा हिंसा का वातावरण पैदा करके पुलिस और फौज को बहका कर इस प्रकार से जबरदस्ती कब्जा करने के लिए तैयार हो। जिस प्रकार 26 जून से पहले वातावरण तैयार किया गया जो घोषणाएं की गई, उसका मतलब था कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करके जैसी कि गुजरात में हुई। बिहार में हुई। सेन्ट्रल शासन लागू होने का सवाल नहीं होता है। इन्दिरा गान्धी के शासन का सवाल नहीं है। आज बंगला देश में मुश्ताक अहमद का शासन हुआ। कहने के लिए वह अवामी लीग का है। लेकिन उसके पीछे क्या है? मैं कहना चाहूंगा, खास तौर से मेरे मार्क्सवादी मित्रों से, मुझे मालूम हुआ है कि जब 2 नवम्बर की घटनाएं हुई तो वह भी बहुत विचलित हुए। बंगला देश में मुश्ताक अहमद या 2 नवम्बर को जो घटनाएं हुई है यह फासिस्टी शक्तियों वाले हैं। जो अमेरिकी एजेण्ट हैं, उनके इशारे पर वह घटनाएं हुई हैं। 2 नवम्बर को बंगला देश में जो घटनाएं हुई हैं। उन पर सोवियत पोलिट ब्यूरो ने जो रेजूलूशन शाया किया है कि अमेरिकन इम्पीरियलिज्म का जो तरीका है, यह उसकी शुरुआत है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको वैलकम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में खुली बात कहने में संकोच नहीं है। बंगला देश की घटना के पहले अन्य कई एमरजेंसी का विरोध कर रहे थे। यह कहा जा रहा था कि इन्दिरा जी का स्टण्ट है। इस खतरे की गम्भीरता को अहसास नहीं किया जा रहा था। लेकिन बंगला देश की घटनाओं के बाद से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह अहसास किया गया। 26 जून के कदम ने बंगलादेश की घटनाओं को होने से पहले ही यहां रोक दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी मुझे पोलैण्ड जाने का अवसर मिला। वहां पर 70 देशों के लोग आये थे। मैं जिन जिन लोगों से मिला, उन्होंने इन्दिरा गांधी के इस कदम की बड़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि आपकी प्रधान मंत्री ने बंगला देश की घटनाओं से पहले ही सही कदम उठा लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बंगला देश की घटनाएं, और जिस स्थिति की ओर राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है, वह बहुत गम्भीर है और वह उससे भी ज्यादा गम्भीर है जितना कि 26 जून को था। मैं निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय ने संकेत किया जैसा कि कोमागाटामारूनगर में कांग्रेस के 75 वें अधिवेशन में हुआ राजनैतिक रेजूलूशन में प्रधान मंत्री ने अपने भाषणों में साफ तौर से संकेत किया है। इस देश के अन्दर जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति के अन्दर यह हमारे जनसंघ, आर. एस. एस., स्वतन्त्र पार्टी और भारतीय लोक दल आदि यह सब लोग मिले हुए हैं। यह सी. पी. एम. के जो नक्सलाइट लोग हैं, यह उनके साथ में नक्सलाइट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यह सारी स्थिति है। यह हमारे देश की विशेषता नहीं है बल्कि यह आज हमारे देश के सामने उस रेजूलेशन में साफ तौर से कहा गया है। आज देश के सामने बाहर के और भीतर के, बाहर इम्पीरियलिज्म का प्रतिक्रियावादी शक्तियों और फासिस्टवादियों के रूप में जो भीतर रहते हैं, उनके साथ सीधा सामंजस्य है तालमेल है। एक ही रण नीति के उनके जो हिस्से हैं, देश के अन्दर जिनको वह प्रेरित कर रहे, इसलिए प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमारे देश के सामने आजादी आने के बाद इससे बड़ा गम्भीर खतरा उत्पन्न नहीं हुआ जितना खतरा आज हमारे सामने है। एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान। दूसरी तरफ चीन। यह तीनों अपनी विश्व राजनीति के आधार पर, अमेरिकी इम्पीरियलिज्म की डिसेन्ट्रलाइजेशन की नीति को कायम कर पाकिस्तान को मोहरा बना रहे हैं। चायना को मोहरा बना रहे हैं। बंगला देश में यह आरम्भ कर रहे हैं। अरब सागर में हथियार बन्दी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान को हथियार दिये जा रहे हैं। एक स्टेट की घेरा बन्दी, हमारे देश के खिलाफ यह तीनों बड़े बड़े देश इस तरीके से कर रहे हैं। इसलिए आज मैं यह कहना चाहूंगा जिस तरह से हमारे देश के अन्दर फासिस्टी खतरे को कम आंकने की कोशिश की गई, उसी प्रकार से इस विदेशी खतरे को कम आंकने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश के सामने खतरा है। अन्दरूनी फासिस्ट शक्तियों का खतरा है। यह तो केवल उनके एजेण्ट के रूप में काम कर रहे हैं। वह खतरा अमेरिकी इम्पीरियलिज्म के रूप में है। वह पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाना चाहता है। आज सोवियत यूनियन हमारा दोस्त है। वह दुश्मन का दोस्त दुश्मन मानते हैं। इसीलिए अमेरिकी इम्पीरियलिज्म से मजबूती से नहीं लड़ते। हमारे सी.पी.एम. वाले हैं जो चायना की तारीफ करते थे। वह कहते थे कि चायना रिवोल्यूशनरी है। इस देश की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सहायता करने वाला है। रूस कमजोर पड़ गया है। अब सी. पी. एम. वालों की क्या राय है ?

श्री मोहरसिंह : आप बोलिये, बोलिये…

श्री रामानन्द अग्रवाल : शेख मुजीब के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में जायें। आज चूंकि हमारे देश के ऊपर 1 लाख 80 हजार की फौज हमारे बार्डर पर जमा की है। हमारे लोगों को मारकर वापिस लड़ाई के लिए प्रवोक किया।

(12.30 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

जो इस बात की कोशिश कर रहा है, उसके लिए कहते है कि चायना क्रान्तिकारी कार्य कर रहा है। वे फोर्ड के साथ आज गले के साथ गला मिलाकर मिलते हैं और कहते हैं कि अपनी फौजें यहां से मत ले जाओ. रूस से लड़ो. फार्मोसा को लेने की चीन की हिम्मत नहीं है आज, हांगकांग को ब्रिटेन से मुक्त नहीं करा सकते हैं। उस फासिज्म से वे आजाद नहीं कर सके जिन्होंने हमारे देश में गोआ दमन दियू पुर्तगाल से छुड़ा दिया। आज चीन और पाकिस्तान बंगला देश में खुराफात करते हैं और हमारे देश के बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर अमरीका, चीन और पाकिस्तान हैं और उन्हीं के पहलू हमारे देश में जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी, मार्क्सवादी और नक्सलवादी सारे के सारे हैं। विडंबना है कि जो जनसंघ, जो पाकिस्तान के विरुद्ध केवल मुस्लिम देश होने के नाते इतना रोष प्रकट करता था, आज वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मोहरा होकर इस देश में बैठा हुआ. बंगलादेश के अंदर जो घटनायें हुई, उनकी रिपीटिशन हिंदुस्तान में उम्मीद करके, वह अपने राजनैतिक भविष्य की आशा कर रहा था। गठजोड़ अमरीका, चीन और पाकिस्तान के साथ कर रहा था। हमारे देश में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी इस प्रकार की जनवादी शक्तियां एक ओर हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर तमाम शक्तियां जो समाजवादी देश सोवियत यूनियन और दूसरे समाजवादी देश चाहे क्यूबा हो चाहे वियतनाम हो चाहे मारकोडिया हो, तमाम देश जो आजाद हुए हैं, वे एक खेमे में है, अमरीकन इम्पीरिलिज्म और फासिज्म के खिलाफ खड़े हैं। हमारे मित्र मार्क्सवादी पार्टी के लोगों में भारत सरकार के मूल्यांकन के बारे में हमसे मतभेद थे। उनका कहना है कि यह सरकार तो पिछलग्गू है, अमरीकन इम्पीरियज्म की पिछलग्गू है। मैं उनसे कहूंगा कि आंख पर पट्टी बांधने की कोशिश न करें। वास्तविकता क्या है ? उस पर पुनःविचार करें। क्या सी.पी.एम. का रुख है ? जो चीन और नक्सलवाद व अमरीकन इम्पीरियलिज्म है उससे लड़ें या कांग्रेस के 85 वें अधिवेशन में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है या भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का रुख है या रूस का रुख है अमरीकन इम्पीरियलज्म और फासिज्म से लड़ने का हम उनका साथ दे रहे हैं ? इस बात को हम समझने की कोशिश करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस रूप में इस कमी जो वाहर और भीतर है उस खतरे से सावधानी बरतें,

Page No 37

(37)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उस खतरे का मुकाबला पोलिटिकल तौर पर करें। इसी संदर्भ में, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जो पिछले दिनों में कार्य किए गए हैं, उनका आब्जेक्टवली मूल्यांकन करना चाहता हूँ और राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में अपनी बात की है, उसके मूल्यांकन के बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इस संदर्भ में, इन जिम्मेवारियों में जो हम पर हैं बाहरी और भीतरी खतरे का मुकाबला करना राजनैतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, इसका हमने अमल कैसे किया है ? किस हद तक हम इस अमल को पूरा कर पाए हैं, कहां हमारी कमजोरी रही है उस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ।

हमारा मूल्यांकन यह नहीं है कि जो कुछ विरोधी पार्टियां कहती हैं या समझती हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, इससे क्या होने वाला है और अगर है तो सरकार कुछ करने वाली नहीं है। इसलिए जो कुछ हुआ है वह कुछ नहीं हुआ है, न ही हमारा मूल्यांकन इस प्रकार का नकारात्मक है, बहुत से लोग ओवर-एन्थ्यूजिएज्म कर देते हैं कि इससे समाजवाद कायम हो रहा है, क्रांति हो जाएगी और सारे कार्यक्रम को हमने राजस्थान में पूर्ण कर दिया है। हमारा मूल्यांकन यह भी नहीं है। हम महसूस करते हैं कि इस अर्से में हमारी कुछ उपलब्धियां हैं जिन पर गर्व कर सकते हैं। हम यह भी महसूस करते हैं कि इस पीरियड में हमारी कुछ कमजोरियां रही हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए और जहां हमारे अमल में कमजोरी हैं उसकी दुरुस्ती करके ठीक करें जहां हमारी नीतियों में कमजोरी है उनमें चेंजिग करने का प्रयत्न करें। इसी दृष्टि से हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें संदेह नहीं कि इस 20 सूत्री कार्यक्रम में जो प्रधान मंत्री ने घोषणा की यह यद्यपि कोई समाजवाद का कार्यक्रम नहीं यद्यपि देश में पूरी क्रांति का कार्यक्रम नहीं लेकिन निश्चित रूप से यह देहातों के अन्दर ऐग्रेरियन रेवोल्यूशन का कार्यक्रम अवश्य है। इस बात को हम और हमारी पार्टी महसूस करती है। हम मानते है और प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि यह प्रोग्राम आखिरी डोज नहीं है, यह पहली किश्त है जो दूसरे प्रोग्राम को जनरेट करेगी। इसलिए इस बात के लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है अलबत्ता जो देश के धन्ना सेठ थे, पूंजीपति थे उन पर साथ साथ चोट की जाती तो इस समय जो उपलब्धियां हासिल कर पाए हैं उनसे ज्यादा कर सकते थे लेकिन फिर भी जो कार्यक्रम है उससे काफी उपलब्धियां हुई हैं और इससे हम आगे बढ़ सके हैं, यह हमारी मान्यता है। हम समझते हैं कि इस 6 महीने के अर्से में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है और जहां एक ओर नेचर ने साथ दिया अच्छी बारिश होने का श्रेय भी है, वहां हम सरकार के प्रशासनिक कदमों को भी उसका अंग और महत्वपूर्ण प्रभावशाली अंग मानते हैं। उदाहरण के लिए क्रेडिट स्कुईज है, होर्डर्स के खिलाफ कैम्पेन है, ब्लैक मार्केटीयर्स को पकड़ने की बात है, तस्करों को पकड़ने की बात है। इस तरीके से ये जो कदम उठाए गए हैं, निश्चित तौर से एक तरफ मनी सप्लाई कम हुई दूसरी तरफ सप्लाई आफ गुड्स ज्यादा हुई, तीसरा उनकी होर्डिंग कम हुई।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, इन चीजों से काफी स्थिति में तब्दीली आई है। उपाध्यक्ष महोदय, यही चीजें जब हम पहले कहते थे तो हमारे कांग्रेसी भाई यह कहा करते थे कि बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, हमारे मंत्रीजी सदन में कहा करते थे कि अकाल और बारिश नहीं होने के कारण यह नुकसान हो रहा है। मैं मानता हूं कि अकाल पड़ता था उससे नुकसान होता था। लेकिन आज जो प्रशासनिक कदम उठाये गये हैं जिसमें होर्डर्स को पकडा गया है, होर्डिंग को बन्द किया जा रहा है, तस्करों की धरपकड हो रही है जिनके खिलाफ में एक्शन लिया गया है काले धन के खिलाफ में कार्यवाही की जा रही है जिससे भावों में रोकथाम हुई है। कमी हुई। यह एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है। अब वही लोग कहते थे इस सदन में वह मान गये कोई बात नहीं देर आये दुरुस्त आये अब भी अगर इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय तो काफी सुधार हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, कीमतों में गिरावट आना यह एक अपने आप में बहुत बड़ा एचिवमेंट है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर राज्यपाल महोदय ने प्रोक्योरमेंट के बारे में कहा है कि प्रोक्योरमेंट में काफी तरक्की हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब हम कहते थे तो हमारे यही सरकारी और राज्य सरकार प्रोक्योरमेन्ट करने से कतराते थे। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने लक्ष्य से अधिक प्रोक्योरमेन्ट कर लिये हैं। उन्होंने बताया है कि हमने दो लाख टन से भी अधिक प्रोक्योरमेन्ट कर लिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बावजूद राजनैतिक विरोधियों के भी हमने यह एक बहुत अच्छा एचिवमेंट किया है। यह जो कदम राज्य सरकार ने उठाया वह उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो भूमि सुधार के कार्यक्रम किये हैं जो भूमि सुधार किये हैं वह भी बहुत अच्छे किये हैं। थोड़े से समय में इस कार्यक्रम के प्रति काफी प्रगति की गयी है। हालांकि जितनी अखबारों में आती है उतनी से काम नहीं चलने वाला है। जो अखबारों में कहा जाता और हिन्दुस्तान में अपने को नम्बर वन प्रान्त कहना व अखबारों में वाह वाही लूटना अलग बात है इससे एक बात का खतरा यह भी रहता है कि इससे कोम्प्लीमेन्सी बढने का डर रहता है इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे यहां पर तेजी से भूमि सुधार किये हैं, भूमि सुधार के जो मुकदमे पैंडिंग पड़े थे आज बरसों से उन्हें तेजी से तय किये जा रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है जो सीलिंग कानून हमने सन् 63 में पास किया था और जो जमीन उस वक्त एक्वायर कर ली जानी चाहिये थी वह चाहे कोई कारण रहा हो इसमें चाहे राजा महाराजाओं का इन्फ्लुन्स हो या और कोई राजनैतिक कारणों से वह सीलिंग कानून सन् 63 से आलमारी में बन्द पडा हुआ था। वह 26 जून के बाद बाहर निकला और मुझे खुशी है कि सीलिंग कानून पर जोरों से अमल किया जा रहा है। आज उसी का नतीजा है कि हमारे अलवर में विजयसागर बान्ध की मोरियों को खोल दिया गया है जिससे काश्तकारों को बहुत भारी फायदा हो रहा है। आज जिस जमीन पर राजा महाराज लोग, यह बड़े इजारेदार, और धन्ना सेठों ने जमीनों पर कब्जे कर रखे थे उनसे वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जमीनें वापिस ली जा रही हैं। हम अखबारों में पढते हैं कि फला राजा की इतने हजार बीघा जमीन राज्य सरकार ने अवाप्त कर ली वह एक स्वागत योग्य कदम है। इस प्रकार का सबसे पहले हमारे अलवर में हुआ था मैं समझता हूं कि इस प्रकार राजा महाराजाओं की जमीन को लेकर भूमिहीनों में जो बांटी गई है वह हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि हमारी राज्य सरकार की इस कार्य के लिये काफी प्रशंसा हमारे देश में हो रही है और होनी भी चाहिए। हर अच्छी चीज की प्रशंसा होती है। इसका हमें ऐतराज नहीं क्योंकि अकेले अलवर में 88 हजार बीघा जमीन 26 हजार किसानों में बांटी गई। यह एक बहुत बडा एचिवमेन्ट है। यह एक नोवल तरीका था। इसी प्रकार राज्य सरकार ने सवाई माधोपुर जिले में व राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट व चम्बल प्रोजेक्ट के एरिया में इस थोड़े से पीरियड में काफी जमीन लेकर गरीबों में बांटी गई है। लोगों को कब्जा दिया गया है इसी प्रकार कब्जा रहन वगैरहा में जो दस वर्ष का प्रोविजन था उसका पांच साल ही कर दिया है यह एक स्वागत योग्य कदम उठाया है। इसी प्रकार बन्धक मजदूरी के बारे में कानून बनाया है, सागड़ी प्रथा को समाप्त करने के बारे में काफी कदम उठाये है, साहूकारों का कर्जा माफ कराया है। गांवों में गरीबों को मकान देने के बारे में शहर में भी गरीबों को मकान देने के बारे में राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं। इसी प्रकार कोटा के शाहबाद तहसील में सहरिये लोगों को जमीन देकर उनके विकास के बारे में एक बहुत बड़ा भारी स्वागत योग्य कार्य किया है यह एक सही और अच्छा कदम है। एक इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी बनायी गई है। जो कि गरीब लोगों का विकास करने में विश्वास रखते हों जो 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने में आस्था रखते हों उन्हीं तमाम लोगों को लिया गया है जो कि उसका अमल करेंगे। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा चाहे वह कोई कांग्रेसी हो या चाहे कोई भी हों, जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अमल में विश्वास रखते हैं उन्हीं को उसमें रखा जायेगा और जो नहीं रहते हों उनको बाहर कर दिया जायेगा। जैसा कि मैं अभी थोड़े दिन पहले ए. आई. सी. सी. के जनरल सैक्रेट्री से मिला था उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि जो भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अमल में विश्वास नहीं रखेंगे उन्हें नहीं रखा जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोडा मैं उन बातों को निवेदन करना चाहूंगा जिनमें कुछ कमजोरियां हैं। यह सही है कि जहां कुछ अच्छे कदम उठाये हैं कुछ कमजोरियां भी रह सकती हैं। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार ने प्रशासन में सुधार किये हैं उसमें कुछ चुस्ती लाने के लिए कदम उठाये हैं इसमें जो अकुशल कर्मचारी थे जो भ्रष्ट थे उन्हें अनिवार्य सेवा मुक्ति दी गई है। लेकिन इससे उतना असर नहीं हुआ जितना होना चाहिए। इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। यह एक सही दिशा में कदम है पर इसका अन्त यही नहीं हो जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमने आर्थिक उन्नति के लिए कुछ आर्थिक और राजनैतिक कदम उठाये हैं। हालांकि आर्थिक और राजनैतिक सुधार के लिये हमें संघर्ष करना पडा है। इसमें इस थोड़े से पीरियड में वह तमाम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लोग जो कि शान्ति के प्रति क्रान्ति करने के लिए लगे हुए थे उसका हर तरह से मुकाबला करने की आवश्यकता है। यह भी हुआ है कि हमारे यहां पर कुछ लोगों को जनता के हित में गिरफ्तार किया है कुछ पार्टियों पर प्रतिबन्ध भी लगाया है यह एक सही कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर सरकार ने उन सभी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ में आन्दोलन किया है इसमें न केवल कांग्रेस के लोग ही बल्कि राज्य सरकार ने भी फासिस्ट विरोधी अभियान में काफी दिलचस्पी ली और यही कारण है कि हमारे यहां पर देश में एक नया राजनैतिक वातावरण बना। देश म नये जन जागरण की भावना पैदा हुई। जनता को जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन की असलियत का पता लग गया जयप्रकाश नारायण और अमेरिकी फासिस्ट ताकतों के खिलाफ, अमेरिकन इम्पीरियलिज्म के खिलाफ में संघर्ष किया। इससे फासिस्ट ताकतों की पोल खुल गई और देश में एक नया राजनैतिक वातावरण बना।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : और भी दूसरे लोग बोलने वाले हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल ही अध्यक्ष महोदय से बात करली थी उन्होंने मुझे इजाजत दे दी थी। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कमजोरियों के बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि आज मेरा दल और मैं महसूस करते हैं चूंकि हमें अगर सही मायने में 20 सूत्री कार्यक्रम पर सही रूप में अमल करना है राजनैतिक और आर्थिक स्थिति देश में लानी है तो हमें उन्हें दूर करना होगा। मैं इसमें राज्य सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूं मेरा मकसद राज्य सरकार को एक सच्चे दोस्त की हैसियत से उन कमजोरियों को दूर करने के लिए व आर्थिक कार्यक्रम को सही ढंग से लागू करने के लिये जैसा कि राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कुछ संकेत दिया था उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक बात आर्थिक व्यवस्था के बारे में कही गई और उसमें बहुत अधिक विश्व बैंक से मदद लेने की बात के बारे में। आज राजस्थान के 20 जिले हैं जैसे राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत गंगानगर और बीकानेर जिला, चम्बल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कोटा बून्दी जिले और डेजर्ट डेवलपमेंट के नाम पर 10 जिले और डेयरी डेवलपमेंट के नाम पर 6 जिले जिसमें हमारा जिला भी है। तो हमारी सरकार ने जो विश्व बैंक से करार किया है जिस प्रकार का कान्ट्रेक्ट किया है वह ऐसा है कि हम विश्व बैंक की मदद के ऊपर ही आधारित हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस खतरे का संकेत राज्यपाल महोदय ने किया हैं जिस खतरे का संकेत हमने फासिस्ट विरोधी सम्मेलन में हर जगह सब जगह किया है, मुख्य मंत्रीजी ने भी किया है, जिस खतरे की घन्टी बजने वाली है, उस खतरे को उत्पन्न करने वाला अमरीकी साम्राज्यवाद है इस बात को सब मानते हैं। 75 के अधिवेशन में, अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्ताव के बाद, प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि अमरीकी साम्राज्यवाद, बाहर चाहे डिप्लोमेटिक तरीके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के कारण न दिखता हो, लेकिन हमारी देश की जनता पूरी तरह से इसको जान चुकी है और हमारी प्रधान मंत्री ने बार-बार कहा है, बार-बार चेतावनी दी है "मोर एण्ड मोर विजिलेन्स"। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से और सत्ताधारी दल से कि जिस वक्त विश्व बैंक से यह करार किया उस वक्त यह खतरा मौजूद नहीं था, उस वक्त विश्व की राजनीति में अमरीकी साम्राज्यवाद का इरादा प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन अब कोई नकाब नहीं रह गया है और विश्व बैंक का मतलब सफतौर पर अमेरिकी इम्पीरियेलिज्म है। इस विश्व बैंक के सदस्य साम्राज्यवादी देश हैं और 70 परसेन्ट वोटिंग उनके पास हैं, उनकी ताकत है और नया कोलोनियलिज्म लागू करने की दृष्टि से यह विश्व बैंक का रूप लागू किया गया है। पोलैंड, चैकोस्लेवेकिया, क्यूबा पहले इसके सदस्य थे। वे बाहर निकल गए इसलिए कि अपने देशों में हैं वे समाजवाद लागू करना चाहते इसलिये उनको लोन नहीं दिया जावेगा। यह विश्व बैंक के जरिये से लोन के नाम पर राजनीति तय करना चाहता है अमेरिकन इम्पेरियेलिज्म। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ से सम्बन्धित है अवश्य लेकिन पूरी तरह से, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेन्शियल रिसोर्सेज, पूरा कन्ट्रोल अमेरिकन इम्पेरियेलिज्म के हाथ में है और जिस तरीके के करार किये हैं उसके कारण तमाम हमारे बोर्डर्स पर उनको जाने के अधिकार हैं। सदन में यह मैं पहले रख चुका हूं और अब उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री ने भी बाहरी खतरे का उल्लेख किया है, विशाखापट्टनम में जाकर समुद्री खतरे की ओर इशारा किया है तो वह खतरा सीलोन से नहीं है मालद्वीव की ओर से नहीं है लेकिन वह अमेरिकन इम्पेरियलिज्म की ओर से जो डियोगोगार्शिया में अड्डे बना कर पैदा कर रहा है। फिर क्यों पैसे की मदद लें? और सारे पाकिस्तान के साथ मिलने वाले बोर्डर पर उनको जाने की इजाजत दें। जिस पाकिस्तान को दूध पिला-पिला कर मोटा कर रहा है, चीन इसको फुसला रहा है, उस सूरत में अमेरिकन इम्पेरियेलिज्म को चाहे यह वीरान बोर्डर ही हो, वहां जाने की इजाजत दें, छूट दें, इस स्टेटिक पोजिशन पर जाने की छूट दें, जहां 70 की लड़ाई में पाकिस्तान ने रामगढ़ में पहुंचने की कोशिश की, भूगोल की जिनको पूरी जानकारी थी, वह तो हमारे हवाबाजों ने हिम्मत से हमला कर दिया वरना वे जैसलमेर पर जाकर कब्जा कर लेते।

आज यह प्रश्न किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है। देश की रक्षा का प्रश्न है। देश को साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद से बचाने का प्रश्न है। इस दृष्टि से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन तमाम प्रश्नों का, विश्व बैंक से यह सहायता जिसके विषय में इतना उल्लेख किया गया, न जाने कब अमेरिका से हमारे क्या सम्बन्ध रहें, एक तरफ हमला करने की साजिश कर रहा है, आप भूल गये, पाकिस्तान से युद्ध के समय उसने पुर्जे देना हमको बन्द कर दिया था, तेल देना बन्द कर दिया था, हमारे हवाई जहाज पाकिस्तान पर हमला

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करने के लिये जा चुके थे लेकिन उसने रुकवा दिया। अब उनकी नीति बदल गयी है। राजनीति में साम्राज्यवादी नीति बहुत आगे बढ़ गयी है। आज अमेरिका दुश्मनों की श्रेणी में नम्बर एक पर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सरकार और कांग्रेस दल से कि वह अमेरिकी साम्राज्यवाद और फासिस्टवाद के पंजों से निकल आये और हिम्मत के साथ गंभीरता के साथ इस पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके, आपको भी कोई खास मोहब्बत अमेरिका से नहीं है आप भी अपने देश की, प्रान्त की तरक्की करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यही भावना आप में और मुझमें भी है और हर राजस्थान वासी में है लेकिन विकास के नाम पर देश की आजादी को खतरे में डाल कर कोई खतरा मोल लिया जाय यह नहीं हो सकता और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह इमरजेन्सी लागू होने के बाद जहां इस बात की मांग की गयी थी कि अमेरिकी साम्राज्यवादी साजिश सबसे ज्यादा प्रान्तों में होती है उस पर रोक लगायी जाय। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो तथ्य सामने आये हैं इस पीरियड में वह यह है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद की सबसे अधिक हमारे प्रान्त में गतिविधियां बढ़ी हैं। जहां पहले रोक दी गयी थी किन्तु विरोधी शक्तियों के द्वारा उनको खुला मौका दिया गया।

6 और 7 दिसम्बर 75 को क्लार्क आमेर होटल में अमेरिकी एम्बेसी में जो कौंसिलर हैं मि. रोशक, उनके द्वारा पहल करने पर एक एजुकेशनल कान्फ्रेन्स बुलायी गयी। इसमें राजस्थान के तीनों वाइस चान्सलर और दूसरी स्टेट के वाइस चान्सलर भी वहां पर आमन्त्रित किये गये। दो दिन तक गोष्ठियां चलीं, 6 और 7 तारीख को। बाहर से आने वाले लोगों का, हवाई जहाज से आने जाने का खर्चा अमेरिकन एम्बेसी की ओर से किया गया। उनको वहां ठहराने का खर्चा, क्लार्क आमेर होटल में ठहराने का खर्चा उस तमाम खर्च की जिम्मेदारी अमेरिकन यू एस.आई.एस. डिपार्टमेन्ट की थी। मेरी जानकारी के अनुसार अगर इस प्रकार की एजुकेशनल कान्फ्रेन्सेज बुलायी जाती हैं उस कान्फ्रेंस में 12–15 अमेरिकन एजुकेशनिस्टस, विशेषज्ञों का नाम आये, मेरी जानकारी के अनुसार अगर कोई ऐसी कान्फ्रेन्स, नियमों में यह है बुलाई जाती है तो वह यू.जी.सी. के मार्फत बुलायी जाती है, उनकी ओर से ही स्पोन्सर की जाती है, मेरी जानकारी के अनुसार यह कान्फ्रेन्स इस प्रकार की एजेन्सी के द्वारा, यू.जी.सी. के द्वारा नहीं बुलाई गयी अथवा जो करार अमेरिका और हमारे बीच में है उसके अनुसार काल नहीं की गयी लेकिन अमेरिकन एम्बेसी के यू. एस. आई. एस. डिपार्टमेंट की ओर से इन्वाइट की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात छिपी हुई नहीं है। हर्षदेव मालवीय जी की किताब "सी.आई.ए. इन इन्डिया" आपने पढ़ी होगी। आपको कामागाटामारू में भी मिली होगी। पटना में भी मिली होगी। उसमें उन्होंने

Page No 43

(४३)

(श्रीरामानन्द अग्रवाल)

बताया है कि किस तरह से अमेरिकन सी. आई. ए., अमेरिका के एम्बेसेडर्स हैं वे सी. आई. ए. के बड़े अफसर होते हैं, सी. आई. ए. रखती है, सी. आई. ए. के इम्पोर्टेन्ट लोग एम्बेसीज में रहते हैं। एजुकेशनिस्ट्स के नाम पर सी. आई. ए यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कोलर्स के रूप में भेजती है, हर्षदेव मालवीयजी ने यह अच्छी तरह से लिखा है। एक. मि. स्मिथ हैं। सी. आई. ए. पर किताब लिखी है और उसमें बताया है कि अमेरिका के सी. आई. ए. के लोग इम्पोर्टेन्ट पोस्टों पर मौजूद हैं। इस तरीके से यह अमेरिकन सी. आई. ए. आपरेट करती और यू. एस. ए. के जरिये कान्फ्रेन्स की गई और यह कान्फ्रेंस ही नहीं जिस राजस्थान यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने एक मत से यह प्रस्ताव पास किया था जब 1971 में अमेरिकन साम्राज्यवाद ने अपने सातवें बेड़े की हमको धमकी दी थी तो यह प्रस्ताव पास किया गया था कि इस यूनिवर्सिटी से कोई भी टीचर, कोई भी स्कालर बन कर वहां नहीं जायगा और इतना ही नहीं किसी अमेरिकन को गेस्ट के रूप में भी नहीं बुलायेगा। उस सबकी अवहेलना करके 200वीं उनकी स्वतन्त्रता की वर्षगांठ मनाने के नाम पर इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमारे वाइस चान्सलर महोदय ने पिछले नवम्बर के महीने में जो 18 डिपार्टमेंट हैं इनमें यू. एस. ए. की फिल्में जो अमेरिकन एम्बेसी द्वारा स्पोन्सर्ड थी अपने हर एक डिपार्टमेन्ट में दिखाई और जिन फिल्मों में मुझे बताया गया है कि हमारे सबसे पक्के साथी यू. एस. एस. आर जो हमारे साथ थे डाइरेक्टली और इन-डाइरेक्टली उस पर एप्रिसिएशन-खराब रिमार्क्स कास्ट किये गये हैं जैसे सोसलिस्ट देश खराब हैं, उनकी लीडरशीप को, उनके सिस्टम को खराब बताया गया है और यह सब कुछ इस नवम्बर के महीने के अन्दर हुआ है। और उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हमारे वाइस चान्सलर महोदय ने सेन्ट जेवियर स्कूल में इन्हीं अमेरिकन एम्बेसी द्वारा प्रोवाइड पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई और जब इस अमेरिकन भक्ति से सन्तोष नहीं हुआ तो फिर 23-12-75 को हमारे वाइस चान्सलर महोदय ने अपने यूनिवर्सिटी के खर्चे पर, अपने रेजिडेन्स पर एक दावत दी जिसके अन्दर वही अमेरिकन एज्युकेशनिस्ट को बुलाया गया और वे मिस्टर रोशे उनको भी बुलाया गया। इसके अलावा एक बहुत सन्देहजनक व्यक्ति डा. रुडोल्फ और जिस सोर्सेज से जानकारी करने की कोशिश की है उनके निकट के सम्बन्धी डा. रुडोल्फ भी सम्मिलित थे और अगर यह आफिसियल तौर पर होती तो यूनिवर्सिटि के और भी टीचर्स को बुलाया जाता लेकिन और टीचर्स को नहीं बुलाया गया, जो केवल अमेरिकन लोगों के हैं उन प्रोफेसर्स को ही बुलाया गया और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है जो मुझे जानकारी करने पर मालूम हुआ है–इस सदन में कहने से पहले मैंने पुष्टि कर ली है उस दावत में हमारे××× भी शामिल थे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज··· आर्डर प्लीज···

श्री रामानन्द अग्रवाल : और उस दावत में डी. आई. जी., पुलिस भी शामिल हुये···

×××शब्द अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से निकाले गये।

Page No 44

(४५)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, XXX के सम्बन्ध में आप जो कहना चाहते हैं···

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने केवल एक तथ्य बताया है···

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो–आप XXX के बारे में इस तरह नहीं कह सकते हैं। और मैं इसे आज की कार्यवाही से एक्सपंज करता हूं।

एक माननीय सदस्य : एक्सपंज कराया जाय···

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ये जो मिस्टर रुडोल्फ हैं कहने को तो एक पालिटिकल स्पोन्सर्ड के रूप में पालिटिकल थिसिस लिखने के बारे में आये हैं और एक मिलिटरी तरीके की थिसिस तैयार कर रहे हैं और मुझे मालूम हुआ है उन्होंने अभी एक मीटिंग और बुलाई थी जिस मीटिंग में उन्होंने एक्स मिलिटरी मेन लोगों से सम्पर्क किया है। मिस्टर रुडोल्फ की अमेरिकन इम्पीरिलिज्म लोगों से सम्पर्क कायम करने को जिस तरह की नोटोरिटी है उससे आप भलीभांति परिचित हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में गवर्नमेन्ट गंभीरता से जांच करें और इस प्रकार की एक्टीविटि को रोकने का प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप समाप्त करें। आपके दल के लिये जो समय निश्चित था उसमें केवल एक–दो मिनिट का समय है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं केवल इस बुनियाद पर चला कि···

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास अध्यक्ष महोदय के इस आदेश के अलावा और कोई आदेश नहीं है इसलिये अब आपके दल का एक–दो मिनिट का समय ही बचा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे 15 मिनिट का समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : विधिन फाइव मिनिट। आपको हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिये बाद में भी समय मिलेगा।

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री मीठालाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय चेतराम जी बोलेंगे, उनको टाइम दे दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक आर्थिक कार्यक्रम की बात है उसके सम्बन्ध में जो अचीवमेन्ट्स हैं उसके लिए मैं कुछ बातों की ओर संकेत करना चाहूंगा जैसे भूमि का अलाटमेंट अलवर और सवाई माधोपुर में हुआ है लेकिन इसके अलावा 8 और जिलों की घोषणा की गई थी और फिर सारे राजस्थान में करने की बात कही गई थी लेकिन आज स्थिति यह है कि गोचर भूमि को अलाट करने के बारे में भू-पतियों ने विरोध कर रखा है तो मेरा यह निवेदन है कि उस दिशा में यह कदम अधूरा पड़ा है और जो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, उसको

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से निकाले गये।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पूरा करना ही चाहिये। भूमिहीनों के लिए सिलिंग का कानून जिसमें काफी अमेन्डमेन्ट्स की जरूरत है वह किया जाना चाहिये। इसी तरह जिन राजाओं की जमीन ली गई है, जिस कानून की शुरूआत की गई है वह अच्छा कानून है लेकिन इसमें अभी 20 प्रतिशत ही जमीन आ पाई है–80 प्रतिशत बाकी है। एक लाख 74 हजार है जिसमें अभी केवल 20 हजार ही ली गई है तो उस दिशा में भी कदम उठाने की आवश्यकता है।

जहां तक हरिजन वर्ग के बारे में 20 सूत्री कार्यक्रम में कहा गया है उस दिशा में अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है और भारत सरकार ने जो बात कही थी उस दिशा में कोई मामला अभी आगे नहीं बढ़ा है। केवल एक अपेक्स बाडी बना कर मामला खत्म कर दिया गया है और कोई बात नहीं की गई है–उस दिशा का भी मैं संकेत कर देना चाहता हूं।

छंटनी का एक बहुत बड़ा दौर हमारे राज्य में चला। सवाई माधोपुर में 6 हजार आदमी बेकार हो गये, स्पिनिंग मिल में 400 लोगों को निकाल दिया। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस दौरान में यह जो नौकरशाही है इसकी शक्ति बहुत बढ़ी है जिसकी वजह से इस इमरजेन्सी का दुरुपयोग हुआ है। चाहे सरकार की तरफ से सही आर्डर्स निकाले गये हों लेकिन उसका अमल इस तरह किया गया है कि उसकी बुराई सरकार को मिले। आपने कहा कर चोरों को पकड़ो तो इन्होंने छोटे–छोटे लोगों की गर्दन पड़क ली, बड़े जो वास्तविक टैक्स चोर हैं उनको नहीं पकड़ा। इस तरह कानून को अमल करने की कोशिश की गई है जिससे सरकार बदनाम हो। आम जनता पर डेमोक्रेटिव जो अधिकार हैं उन पर पाबन्दी, अंकुश लगाने की कोशिश की गई है जो किसी तरह वाजिब नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना चाहिये जो सेन्सरशिप, कान्फ्रेन्स, पर्चे नहीं निकालने देने के बारे में किया गया है, यह वाजिब नहीं है। कोई इलोक्टोरल यह कहे कि हमें इजाजत दी जाय तो उनको यह कहा जाय कि आपको इजाजत देनी पड़ेगी तो जो जय प्रकाश जी के समर्थक हैं उनको भी देनी पड़ेगी–यह पेरेटि का क्वेश्चन बड़ा अजीब है।

मैं यह समझता हूं कि अगर हमें फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें डेमोक्रेटिक राइट्स देने चाहिये ताकि एक्टीविटीज से हम आगे बढ़ें और जनता के डेमोकेटिक विजिलेन्स को आगे बढ़ायें। हमने एन्टी–फासिज्म कान्फ्रेन्सेस की है और उससे जनता का मनोबल बढ़ा है चाहे वह स्टूडेन्ट्स की हो, चाहे टीचर्स की हों और चाहे कर्मचारियों की हो। इस सब को इस प्रकार से करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और माइनोरिटीज के प्रश्न के बारे में विशेष तौर पर मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक सम्मेलन यहां पर बुलाया गया और सम्मेलन में भी कुछ बातें सामने रखी गई हमारी पार्टी की ओर से। इस बात को साफ कहा गया है कि माइनोरिटीज के सही हकूक मिलें तभी वह डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बन सकती हैं। मसलन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रोजगार के बारे में उनका कोटा निर्धारित किया जाना चाहिये जो उनके अन्दर पिछड़ी हुई जातियां हैं–धोबी हैं, तेली हैं, लुहार हैं और जैसे हिन्दुओं में पिछड़ी हुई जातियां हैं तो मुसलमानों में भी हैं उनको भी उसी में शामिल करना चाहिये। इसके अलावा सिक्खों और ईसाइयों में जो भी इस प्रकार की पिछड़ी हुई कौमें हैं उनको भी इस सूची में शामिल किया जाना चाहिये। वह हिन्दुओं की ही मानोपाली नहीं होनी चाहिये। सभी आर्थिक आधार पर जो पिछड़ी हुई जातियां हैं और जो उनको फायदा मिलता है वह इनको भी मिलना चाहिये।

दूसरे भाषा के संबंध में निवेदन करूंगा उर्दू लैंग्वेज है या सिन्धी लैंग्वेज है या पंजाबी लैंग्वेज है और जहां भी अल्प-संख्यक हैं उनको स्कूलों की सुविधायें, पढाई की सुविधायें, सब प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिये इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमने कार्यक्रम हाथ में लिये हैं इन कार्यक्रमों में चुस्ती तेजी, लगन और सिन्सियोरिटी लाने की आवश्यकता है। जितना काम जिस तेजी से हो रहा है हमारा दल उससे सन्तुष्ट नहीं है दिशा सही है–यह बात सही है। सबसे बड़ा एचीवमेंट यह है कि हमारे प्रान्त में भी राजनैतिक वातावरण गरीबी हटाओ का वातावरण है। आज जो इधर भी बैठे हुए हैं उनको गरीबों की ही बात कहनी पड़ेगी कि हम बीस सूत्री कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं। महारावल साहब भी कहेंगे कि भूमि का बंटवारा होना चाहिये चाहे किसी भी वजह से उनकी भूमि ले ली गयी हो और शायद उन्होंने आना भी पसन्द नहीं किया लेकिन कहना यही पड़ेगा कि देश में गरीबों के पक्ष में, गरीबों को आर्थिक स्थिति उठाने में आज चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों आज बात करनी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का काम हमारा काम है। राजनैतिक विचारों से जो जनवादी एकता है उसको मजबूत बनाने का काम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो गरीबी हटाओ प्रोग्राम को पूरा करने में विश्वास रखते हैं उनको एकताबद्ध करने का काम है और इसमें कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को और भी आगे बढ़ा सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इस प्रकार से मिलकर काम करेंगे और बीस सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश करेंगे जिससे हम वास्तव में इस बीस सूत्री कार्यक्रम को समय से पूर्व पूरा करके दूसरे कामों को हाथ में ले सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जो आमेन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ी हुई हूं। वैसे राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जहां विगत वर्ष की राजस्थान सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है वहीं वह आगामी वर्ष के लिए कुछ संकेत भी देता है, जन आकांक्षाओं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

को और हमारी आशाओं को भी आगे बढ़ाता है। लेकिन इस बार का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण गत वर्ष की उपलब्धियों का थोड़ा बहुत लेखा-जोखा तो अवश्य प्रस्तुत करता है लेकिन आगामी वर्ष के लिए न इसमें कोई संकेत दिया है और न ही कुछ हमें आशायें ही बंधाई हैं। यह बात तो निर्विवादित सत्य है कि देश में जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे थे, जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी उस संब में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के अलावा देश को बचाने का और कोई चारा भी नहीं था। हमारी प्रधान मंत्री ने जिस समय देश में आपात्त स्थिति की घोषणा की थी उस समय पार्लियामेन्ट में कहा था कि इट वाज ए पेनफुल नेसेसिटी और यह बात भी सही है कि आपात्त स्थिति की घोषणा के बाद न केवल देश की सियासी हालत सुधरी है बल्कि माली हालत सुधारने के लिए भी जो हमारी प्रधान मंत्री ने बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम दिया है उसके परिणाम भी कुछ आशाजनक हमारे सामने आने लगे हैं। इस बार राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सर्वप्रथम यह कहा कि आपात्तकालीन स्थिति की घोषणा के बाद में चीजों की कीमतें गिरी हैं और यह कीमतों के गिरने की जो प्रक्रिया है यह चालू है। लेकिन बड़े आश्चर्य के साथ मुझे निवेदन करना है कि फूडग्रेन्स की प्राईजेज तो पिछले साल के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा गिरी हैं, फूड ग्रेन के जो प्रोड्यूस अथवा एग्रीकल्चर प्रोडयूस हैं उनकी भी कीमतें गिरी हैं लेकिन बाकी वस्तुओं की कीमतों में मुझे मार्केट में कहीं भी गिरावट नजर नहीं आती है। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले साल बाजार में जो और चीजों की कीमतें थीं और जैसा कि बहुत प्रसिद्ध विश्व नेता लेनिन ने कहा है कि "फूडग्रेन इज दी करेन्सी आफ आल दी करेन्सीज" लेकिन यह बात अब सत्य क्यों नहीं हो रही है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। फूड्ग्रेन की प्राईजेज के साथ में बाकी चीजों की कीमतें भी गिरनी चाहिए लेकिन वह नहीं गिर पा रही हैं। क्यों नहीं गिर पा रही हैं, उसका क्या कारण है? बाजार में कपड़े की कीमतें कहीं नहीं गिरीं कल जैसा कि सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जनता किस्म के कपड़े का जो कुछ भी उत्पादन हमारी मिलों ने किया है वह या तो बहुत इन्फीरियर क्वालिटी का कपड़ा बनाया है और वह कपड़ों की गांठें अभी तक भी पड़ी हुई हैं और व्यापारी उस माल को नहीं उठा रहे हैं। उसके परिणामस्वरूप मिल मालिक अब चिल्ला रहे हैं कि जब पहले की ही गांठें नहीं उठ रही हैं तो और उत्पादन करने से क्या फायदा।

अभी कुछ दिनों पूर्व अर्थ-शास्त्रियों की भुवनेश्वर में एक कान्फ्रेन्स हुई थी। यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहती हूं कि बड़ी खुशी की बात है कि पिछली बार राजस्थान ने अपनी लेवी के जो टारगेट्स थे वह न केवल शतप्रतिशत ही हासिल किए बल्कि उनको एक्सीड किया। जितना आवश्यकता से अथवा उससे भी अधिक लेवी की वसूली का बफर स्टाक बनाना था यह खुशी की बात है लेकिन लेवी के बारे में जैसा कि भुबनेश्वर में एक कान्फ्रेन्स हुई थी–मैं

(श्री मती सुमित्रा सिंह)

टाइम्स आफ इन्डिया में जो कुछ उसके बारे में आया है उसको पढ़कर सुना देना बहुत आवश्यक समझती हूं। दिसम्बर 31 के टाइम्स आफ इन्डिया में लिखा है।

"Producers" Levy Sytem Inequitous: Economists.

Leading economists of the country participating in the Conference of the Indian Economic Association here have pointed out that the present producers' levy system is inequitous as it has failed to take into account fertility and productivity differences among various regions. They felt that grain procurement should not be confined to surplus districts and States alone."

और भी उन्होंने पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में कहा है:

"About the procurement prices, the economists were of the view that it should be determined on a 'cost plus' basis and not with reference to the market prices."

तो मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहती हूं कि केवल जो हमारे प्रोक्योरमेंट के टार्जेट हैं या हमारी लेवी वसूली के टार्जेट को केवल अचीव करना और इसको अचीव करके या एक्सीड करके ही संतुष्ट हो लें जब कि अर्थशास्त्री स्वयं इस बात को मानते हैं कि लेवी वसूली जो है इसके अन्दर कोस्ट प्लस बेसिस पर तय किया जाना चाहिए। इस बारे में, मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं। वैसे खाद्य मंत्रीजी नहीं हैं, अच्छा होता वे भी इस बात को सुनते। पिछली बार इस प्रदेश के अन्दर काफी बड़े पैमाने के ऊपर जिन लोगों ने लेवी नहीं दी उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई। बात तो ठीक थी, करनी ही चाहिए थी क्योंकि हमने इसे नीति के रूप में स्वीकार कर लिया तो ऐसा किया जाना चाहिए था। लेकिन बड़ा अफसोस है कि खाद्य मंत्री वैसे तो अपने आपको, वही नहीं कहते, हम भी कहते हैं, सारा राजस्थान कहता है, वे माने जाते हैं कि केबिनेट के अन्दर सोशियलिस्टिक विचारधारा के मंत्री हैं लेकिन मैं उनके ध्यान में यह बात ला देना चाहती हूं, पता नहीं उनके ध्यान में है या नहीं कि पिछली बार झुंझुनूं जिले के अन्दर बिरला ने जो सैंकड़ों बीघा पर खेती की। एजूकेशनल इंस्टीयूशन के नाम पर हजारों बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है, उस पर उन्होंने गेहूं की काश्त की। लेवी का नोटिस जब उनको मिला तो उन्होंने लेवी वसूल करने वाले लोगों से कहा कि यह एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसलिए हम आपको लेवी नहीं देंगे। और नतीजा यह निकला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिसर्स ने उस मामले को राज्य सरकार के पास भेजा। उन्होंने राज्य सरकार का निर्णय जानना चाहा कि इस बारे में निर्णय क्या लेना चाहिए और इस राजस्थान की सरकार ने, गरीब काश्तकार ने जहां कहीं लेवी नहीं दी अपना एक मण लेवी का बाजरा या गेहूं नहीं दिया उनका तो चालान करके अदालत में भेज दिया गया उसके खिलाफ केसेज कर दिए गए और आज दिन तक कई अदालतों में इस तरह के केसेज पेंडिंग हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है यह बात कहते हुए कि यहां से इस

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
प्रकार के सरकारी आदेश प्रसारित किए गए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेवी नहीं ली जायेगी चाहे आप हजारों बीघा पर काश्त करें। कायदे से कम से कम भी उनको 25–30 क्विन्टल गेहूं जो था वह लेवी के अन्दर देना था लेकिन इस प्रकार का एक्जेंप्शन कर दिया गया लेकिन दूसरी ओर राजस्थान का गरीब किसान जिसकी, किसी आदमी की फसल खराब हो गई पाले से या और कुछ वजह से, ऐसे किसी गरीब आदमी को तो एक्जेंप्शन नहीं मिला है। मैं जानना चाहूंगी कि इस तरह का एक्जेंप्शन रखने वाली बात आखिर क्यों की गई। इस संदर्भ में मैं एक बात और कह देना चाहती हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजे महाराजाओं की जमीन ग्रहण करने की बात कही है और करीब बीस हजार एकड के आस-पास अधिग्रहण की है, हालांकि उनके पास अभी भी काफी जमीनें हैं, बड़े काश्तकारों से भी कुछ जमीन सीलिंग के अन्दर अभी तक अधिग्रहण की जा चुकी है। लेकिन झुंझुनूं जिले के अन्दर जीणी नाम का गांव है। वहां पर 900 बीघा का एक फार्म है जो बिरला परिवार से सम्बन्धित है। किसके नाम पर है मुझे मालूम नहीं लेकिन राज्य सरकार ने सन् 1950 से पहले उसे एक एयर स्ट्रिप बनाने के लिये दिया था। मैं भी जब से एम. एल. ए. हूं मुझे याद नहीं पडता कि उस एयर स्ट्रिप का कभी उपयोग किया गया हो...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 58 में उपयोग किया गया था, आपको याद नहीं है शायद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जी नहीं, मैं आपको बताती हूं, पिलानी के अन्दर किया होगा, मैं जीणी ग्राम की बात कह रही हूं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : केवल शीशरामजी के ही हैलीकोप्टर उतरते हैं वहां।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह नौ सौ बीघा का फार्म है, उसके बारे में मैं सुनती हूं कि एक बार अमेरिका से एक सज्जन आये थे तब उसका उपयोग किया गया था, उसके बाद इन 19 सालों में उस एयर स्ट्रिप का आज दिन तक उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन 900 बीघा के चारों तरफ कांटे के तार लगे हुये हैं जिसमें आस-पास के मवेशी तक नहीं चर सकते। चराने में उपयोग हो नहीं सकता, भूमिहीनों की जमीन के बतौर नहीं दी जा सकती और बिड़ला का कब्जा उस पर हटाया नहीं गया। मैं इस समाजवादी सरकार से पूछना चाहती हूं कि यह पूंजीपति लोग, राजे महाराजाओं को आपने नहीं बख्शा, सारी सुविधायें उनकी समाप्त की बड़े भूमिपतियों और बड़े काश्तकारों को, किसी बात पर छोडना नहीं चाहते हैं फिर आपने कैसे इन पूंजीपतियों को किस तरह से छोड़ने की बात की। इस नौ सौ बीघा जमीन पर कितने ही अनुसूचित जाति और जन जाति के परिवार काश्त करके अपना पेट पाल सकते थे। इसके आवटन से प्रधान मंत्री के बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता। आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सकता है। कई परिवार अपनी रोजी उस पर बसर कर लेते हैं, उसके बारे में नहीं सोचा गया है। इसका उपयोग क्यों नही किया गया, इस बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिये। राजस्व मंत्रीजी बैठे हैं, मैं समझती

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हूं कि मेरी बात सुनने के बाद में उन पर असर होगा और इस बात की ओर, इस सम्बन्ध में, इस दिशा में कुछ कार्यक्रम करेंगे।

उपाध्यक्षजी, मैं राज्यपाल महोदय ने जो आर्थिक कार्यक्रम के इम्पलीमेंटेशन के लिए जिला स्तरीय कमेटियां बनाई गई हैं, उस बारे में यदि कुछ नहीं कहूंगी तो मैं समझती हूं कि वह उचित नहीं होगा। प्रधान मंत्री ने इस देश के लिये जो अपना बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम दिया है। वह इसलिये दिया कि इस देश के अन्दर असमानता की बढ़ती हुई खाई जिनकी आमदनी में बहुत अन्तर है, एक तरफ इस तरह के लोग जिनके पास बड़ी-बड़ी अट्टालिकायें, जिनके पास दस-दस कारें, रहने के लिए बड़े-बड़े महल, जिनके पास खाने के लिए न जाने क्या-क्या उपलब्ध होने वाली सामग्री और दूसरी तरफ करोड़ों-करोड़ों इंसान जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे, फुटपाथ सोने के लिए मजबूर, शाम को जिसे खाना चाहिए वह दो जून खाना नहीं मिल पाता, जिसे कहना चाहिए मजबूर, ऐसे लोगों की आर्थिक असमानता की खाई को पाटने के लिए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम रखा गया है। इस आर्थिक कार्यक्रम को इम्प्लीमेन्ट करने के लिए जो जिला स्तरीय कमेटियां बनाई गई हैं उसमें ऐसे लोगों को लिए जाना चाहिए था जिनकी इमेज बड़ी अच्छी हो। जो प्रगतिशील विचारधारा के आदमी हों, जिनको जनता निस्वार्थी समझ सके, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि इन कमेटियों में भी इस तरह के भ्रष्ट लोग हैं जो रात में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हैं और इस तरह के आज भी प्रतिगामी संस्थाओं से सम्बन्धित इस तरह के लोगों को ले करके आज प्रधान मंत्री के बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को किस प्रकार से पूरा करेंगे यह समझ में नहीं आता है। मैं इस बारे में निवेदन कर देना चाहती हूं और बताना चाहती हूं कि सीकर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी बनाई है उसमें एक शिवशंकर दयाल नाम के व्यक्ति हैं जो श्रीमाधोपुर के सिटी जनसंघ के अध्यक्ष थे अपने चुनाव से पूर्व। चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने जनसंघ से स्तीफा दे दिया और कांग्रेस में आ गए। मैं मान लेती हूं उनका हृदय परिवर्तन हो गया। यदि इस तरह के लोग भी कांग्रेस में हमारा साथ देंगे और हमारा बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को इम्प्लीमेन्ट करने में योग देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, वहां एक दूसरे भी व्यक्ति हैं सीकर डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अन्दर, अब्दुल हुईम, ये आज भी खण्डेला म्युनिसिपैलिटी के चैयरमैन हैं। हो सकता है कि उन्होंने भी अपनी आत्मा बदल डाली हो। मुझे मालूम है कि इन दिनों में किस तेज गति के साथ हृदय परिवर्तन होता है लेकिन मैं सरकार को जानकारी दे देना चाहती हूं माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये से, यह सज्जन 1965 की इण्डो-पाक वार के अन्दर डी.आई.आर. में सात महीने तक बन्द रहे। इस तरह का व्यक्ति जो डी.आई.आर. में बन्द रहा हो आज प्रधान मंत्री के बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति में किस हद तक मददगार हो सकेगा यह आपके और हम सब के सोचने की बात है। मैं यह भी

Page No 51

(51)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
निवेदन करना चाहती हूं कि इन डिस्ट्रिक्ट इम्पलीमेन्टेशन कमेटिज में अच्छा होता यदि एन. एस. यू. आई. वाले लोगों को भी भागीदार बनाया होता हमें विद्यार्थियों को ट्रेन्ड करना है और इस देश का भार आखिर सब कुछ उन्हीं लोगों को संभालना है। उनके लिए भी अच्छा होता कि उनका पार्टी-सिपेशन होता। लेकिन इसमें कुछ पार्टी-सिपेशन नहीं हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आर्थिक कार्यक्रम में एग्रीकल्चर को काफी बढ़ावा देने के बारे में, अच्छे किस्म के बीज के डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में भी काफी कहा है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए सदन को सूचना देना चाहूंगी कि इस बार जो बाजरे का बीज दिया गया था, वह बीज बहुत ही खराब था, एच. वी. -3एवं एच. वी-5, इसके देने से बाजरे की फसल में अर्गट लग गया और उसके फलस्वरूप फसल खराब हो गयी। जिन लोगों ने इसको डिस्ट्राय नहीं किया, उसका न केवल बाजरा ही खराब हो गया। झुंझुनू जिले की बात तो मैं कह सकती हूं कि कम से कम 25/30 लोग इस बाजरे को खाकर जानकारी के अभाव में मर गये। जैसे ही उन्होंने बाजरे का सिट्टा तोड़ा और खाया वे मर गये। आखिर में यह किसकी जिम्मेदारी थी ? राज्य सरकार को भी इस तरह की जानकारी होगी। भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सरकार ने क्या उपाय किये ? काफी लोग मर गये; क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है और किसी को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया है ? मैं समझती हूं कि यह न्यायसंगत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रही थी, यह बड़ी खुशी की बात है, कि राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है उसमें न्यूनतम वेतन जो मजदूरों को दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में इसका इजाफा किया है। वृहत सिंचाई योजना में भी इसको बढ़ाया है लेकिन बिड़लाजी का जो फार्म है, उसमें आज भी मजदूरों को 2/3 रुपये रोज डेली वेजेज के दिए जा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा झुंझुनूं जिले की डिस्ट्रिक्ट इम्पली-मेन्टेशन कमेटी में भी हुई थी। इसकी सूचना राज्य सरकार के पास भी आई होगी। आखिर इस तरह की रियायत यह राज्य सरकार ऐसे लोगों को क्यों दे रही है ? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये जो कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं। इनको बहुत सख्ती के साथ डिलविद किया जाये जैसा सरकार ने तस्करों के साथ डिलविद किया है, काला बाजारियों के साथ डिलविद किया इसके लिए तो राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है लेकिन इस तरह से जो मजदूरों का शोषण करने वाले हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। इस बारे में भी राज्य सरकार को सजग रहने की आवश्यकता है।

सागड़ी प्रथा के खिलाफ बने कानून को राज्य सरकार ने और सख्त किया है इसके लिए राज्य सरकार का स्वागत है लेकिन ग्रामीण जनता को कर्ज से मुक्ति दिलाने के बारे में अभी कोई कानून नहीं बना है। कई प्रादेशिक सरकारों ने बड़ी मुस्तैदी और

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

तत्परता के साथ यह कानून बनाया है लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक तो वसूली पर एक वर्ष की रोक (मॉरिटोरियम) लगायी है। अब सुना है कि राज्य सरकार इसके लिए बिल लाने जा रही है। इसको शीघ्रातिशीघ्र लाकर और बिल को प्रोग्रेसिव बनावें और सबसे अच्छा कानून बनाया जाये यह मेरी राज्य सरकार से अपेक्षा है।

सहकारिता के क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की है राज्यपाल महोदय ने। इस बार अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को सोसाइटी का सदस्य बनाने की प्रक्रिया और सरल बनायी गयी है और अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति, और जन जाति को शामिल किया गया है। सहकारिता के क्षेत्र में इनका इन्वाल्वमेन्ट करना बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं एक बात राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं कि पिछली बार वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में लांग टर्म लोन और शार्ट टर्म लोन के आंकड़े दिये थे और लांग टर्म लोन के लिए 11 करोड़ रुपयों का प्रावधान था, इस बार घटाकर इसे दस करोड़ रुपया क्यों कर दिया? आखिर यह एक करोड़ रुपया क्यों कम किया गया है जब कि एक तरफ हमारी सदस्य संख्या बढ़ रही है तो इस एक करोड़ को क्यों कम किया, यह बात मेरी समझ में आ रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल-प्रदाय योजनाओं के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी। वैसे तो किसी भी देश के अन्दर वहां की कृषि को बढ़ाने के लिए बिजली जो है, वह विकास का मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। इसलिए सब से पहले बिजली का उत्पादन हो और बिजली का विस्तार किया जाये। सभी राज्य सरकारें इसके लिए बहुत चेष्टा करती है। मैं यह नहीं कहती कि हमारी राज्य सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया है। काफी कुछ किया है लेकिन काफी कुछ किया जाना अब भी शेष है। हर बार बजट भाषण में आंकड़े दिये जाते हैं। गवर्नर साहब भी अपने भाषण में आंकड़े देते हैं लेकिन ये आंकड़े कभी भी पूरे नहीं किये जाते हैं। पिछली बार के बजट भाषण में यह कहा था कि इस वर्ष हम 95 हजार कुओं को इलेक्ट्रिफाय करेंगे और 7000 गांवों को इलेक्ट्रिफाय करने की बात कही गयी थी, इसके मुकाबले अभी तक 90 हजार कुओं को बिजली दी गयी है याने 5 हजार कुओं को बिजली देना बाकी है। इसी प्रकार 6740 गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है जब कि हमारा टारगेट 7000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का था। अब तो हमारे पास केवल तीन महीने का समय शेष है इसके अन्दर क्या इस टारगेट को पूरा कर पायेंगे? राजस्थान अब भी हिन्दुस्तान के मुकाबले और आल इन्डिया एवरेज के मुकाबले पर केपिटा कन्जम्पशन में कहीं नीचे है। आज हिन्दुस्तान का पर केपिटा कन्जम्पशन 140 है और राजस्थान का पर केपिटा कन्जम्पशन 72 के आस-पास है। हरियाणा में सेन्ट परसेन्ट इलेक्ट्रिफिकेशन है जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है। राजस्थान में यह 19, के करीब है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आज हम सभी चीजों में पिछड़े हुए हैं। बिजली के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में काफी पीछे हैं साक्षरता में आज भी जम्मू कश्मीर के बाद महिला शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है। आल इंडिया एवरेज के मुकाबले

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

और टोटल पर्सेन्टेज हमारा सबसे कम है। केरल में 5 से 14 वर्ष के बच्चों में साक्षरता 99 पर्सेन्ट है और राजस्थान में यह अभी 57 पर्सेन्ट है। इसी प्रकार मैं निवेदन करूंगी कि औद्योगिक क्षेत्र को लीजिये, बिजली के क्षेत्र को लीजिये, शिक्षा के क्षेत्र को लीजिये, सड़कों को लीजिये, कहीं भी हम आगे नजर नहीं आएंगे। आज राजस्थान हिन्दुस्तान के एवरेज के मुकाबले तथा अन्य प्रान्तों के मुकाबले बहुत पीछे हैं। यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हर साल होता है किन्तु बारह महिने के दूसरे भाषण में प्रगति नहीं के बराबर मिलती है।

औद्योगिक क्षेत्र के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगी। पिछली बार, गवर्नर साहब ने अपने बजट भाषण से हमें काफी आशा बंधायी थी। औद्योगीकरण के लिए राजस्थान वैसे ही काफी अग्रसर है। सबसे ज्यादा पूंजीपति राजस्थान के हैं लेकिन वे अपना व्यापार और जगह करते हैं, राजस्थान में नहीं करते हैं। क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकता औद्योगीकरण के लिए है वह हम उन्हें नहीं जुटा पाये हैं, उन्हें नहीं दे पाये हैं। इससे राजस्थान सबसे पिछड़ा रह गया। फिर भी मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहती हूं। पिछली बार राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमको आशाएं बंधायी थी और राज्यपाल महोदय ने फर्माया था-'मध्यम और बड़े औद्योगिक क्षेत्र में इस बार उद्योग लगाने के प्रति आकर्षण निरन्तर बढ़ रहा है और नये बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए 50 आशय-पत्र और लाइसेन्स प्राप्त हुए हैं, उनमें निजी क्षेत्र के लिए सीकर के पास सीमेंट फैक्टरी, अलवर उदयपुर और जोधपुर में मिनी स्टील प्लान्ट, दो ऊनी धागे की मिलें, उदयपुर के पास फासफोरस का कारखाना, अलवर में रबर का कारखाना तथा सहकारिता के क्षेत्र में तीन कपड़े की मिलें मुख्य हैं। निम्बाहेड़ा का सीमेन्ट का कारखाना तथा गुलाबपुरा के पास सूती मिल उत्पादन शुरू करने वाले हैं।'

इन सब बातों का तो मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? कोई एक-दो जगह इस संबंध में कार्यवाही शुरू हुई हो तो हुई होगी बाकी जहां तक मेरी जानकारी है न तो मिनि स्टील प्लान्ट लगा है, न अलवर में कारखाना रबर का लग पाया, न सीकर के पास सीमेन्ट फैक्ट्री हो पाई है। इतना ही नहीं हमारे देश की प्रधान मंत्री 5 फरवरी, 1975 को बांसवाड़े में आई थी और उन्होंने एक ज्योइन्ट सेक्टर में सूती मिल का शिलान्यास किया जो कि पहले कोआपरेटिव सेक्टर में होने को था लेकिन बाद में ज्वाइन्ट सेक्टर में किया गया। 5 फरवरी को किया गया और आज 7 जनवरी आ गई और साल भर में कुल 22 दिन बाकी हैं, तो इन 11 महीनों के अन्दर उनके फाउन्डेशन स्टोन लगाने के बाद में कोई काम नहीं हुआ। बड़े दुःख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। देश की प्रधान मंत्री ने जिसका शिलान्यास कर दिया उसको राजस्थान सरकार गम्भीरता से ले नहीं...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: बांसवाड़े के बारे में हमारे विचार और कुछ ही थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: आपके विचार और हो सकते हैं वह आप कह सकते हैं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
मुझे समय मिला है अपने विचार रखने का तो मैं तो अपने विचार ही कहूंगी। आप यदि कहें कि प्रगति हुई है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

तो मैं निवेदन कर रही थी कि देश के प्रधान मंत्री से शिलान्यास करा लिया जाय हमें एक आश्वासन दिया गया, हमको एक सुखद भविष्य की कल्पना करा दिया जाय, सुखद भविष्य का एक संकेत दिया जाय, और फिर इस मामले में इस प्रकार से सरकार मौन बैठे रहें, कुछ उस संबंध में करें, नहीं यह बात मुझे बड़ी आपत्तिजनक लगती है।

श्री पी. के. चौधरी : ज्वाइन्ट सैक्टर में कहां किया हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य को जानकारी हो तो दे दें, मुझे तो जानकारी है नहीं। मुझे तो इतनी ही जानकारी है कि पहले कोआपरेटिव में इस मील को लगना था, वह कोआपरेटिव सेक्टर में नहीं हुआ और ज्वाइन्ट सेक्टर में हो गया, शिलान्यास करवा लिया, और आगे की प्रोग्रेस के बारे में माननीय सदस्य फुलेरा से आने वाले को कुछ भी मालूम हो। अगर और माननीय सदस्यों को भी मालूम है तो वह जानकारी दे सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं···

श्री उपाध्यक्ष : नाऊ प्लीज सम अप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आधी ही बात····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय विश्नोई जी की जानकारी नजर आती है कि वहां पर कुछ कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी मेरी पार्टी का काफी समय है। आप मुझे बोलने दें। मुझे बीच में न टोक।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि परिवहन के राष्ट्रीयकरण के बारे में हमने जो लक्ष्य रखा था इस वर्ष का, वह इस वर्ष का हमारा राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य 40 पर्सेन्ट है, लेकिन उसके अगेन्स्ट में अभी तक कुल 31 पर्सेन्ट मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर पाये हैं। पता नहीं राज्य पथ परिवहन निगम के पास पूंजी की कमी है, पता नहीं राज्य सरकार की मन्शा कुछ है या क्या है ? सुनने में आया था, how for it is correct मुझे मालूम नहीं, कि एक बार भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कुछ मार्गों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और दो-तीन दिन के बाद वह राष्ट्रीयकरण वापिस ले लिया गया और प्राइवेट बसें चलने लगीं। ऐसी मुझे जानकारी है। हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन मेरी जानकारी गलत नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं निवेदन यह करना चाहती थी कि आखिर यह क्या बात है ? प्रधान मंत्रीजी के बीस सूत्री कार्यक्रम को हमें शीघ्रता से पूरा करना है, तेजी के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया जाय··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोर्ट से स्टे हो गया या विभाग से बन्द हो गई ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरी समझ से कोर्ट का

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

स्टे नहीं हुआ है, विभाग ने ही कुछ बस मालिकों से एक समझौता किया होगा। कोर्ट में शायद यह मामला नहीं पहुंचा।

मैं निवेदन कर रही थी कि यदि देश की माली हालत को सुधारना है, यदि हमारी प्रधान मंत्रीजी की नीतियों और प्रधान मंत्रीजी के प्रोग्राम को क्रियान्वित करना है तो फिर यह ढीलमढाल की नीति नहीं चलने वाली है। फिर इस तरह किसी के साथ लगाव नहीं होना चाहिए। बेलगाव काम किया जाना चाहिए, चाहे उनसे कोई भी नाराज होते हों या राजी होते हों। कांग्रेस एक सीट हार रही हों या दो सीट हार रही हों यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि समाजवाद की कितनी मंजिल तय की है। जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसकी किस मन्जिल तक हम पहुंचे हैं, यह देखना है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके साथ-साथ में निवेदन करना चाहती हूं कि पिछली बार माननीय राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के बारे में काफी कुछ कहा था। इस बार भी शिक्षा के बारे में चूंकि हम चाहते थे लेकिन राज्यपाल महोदय के भाषण में हमें संकेत नहीं मिला। पिछली बार राज्यपाल महोदय ने कहा था कि शिक्षा के गुणात्मक विस्तार के लिए और शिक्षा को व्यवसायन्मुखी बनाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। न तो गुणात्मक विस्तार हुआ और न व्यवसायोन्मुखी शिक्षा बनाने का प्रयत्न किया गया। इस बारे मे निवेदन करना चाहती हूं, मैं सोचती तो यह थी कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ही इस बारे में प्रकाश डाल देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन चूंकि वह नहीं कह पाये और एक बड़ी बात की कमी रह गई तो मैं समझती हूं कि यदि मैं न कहूंगी तो कांग्रेस की रीति-नीति और इस डेमोक्रेसी के साथ में न्याय नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उसे कह देती हूं आप लोग सभी काफी पढ़े-लिखे आदमी हैं और अखबार भी काफी पढ़ते हैं। पहली नवम्बर के ब्लिट्ज के हिन्दी संस्करण में वह काफी बड़ी आपत्तिजनक बात है हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : कुलपति या उपकुलपति

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कुलपति की रक्षा तो आप पहले ही कर चुके हैं एक्सपन्ज करके।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो मैं निवेदन कर रही थी कि एक तरफ तो हम गुणात्मक विस्तार की बात करते हैं...

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : वह समाचार तो कह दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं सुना रही हूं आप थोड़ा धीरज रखें।

मैं निवेदन कर रही थी कि एक तरफ तो हमारे देश में आनन्द मार्ग जैसी आर्गनाईजेशन है, आर. एस. एस. जैसी आर्गनाइजेशन्स हैं, जमायते इस्लामी जैसी काम्युनल संस्थायें हैं, उन पर तो एक तरह से बान (ban) लगा दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के विश्वविद्यालयों में क्या कुछ होता है। हमारे उपकुलपति क्या किस तरह के काम करते हैं इस बारे में राज्य सरकार

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बिल्कुल ही सजग न रहें तो मैं समझती हूं कि आखिर हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए न्याय नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस सदन को जानकारी देना चाहती हूं कि 1 नवम्बर के ब्लिटज के हिन्दी संस्करण में जो कुछ निकला है वह मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं। हालांकि इसमें लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन मैं जो रेलेवन्ट पोर्शन है और जिसकी कि फोटोस्टेट कापी उसमें छपी है यहां के वाइस चान्सलर के लेख की जो कि आनन्दमार्ग की एक मन्थली पत्रिका है कास्मिक सोसाइटी उस "कास्मिक सोसाइटी" में उन्होंने अपना एक आर्टीकल भेजा था जो कि उसमें छपा था वह है। उस सिलसिले में उसके विरोध में युनिवर्सिटी के अन्दर एक फासिस्ट विरोधी कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें लड़कों ने हंगामा मचाया, लड़कों ने शोरगुल मचाया। यह मेरी जानकारी है। विद्यार्थी कुछ भी कर सकते हैं वह महत्व की बात नहीं है मैं महत्व दे रही हूं इस बात का कि इस तरह से किसी अखबार में आर्टीकल की फोटोस्टेट कापी छपी है तो राज्य सरकार के शिक्षा मन्त्री और राज्य सरकार के मुख्य मंत्री का यह कर्तव्य था कि वह इस बारे में पूछताछ करते, जांच–पडताल करते, और जांच–पड़ताल करने के बाद आवश्यक कार्यवाही करते। जो फोटोस्टेट कापी छपी है वह मैं आपको सुना देती हूं वैसे तो बहुत कुछ छपा है उसमें। एजूकेशन एण्ड आनन्द मार्ग by Shri G. C. Pandey, M. A., C. Phil. हैड आफ डिपार्टमेंट-हिस्ट्री एण्ड इण्डियन कल्चर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। इसमें उन्होंने लिखा है–

"Savidya ya Vimuktaye-That is education which leads to lasting and complete freedom. This is the fundamental principle on which the educational policy and programme of Anand Marga are based."

यह फिर सुन लीजिये––

"...to attain the other three goals or Trivega viz, Dharma (virtue), Artha (Wealth and power) and Kama (pleasure).

यह तो इसकी जो फोटो स्टेट कापी इसमें छपी है, वह मैंने सुनाई है। इसमें आगे है––

"Education for Dharma implies the inculcation or moral principles and social values,

यह कहा है। यह कितनी गम्भीर बात है। शिक्षा मन्त्री जी ने कोई जांच की कार्यवाही नहीं की है। न उनको पूछा है। सरकार कितनी बेखबर है। मैं समझती हूं कि राजस्थान सरकार....

श्री पी. के. चौधरी : आपको यह किसने कहा है कि बेखबर है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकार ने इस संबंध में कुछ किया है क्या ?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : यह कहिए कि नोटिस में नहीं लिया।

श्री पी. के. चौधरी : बेखबर तो नहीं कहें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब खबर लेकर कुछ करें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : जानते हुए भी कुछ नहीं करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है, उन्होंने जो रेफरेंस दिया है ··

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात की पुष्टि कर ली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मैं पूरा पेज लाया हूं जो आनन्द मार्ग की तारीफ में लिखा है।

एक माननीय सदस्य : आप इसे दे दीजिए।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : इतना तो उपाध्यक्ष महोदय बता लेने दीजिए...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पढ़ने ही नहीं देते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1.90 लाख की मितव्ययता करने के बारे में राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की है, उसके लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है। यह मितव्ययता भविष्य में भी चालू रहे तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है इसी प्रकार गरीबों को कानूनी सहायता मुफ्त देने की सरकार ने जो कमेटी बनाई है। कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा मुक्त कर रहे हैं। इससे जहां सरकारी मशीनरी में कुशलता लाने की कोशिश की गई है। वहां सरकारी कर्मचारियों की समाजवाद में निष्ठा बढ़ी है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे लोग अभी भी बाकी हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि कुछ लोगों को सेवा निवृत्त करके सरकार अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि एक सचाई के साथ कि ऐसे भयंकर अपराधी और करप्ट लोग अभी और बैठे हैं, प्रशासन में घुसे हुए बैठे है जोकि प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में, बाधक बने हुये हैं। जो महा भ्रष्ट हैं उनको सेवा मुक्त करना अभी बाकी है। राज्य सरकार इस बारे में अभी बहुत कम कर पाई है। राज्य सरकार को इस बारे में बेझिझक कार्यवाही करनी चाहिये। कई आदमियों का नाम मैं बता सकती हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : नाम बता दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारो नाम हैं। बताने लगूंगी तो घंटों लग जायेंगे। यह तो राज्य सरकार का काम है।

एक माननीय सदस्य : आप अभी नाम बतला दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह सारे के सारे लोग अभी भी बैठे हैं। राज्य सरकार को बेझिझक और बेलाग होकर कार्यवाही करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 5 मिनट और दे दें

Page No 58

(58)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : सारी पार्टी का समय है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पार्टी में भी ग्रुप का टाइम होता है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यदि आप सदन की मर्यादा नहीं रखें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बोलने वाले को। अपनी बात कहने में भी दिक्कत होती है।

मैं निवेदन कर रही थी, डी. पी., ए.पी. प्रोग्राम के बारे में बात कर रही थी। इस इस योजना से इस प्रदेश को अकाल की सुधारने में सहायता मिल सकती है। मेरे जिले में भी यह सहायता सिद्ध हो सकती है। जब कभी अकाल आये तो सुधार हो सकता है। झुंझुनूं जिले की झुंझुनूं और चिड़ावा तहसील, डी. पी., ए. पी. प्रोग्राम में आने के लिए तीन वर्ष पहले ही घोषणा हुई थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दो साल पूरे होने जा रहे हैं। आज तक कुछ नहीं हुआ है। हर साल 30 लाख रुपया हर तहसील के लिए मंजूर किया जाता है। इसमें आपका पैसा नहीं है। यह भारत सरकार का पैसा है। एक करोड़ बीस लाख तो लेप्स हो गया है अब तक।

श्री ओंकारलाल चौहान : आप मंत्री महोदय से मिलकर नहीं चलती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री महोदय का निर्वाचन क्षेत्र भी झुंझुनूं तहसील में आता है। वहां तो कार्य करवा लेते तो संतोष कर लेती जिले में कहीं तो कार्य होता।

श्री राम नारायण चौधरी : विभाग मेरे पास नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप रोजाना दूसरे मंत्रियों को तबादलों के लिए D. O लिखते रहते हैं, एक डी. ओ. लिख देते परन्तु यह आपकी इनकम्पीटेंसी शो करती है। आपकी इनएफिशियेन्सी शो करती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी, चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा विकलांगों की सहायता की गई है अपंगों को अंग दिये जायेंगे। विशेषज्ञों की सेवाएं जिला हैडक्वार्टर पर उपलब्ध कराये जाने के लिए भी राज्य सरकार को धन्यवाद देती हूं।

राज्य सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। लेकिन परिवार नियोजन जैसी ज्वलन्त समस्या के लिए राज्यपाल महोदय के भाषण में चर्चा नहीं होना एक बहुत ही गम्भीर बात है। राज्यपाल महोदय ने केवल यह कहकर ही सन्तोष कर लिया है कि पिछले साल में 42500 नसबन्दी के आपरेशन किये गये हैं। जो मैं निवेदन कर रही थी कि राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण मे केवल 42500 नसबन्दी के आपरेशन का जिक्र करके ही सन्तोष कर लिया गया है। बड़ा अहम प्रश्न है यह। हमारी पर-केपिटा इन्कम केवल 8 परसेन्ट बढ़ी है लेकिन आबादी 8.51 परसेन्ट की रफ्तार से बढ़ रही है चाहे आप कितना ही पर-केपिटा इन्कम, प्रोडक्शन बढ़ा लीजिये, कितना ही कन्जेम्पशन इलेक्ट्रिक का बढ़ा लीजिये, कितना ही एक्सपेन्डीचर एजुकेशन पर बढ़ा लीजिये, लेकिन इस समस्या का समाधान हुए बिना कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह 8.51 की फिगर आपने कहां से ली ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इनसे बढ़िया फिगर आपके पास हो तो दे दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह मैं आपको गवर्नमेंट के फिगर्स दे रही हूं, 8.51 की रेट से आबादी बढी है ' सारा पर-केपिटा इन्कम और सारा उत्पादन करके रबी और खरीफ फसल करके जो कुछ इस प्रकार से है वह सब नल-एन्ड-वाइड हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं इस बारे में वन विभाग के लिए तथा खासतौर से पेय जल के बारे में कह रही थी, लेकिन माननीय सदस्य, बीच में बोलने लग गये इसलिये उसको छोड गई। हमारे कई सदस्य, बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य, जालौर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को दोहराते हैं और मैं भी इस बात को दोहराती हूं राज्य सरकार से इसलिए कह रही हूं कि छिपी सम्पत्ति की घोषणा के फलस्वरूप जो पन्द्रह सौ करोड़ रुपये की घोषणा हुई हैं जिसमें राजस्थान को अपने हिस्से के रूप में अब पन्द्रह करोड़ के करीब मिलेंगे पन्द्रह सौ करोड की घोषित हो जायगी। तो हमारा पार्टीसिपेशन 16 करोड हो जायगा। यह जो एक्स्ट्रा पैसा राज्य को मिलेगा उसमें से 10 करोड़ रुपया ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये रिजर्व कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जनता को हमारे आश्वासन दिये हुए है कि पंचम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक सम्पूर्ण 32 हजार गावों में स्वच्छ और मीटे पानी की व्यवस्था किये जाने के बारे में हमारे आश्वासन दिये हुए हैं, इसकी पूर्ति मौजूदा रिसोर्सेज से नहीं हो सकती। इसलिए एडिशनल इन्कम जो भारत सरकार से मिलेगी उनका दस करोड रुपया ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिये रखा जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी अन्त में मैं राज्य सरकार को इस बात के लिये बधाई देती हूं कि वनों के विकास के बारे में पालिसी चेन्ज की गई है। अब वनों की तकनीकी आधार पर कटाई की व्यवस्था की गई है, और उनका विकास किया जा रहा है और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके वनों की कटाई का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है इससे आमदनी में इजाफा हुआ है, उसके लिये मैं राज्य सरकार को बधाई देती हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष होने के नाते सरकार द्वारा महिलाओं को कुछ सहूलियतें दी गई हैं और खासतौर से समान काम के लिए समान वेतन स्त्रियों को भी दिया जायगा इसके लिए राज्य सरकार को बधाई देते हुए मैं अन्त में शिक्षा मन्त्री जी से यह चाहती हूं कि स्त्री शिक्षा के बारे में वे बजट में कम से कम कुछ न कुछ विशेष प्रावधान रखेंगे ताकि स्त्री शिक्षा में पिछड़ा हुआ हमारा प्रदेश अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके।

तो मैं अन्त में यही निवेदन करती हुई कि प्रधान मन्त्रीजी ने जो हमको, बीस सूत्री कार्यक्रम दिया है उसमें एक कार्यक्रम श्रमिकों को प्रतिनिधित्व मैनेजमेंट में देने के बारे में भी है। राज्य सरकार ने जो सभी पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज को 75 की जनवरी में इस प्रकार की हिदायतें दी थी कि कारपोरेशन में, बौडीज में एक एक श्रमिक को प्रतिनिधित्व अवश्य दें। लेकिन एक भी अण्डरटेकिंग में आज दिन तक श्रमिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो किस तरीके से यह और भी प्राइवेट लोग हैं, यह भी कहीं श्रमिकों को प्रतिनिधित्व न दें इस बारे में राज्य सरकार को ध्यान रखना चाहिए।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष जी, अन्त में मैं राज्य सरकार से निवेदन करती हुई कि यह विगत वर्ष का जो लेखा-जोखा राज्य सरकार का राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया है, पिछले साल जो कमियां रह गईं, जो गलतियां हो गईं उनसे हम सबक लें और इस प्रदेश की माली हालत सुधारने के लिए और गरीब व अमीर के बीच असमानता की खाई को कम करने के लिए राज्य सरकार बेलगाव, निःसंकोच और मुस्तैदी के साथ इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनायेगी, इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हुए प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा था और मैंने उसको सारा देखा तो ऐसा मुझे मालूम हुआ कि इस भाषण में पहले पेज में तो विरोधियों के विषय में सारा ही लिखा हुआ है। विरोधी पार्टियों के ऊपर ही सारी बातें उनको कोसने की कही गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि 27 साल से लगातार कांग्रेस हुकूमत करती आई है और आज विरोधी पार्टियों के ऊपर जो छींटाकसी की जा रही है या उनको खास तौर से, कई तरह से बुरा और गुण्डा कहने की कोशिश की जाती है, यह बात ठीक नहीं है। विरोधी पार्टियों के नेता आज कोई भी जेल में हो, चाहे हमारी पार्टी के हों, चाहे और किसी पार्टी के हों लेकिन जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उस वक्त अकेली कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, आप जो माननीय सदस्य सामने बैठे हैं वे अकेले नहीं थे। आप ही जेलों में अकेले नहीं गये, दूसरी पार्टियां भी गई थीं। और उन्होंने भी राजा-महाराजाओं और अंग्रेजों की मार खाई है। यह नहीं कह सकते कि विरोधी पार्टी आज बुरी बन गई है, यह क्या बोलते हैं, वह इस देश को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो ठीक है आप अभी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आज जो भी नेता हैं, जो भी पुराने नेता हैं उन लोगों को पूछें, आज इतिहास गवाह देता है कि आजादी की लड़ाई में वे लोग लड़े हैं, आज अकेली कांग्रेस ने आजादी हासिल नहीं की। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे आज आप हम लोगों को जेल मे डाल सकते हैं, बाहर हमारा मुंह भी बन्द कर सकते हैं, चाहे आप किसी प्रकार परेशान भी कर सकते हैं, हमारी पार्टी के लोगों को किसी भी प्रकार से बुरा भला कह सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि सही बात को कहना चाहिए। चाहे आप 27 साल में कुछ न कर पाये हों और इस साल आपने कुछ भी 6 महीने में किया हो। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी पार्टी जो आपके प्रधान मंत्री ने 21 सूत्री कार्यक्रम दिये हैं उसके लिए हम लोग जेलों में गये थे। चाहे सागरी प्रथा हो, चाहे अंग्रेजी का मसला हो, चाहे छोटे किसानों की जमीनों के लगान का मसला हो, भ्रष्टाचार का हो, जितनी भी मांगें हैं, हम लोगों की मांगें उस समय भी मौजूद थीं और मैं भी उस समय जेल में रहा और हमारे साथी चाहे जेलों में हों, चाहे बाहर हो, हम लोग इसलिए लड़े थे। राजा-महाराजाओं की जमीनों के लिए, और पूंजीपतियों के लिए

(श्री विट्ठल भाई)

हमने कहा था कि ज्यादा जमीनें हैं तो लीजिए और गरीब भूमिहीनों में बांटिये। लेकिन यह बात किसी का मुंह बंद करके कहें कि आज हम ही कर रहे हैं और विरोधी पार्टियों ने कुछ नहीं किया और उन्होंने हमारे हाथ रोके, रोड़ा अटकाया और पूंजीपतियों को पनपाया, यह सही नहीं है। यह भी विधान सभा में कहा गया कि पूंजीपतियों को विरोधी पार्टियों ने पनपाया, ऐसा नहीं है। हम तो जानते हैं कि पूंजीपतियों को आप लोगों ने ही पनपाया, उनसे आप लोगों ने ही मदद ली। हम लोग आज असेम्बली में आए चाहे तीसरी बार, चाहे दूसरी बार आए, आज हम अपने संगठन के बल पर आए लेकिन जो आज हो रहा है, 21 सूत्री कार्यक्रम के लिए हम लोग कहते हैं और पहले भी कहते आए हैं कि आप गरीबों के लिए कुछ करो। हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि आप राज न करो लेकिन किसी का मुंह बंद करके, जेल में बंद करके आप कहेंगे कि हम राज करना चाहते हैं, हम सब लोग बेईमान हैं, यह नहीं चलेगा। ठीक है आज जो चाहे आप कर लो, समय बदलता रहता है। आज राजा-महाराजा नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रहे, आप भी कहते हैं कि प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं लेकिन प्रजातंत्र को बचाने के बजाय आपने प्रजातंत्र को खत्म करना चाहा क्योंकि आज जिसका मुंह बंद है तो फिर प्रजातंत्र वह कैसे हुआ। प्रजातंत्र में तो सब लोगों को बोलने का हक होता है, चाहे विधान सभा में चाहे बाहर, सबको बोलने का हक होना चाहिए, हरएक नागरिक को होना चाहिए, चाहे वह गलत ही बोलता है। अगर कोई गुंडागर्दी करता है, तोड़फोड़ करता है, इसके लिए सरकारी कानून बने हुए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए लेकिन जो पार्टियां शांति से सत्याग्रह करती आई, जिन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की उन लोगों को भी जेलों में ठूंसा गया और कहा जाता है कि यह पार्टी बेईमान है। यह ठीक नहीं है और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग आज कुछ भी कर लें लेकिन आखिर नतीजा निकलेगा कि जनता की क्या भावना है। आप कह रहे हैं कि हमारे साथ जनता है लेकिन आप किसी का मुंह बंद करके भावना नहीं बदल सकते हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आगे कहा गया है कि हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का भला करने जा रहे हैं। ठीक है, 27 साल में अभी मौका आया और आप कहते हैं कि अब मौका आया, इतने दिनों में विरोधी दलों ने करने नहीं दिया लेकिन आज भी आपके खाली भाषण या कहने से नहीं होता है, आज 6 महीने हो गए आपात्कालीन स्थिति की घोषणा किए हुए लेकिन आदिवासियों की क्या हालत है, हरिजनों की क्या हालत है? उनकी हालत सुधारने में कोई फर्क आया हो तो आप बतायें कि उनका कोई सुधार हुआ। क्या उनको बिजली मिली, क्या उनको पानी मिला, क्या आपने उनको मकान बनवा दिए? एक ऐसी हवा चलाई, एक अभियान चलाया कि उनको मकानों के लिए पट्टे दिए जायं। आदिवासी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में ज्यादा बसे हुए हैं और कम से कम वहां 80 प्रतिशत आदिवासी हैं। लेकिन उस इलाके में आज भी 6 महीने के बाद पट्टे तो सबको नहीं मिले हैं लेकिन जमीनें तकसीम कर दीं। हमारा तो पहले ही

(श्री विट्ठल भाई)

मकान बना हुआ है, हमारे खेतों में बने हुए हैं, हम बरसों से रह रहे हैं। हमें पट्टे और जमीन से क्या मतलब है, मकानों से क्या मतलब है? पैसा तो आप देने वाले नहीं हैं कि पक्के मकान बनाये जायं। दो चार आदमियों को दे दिए तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लाखों की तादाद में हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसा करने से आदिवासी ऊंचा उठने वाले नहीं हैं। अगर आदिवासियों का भला करना चाहते हैं तो अब मौका है, चाहे आप हमारा मुंह बंद करें लेकिन पहले तो उनको कर्जे से मुक्त करें। खाली आप घोषणा कर रहे हैं, बिल भी ला रहे है कि कर्जा माफ करायेंगे। किसका माफ करायेंगे? जो साहूकार हैं? ठीक है, मैं उसका समर्थक हूं लेकिन साथ ही साथ आज तो वसूलियां हो रही हैं हम लोगों से 1954 में दिए हुए कर्जों की। डंडे के बल पर मय ब्याज के आज वसूली कर रहे हैं। मैं अपने जिले की बात करता हूं।

दूसरी बात, किसी आदिवासी काश्तकार ने अगर तकावी नहीं भरी तो इस साल मय ब्याज के डंडे के बल पर वसूल कर रहे हैं। ठीक है। यह तो आदिवासियों का भला हुआ। एक तरफ अभी वसूली लगान वगैरह की हो चुकी। आपने विरोधियों का मुंह बंद कर रखा है लेकिन जब तक फसल न निकले, तब तक के लिए परेशान न किया जाए लेकिन विरोधी अगर कहते हैं तो आप कहते हैं कि हम उनको बहकाते हैं इसलिए जेल में जाओ। अगर उन्होंने कर्जे लिए हैं तो फसल आने पर ही पैसा वसूल होता है। हम लोग न तो व्यापार करते हैं न नौकरी है तो डंडे के बल पर किसी के बैल बिक गए, किसी का मकान बिक गया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जमीन दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी जमीन बेचने जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम आदिवासियों को आगे ला रहे हैं, दूसरी तरफ नीचे गिराना चाहते हैं। आज वसूलियों के साथ साथ बैंक का कर्जा चाहे वाटर पम्प का हो, चाहे कुएं का हो लेकिन वह भी एक साथ वसूल कर रहे हैं। ब्याज का तो कोई पूछने वाला नहीं है कि किस हिसाब से लगाया। पटवारी कहेगा कि हमने जो लगाया वह ठीक है, तो यह अन्याय ठीक नहीं है। आप चाहे कुछ भी कहें लेकिन किसान मर रहा है और किसान की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है··

श्री मीठालाल मीणा : किसको सुना रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई मंत्री नहीं हैं।

श्री विट्ठल भाई : उनको सुनना ही नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण में यह भी बताया कि हमने भावों को गिराया। किसके भाव गिरे? किसान का कमाया हुआ भाव गिरा। और, उपाध्यक्ष महोदय कुदरत से इस बार बरसात भी हुई जिससे हमारे यहां पर फसल अच्छी हुई। इधर चौमासु फसल भी पकने वाली है गेहूं और चना भी पकने वाला है और उम्मीद है अच्छी फसल होगी। तो इसके लिये अगर आप यह कहें कि हमारी सरकार की वजह से यह फसलें अच्छी हुईं या हमारी मेहनत से फसल गेहूं चने की अच्छी होने वाली है तो मैं यह कह सकता हूं कि इसमें आपकी कोई मेहनत

(श्री विट्ठल भाई)

नहीं है। अगर आप यह कहते हैं कि हमने किसानों की मदद की है उसकी वजह से फसल अच्छी हो रही है तो गलत है। हो सकता है आपने थोड़े बहुत लोगों की जो आपके हैं उनकी मदद की होगी। वह अलग बात है लेकिन आज जब हमारे यहां फसल बोई गई तो किसान को गेहूं और मक्का के लिये खाद 100 रुपये बोरी मिली थी। उस वक्त आपके इमरजेन्सी लगी हुई थी और यह 21 सूत्री कार्यक्रम भी था लेकिन किसान को यूरिया खाद 100 रुपये क्विन्टल पर मिली थी। इसी प्रकार जो डीजल था वह भी बहुत मंहगे भाव में किसान को मिला है डीजल और खाद व बीज बेचने वालों में अपने मरजी मुताबिक भाव लिये और आज भी ले रहे हैं लेकिन किसान को तो खेती करना पडता है अतः लेना ही पडता है।

श्री दीपंकर : आपको गेहूं से क्या मतलब है। आप तो चावल खावो।

श्री विट्ठल भाई : हम तो किसान हैं इसलिये मतलब है आपको नहीं है। किसान को जो गेहूं के बीज मिले, यह आपके आज कल क्या चला है सोना कल्याण वगैरह उसके भाव भी मन चाहे लिये हैं...

श्री दीपंकर : आप तो चावल खावो। उसके भावों से क्या। गेहूं के बीज कोई भाव आवो।

श्री विट्ठल भाई : भावों का ध्यान तो रखना पड़ता है क्योंकि किसान हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, 100 रुपये बोरी खाद और डीजल के मंहगे भाव से दिया लेकिन आप किसान को क्या देंगे कुछ भी नहीं उसको तो बहुत नुकसान होगा। अभी की हालत देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहां पर मक्का का चलन ज्यादा है आज मक्का हमारे यहां पर 65 रुपये क्विन्टल मिल रही है और बनियों की स्थिति यह है कि बनिया मक्का खरीदना नहीं चाहता। जब बेचने जाते हैं तो कहता है। हम तो मक्का नहीं खरीदने वाले हैं क्योंकि सरकार बाद में हम लोगों को परेशान करती है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 65 रुपये क्विन्टल मक्का भी बहुत मुश्किल से बनिया खरीदता है। तो अब आप लोग जरा सोचें कि एक गरीब किसान बेचारा खाद लाता है, बीज लाता है अपने परिवार वाले लोगों से खेती कराता है। अपने बैलों को वहां पर खेत में काम कराता है पर उसको कुछ नहीं मिलता है। वह नुकसान में रहता है तो आप किसको आगे ला रहे हैं है, यह बतायें। आप गरीब को ज्यादा कर रहे हैं वह बेचारा काश्त करता है तो भी उसे कुछ नहीं मिलता है और बेचारा किसान गरीब का गरीब ही है। मैं यह नहीं कहता कि सभी काश्तकार गरीब हैं पर इनमें 80–90 प्रतिशत तो गरीब ही है। हो सकता है कोई बड़े-बड़े जागीदार हो, काश्तकार हो, लेकिन मैं तो छोटे काश्तकारों की बात करता हूं। सरकार उनको और कर्जदार बना रही है। मैं यह नहीं कहता कि सारा कर्जा माफ कर दो। लेकिन मेरा कहना तो यह है कि जो पुराना कर्जा है उसे माफ करा दो। मैं यह नहीं कहता कि नया कर्जा जो लिया है उसे आप मत वसूल करो वह तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको सरकार चलानी

(श्री विट्ठल भाई)

है लेकिन जब तक आप पुराने कर्ज की वसूली को समाप्त नहीं करेंगे तब तक जो आप किसान को या गरीब को आगे जाने की बात है वह पूरी नहीं हो सकती। आप गरीब को किसी भी प्रकार से आगे नहीं ला सकते। खाली आपने साहूकारों से कर्ज से मुक्ति दिला दी उससे तो काम चलने वाला नहीं। अब जब आप कर्ज की वसूली करने आते हो तो वापिस गरीब किसान को साहूकार के पास ही जाना पड़ता है और साहूकार ने किसानों को उधार देना ही बन्द कर दिया है। वह जानते हैं कि अगर हम इनको कर्जा देंगे तो ये हमें हथकड़ियां लगवा देंगे। आज यही कारण है कि सरकार जब वसूल करने जाती है तो बेचारे गरीब किसान को अपने बैलों को बेचना पड रहा है। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि आप गरीब को आगे नहीं ला रहे हो आप तो उसे मार रहे हो।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि अगर आप असलियत में गरीबों को आगे लाना चाहते हैं उनका भला करना चाहते हैं। तो हम आपके विरोधियों में से होते हुए भी इस बात के लिए समर्थन करेंगे लेकिन आप खाली बातें ही करना चाहते हैं या भाषण ही देकर जनता को धोखा देना चाहते हैं तो हम आपके समर्थक नहीं हो सकते हैं। आपको इसके लिए सही रास्ते अपनाने होंगे। आप 21 सूत्री कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं गरीबों को आगे लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके सिर्फ भाषण से ही काम नहीं चलने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे यहां ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर कि बिजली नहीं है। ऐसे बहुत से आदिवासी क्षेत्र है जहां बिजली नहीं और पानी की बहुत ही कमी है। हमारे यहां पर आपने कुए नहीं खुदवाये पानी की कमी है। हो सकता है कि आपने कुए कुछ रेगिस्तानी इलाकों में खुदवाये हैं लेकिन हमारे यहां पर आपने कुए नहीं खुदवाये। हां, पहले थोड़े नलकूप तो नहीं पर हैन्ड पम्प लगवाये थे। उनके बारे में भी थोडा आपसे निवेदन कर दूं। वह हैन्ड पम्प भारत सरकार के पैसों से लगे थे यह उनकी स्कीम थी लेकिन उसका भी पूरा फायदा हमारे यहां की जनता को नहीं हुआ। क्योंकि हमारे यहां पर पानी बहुत ही नीचे है। सौ फीट नीचे पानी है और वहां पर पम्प लगाने के लिये सरकारी अधिकारियों और जिस कम्पनी ने हैण्ड पम्प लगाने की जो व्यवस्था थी वह उन दोनों की मिली भगत में बजाय सौ फीट नीचे खोदने के उन्होंने 25 फीट गड्ढा खोदकर उसमें पम्प लगा दिये जिसका नतीजा यह हुआ कि उनसे पानी तो आया नहीं पर हैण्ड पम्प जरूर टूट टाट गये। जो सरकार ने लाखों रुपये का खर्चा आदिवासियों के पीने के पानी की व्यवस्था के लिये किये वह बेकार गये। मैं तो इसके लिये राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये एक जांच कमेटी बैठायी जाय और इसमें जो दोषी व्यक्ति हों उनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये। वह सभी हैण्ड पम्प बेकार हो गये। जो तमाम हमारे बांसवाडा, उदयपुर, डूंगरपुर के जिलों में जो हैण्ड पम्प लगाये थे वह सही ढंग से नहीं लगे। इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचारी हुई है सरकार को इसकी जांच करनी चाहिये।

(श्री विठ्ठल भाई)

उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर यह कहा जाता है कि सरकार भ्रष्टाचार मिटा रही है और जब से यह आपात कालीन स्थिति लगी तब से यह जोरों से आवाज आ रही है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ में कड़ी कार्यवाही कर रही है ठीक है आप कहते होंगे, आपने एक दो केस बना लिये होंगे कुछ लोगों को गलत सही निकाल दिया होगा पर आपको यह गलत फहमी है कि भ्रष्टाचार घटा है। भ्रष्टचार तो आज भी है और मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि वह पहले से कम नहीं और अधिक बढा है आप इस भुलावे में हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है आप चाहे माने या नहीं माने और आज जब से आपातकालीन स्थिति लगी है हम विरोधियों का तो मुंह बन्द कर दिया और अगर बोलते हैं तो आपके सरकारी अधिकारी यह कह देते हैं कि विरोधी लोग जनता को बहकाते हैं और उस वक्त आप हमें गिरफ्तार कर लेगें इसलिये हमारा तो मुंह बन्द है। लेकिन असलियत में अगर आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो उसके लिये सिर्फ कहने से ही भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा सही मायने में तो भ्रष्टचार बढ रहा है। आपने जो कदम उठाये हैं वह सिर्फ विरोधियों का मुंह बन्द करने के लिये ही है पर भ्रष्टाचार घट नहीं रहा है। इधर अभी हमारे यहां पर सदन में सुमित्राजी ने कहा था कोई कमेटियां भी बनाई है. जिला स्तर पर लेकिन उसमें आपने जिनको चाहा उनको मेम्बर बना दिया। इसमें जसा कि उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे लोगों को ले लिया है जो कि दारूडिये थे या कोई ऐसा है जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हो जिसको कि पहले डी. आई. आर. में गिरफ्तार किया गया था तो ऐसे लोगों से तो आपके उद्देश्यों की पूर्ति होती नजर नहीं आती। इसमें आपको ईमानदार लोगों को लेना चाहिये। जो कि समय समय पर अपनी रिपोर्ट दें और सही स्थिति से राज्य सरकार को अवगत करावें और राज्य सरकार को चाहिये कि उस रिपोर्ट पर कार्यवाही करे और जो दोषी व्यक्ति हो उनके खिलाफ में कार्यवाही करें। ऐसा नहीं हो कि जिन लोगों की आपने समिति बनायी है वह लोग खुद ही जाकर भ्रष्टचारियों में मिल जायं और बेचारे गरीब रोते ही रहें।

समानता की आप बातें करते हैं। ठीक है। समानता लानी चाहिये। अभी जो लोग जेलों में हैं, चाहे डी. आई. आर. में हो या आन्दोलनकारी भी हों मुझे कोई यह रिपोर्ट मिली है कि राजनैतिक कैदियों को जो सुविधायें मिलनी चाहिये वह उनको नहीं मिल रही हैं। जब आन्दोलनकारी होते हैं तो वे राजनैतिक कैदी ही तो हैं। उनको ए क्लास मिलना चाहिये। उनको सी क्लास में रखना यह सरकार के लिये ठीक नहीं है। समानता लाना चाहते हैं। घर से ले जाकर आपने उनको जेल में बिठा दिया। सुविधा तो उनको देनी चाहिये। घर, जैसी तो सुविधा देनी चाहिये। खाने को पूरी रोटी, कपड़ा, सही चीज तो देनी चाहिये। अब सुविधा नहीं है तो कौनसी समानता रही। जेल मंत्रीजी इसके सुधार की कोशिश करेंगे और जांच करेंगे कि जो आन्दोलनकारी हैं उनको जो सुविधायें हैं वे पूरी मिलनी चाहिये।

एक आपका लाटरी सिस्टम चलता है राजस्थान की खुशी का चीज है कि लाटरी

(श्री विठ्ठल भाई)

कोई खरीदे इनाम के लालच है। लेकिन आपका एक बतौरा है क्या वह सही है ? क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों की मार्फत लाटरी बांटी जाती है और बेची जाती है। पुलिस अधिकारी तो आपात काल में भी किसी को दवा कर, जनता हो चाहे व्यापारी हो, दवाब होने से और दबाव से वह ले लेगा कि यह लो वरना तुम्हारे विरुद्ध यह साबित करता हूं। सरकार को चाहिये कि खुशी की चीज है वह चाहे तो ले और चाहे तो न ले। जबरदस्ती का सौदा तो नहीं है। पुलिस के मार्फत खरीदवाना यह ठीक नहीं है।

चोरियों के विषय में कहूंगा। सरकार की ओर से चोरियां खत्म हो गयी हों ऐसी बात नहीं है। अभी अभी एम.एल.ए. क्वार्टर के बी नं. 9 में पानी की टूटियां की चोरी हुई। दस पन्द्रह। कोई निकाल कर ले गया। वे लोग तो गिरफ्तार हुए होंगे और एम.एल.ए. क्वार्टर्स से भी टूटियां ले कर गये। पुलिस में रिपोर्ट की होगी लेकिन क्या जांच हुई मैं नहीं कह सकता। आप भी कहते हैं कि चोरियां मिटा दी फिर ये चोरियां कैसे हुई ? मामूली आदमी भी नहीं। विधायक जहां रहता हो और वहां चोरी हो।

एक माननीय सदस्य : ये ही करवाते हैं।

श्री विट्ठल भाई : भाही पर एक झगड़ा हो गया था मजदूरों में आपस में। एम.एल.ए. के नाते मेरा क्षेत्र पड़ता है। मैं वहां पहुंच गया। उसको सम्हाला। झगड़े को बन्द किया। जब बन्द करवा दिया तो किसी ने कह दिया कि विरोधी हैं इसलिए इन्होंने ही झगड़ा करवा दिया। हमको जेल में भेज दिया। हम तो जेल में थे। पीछे से मेरे घर पर दो चार हजार का माल था वह निकाल ले गये। जेल से छूटा तो पता चला कि यह निकाल लिया गया जेल में दिया और चोरी भी करवा दी। हमारी जगह आप भी आ सकते हैं। कभी जेल में बैठ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : पहले बैठे थे।

श्री विट्ठल भाई : सब ही बैठे थे। आज जो जेल में हैं वे भी बैठे थे। पार्टियां अलग होने के बाद जेलों में जाना पड़ रहा है। पहले सब ही लोग बैठे थे। अंग्रेजों और राजाओं ने बिठाया। आप भी बैठे हैं। आज हमको बैठना पड रहा है कल आपको भी बैठना पड़ सकता है। प्रजातन्त्र में कोई किसी को वोट दे सकता है। सब पार्टियों को खत्म करके एक तन्त्रीय सरकार बना दें तो फिर कोई बात नहीं। प्रजातन्त्र है तो सबको हक है बोलने का और वोट देने का हक है। और जो भी हक है वह हक है। उसको रोकना और नुकसान दिलाना यह आपको और आपकी पार्टी के लिए शोभा नहीं देता है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। साथ ही साथ राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई!

(अनुपस्थित)

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बारी आवेगी या नहीं ? कल से प्रतीक्षा कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्या कह सकता हूं। मैं नाम लिस्ट से ही बोल रहा हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो सदन में भाषण दिया उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मैं पहले कुछ सामान्य मुद्दे रखूंगा और उसके बाद में राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें आयी हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इमरजेन्सी लागू होने के बाद शान्ति और व्यवस्था की स्थिति हमारे देश में सुधरी है और जनता ने इस आधार पर स्वागत किया है। साथ ही साथ 21 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के रूप में समाज के दबे हुए लोगों के लिये भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे देश और प्रान्त में चलाया जा रहा है। इस बात में भी बडी प्रसन्नता होती है कि 21 सूत्री कार्यक्रम के अमल में राजस्थान ने हमारे देश में बहुत ही अच्छा काम किया है और सब ही स्तरों पर इसकी सराहना हुई है।

अब जो सामान्य मुद्दे में पहले लेना चाहता हूं उसके बारे में पहले माननीय रामानन्दजी ने जिक्र किया था। वह थे चम्बल क्षेत्र, राजस्थान नहर क्षेत्र, डेयरी स्कीम। विश्व बैंक से उनको ऋण मिला है उसके बारे में उनकी आपत्ति थी। आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि विदेशों से उस स्थिति में ऋण लिया जाता है। जब या तो ऋण पाने वाले देश के अन्दर तकनीकी जानकारी का अभाव हो या उस तरह के विशेषज्ञों का अभाव हो। दूसरा, उस देश के अन्दर ऐसी मशीनें नहीं बनती हों जिनको वे आयातित करके अपने यहां कारखाने लगाना चाहते हों और तीसरा उस स्थिति में ऋण लिया जाता है दूसरे देश से जब कि योजना, जिसका निर्माण करना है वह दीर्घकालीन हो और उसके परिणाम और आर्थिक लाभ 15 या 20 साल में मिलने वाले हों। लेकिन आपने जिन योजनाओं के लिये विदेशों से, खास तौर से विश्व बैंक से, ऋण लिया उसमें, मैं समझता हूं ये तीनों ही तरह की परिस्थितियां नहीं हैं। हमारे यहां पर ऋण जो लिया गया डेयरी के लिये, चम्बल क्षेत्र को समतल करने के लिए या उसमें जो सीम की समस्या है उसको हल करने के लिये या राजस्थान नहर क्षेत्र में पक्की नालियां बनाने के लिये या भूमि को समतल करने के लिये।

आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें ऐसी कोई टेक्नोलोजी इन्वोल्वड नहीं है या इस तरह के विशेषज्ञों का कार्य नहीं है जो कि वह हमारे विशेषज्ञ नहीं कर सकते हों। सब दुनिया जानती है कि भारत में बड़े बड़े बांधों का प्रश्न है, नहरों की सिंचाई का प्रश्न है या सिंचाई के साधन बने हुए हैं, जो सिंचाई के सिस्टम हैं वह संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं और हमारे इंजीनियर इस तरह के काम करने के लिए विदेशों में जाते हैं और आज भी हजारों की संख्या में विदेशों में उपस्थित हैं। तो मैं यह नहीं समझ पाया कि साधारण काम के लिए हमको विदेशों से ऋण लेना पड़े और खास तौर से उन प्रान्तों के लिए जो सीमा पर आये हुए हैं।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जो एग्रीमेंट हुआ था उसको सदन के किसी माननीय सदस्य ने पूर्व के सत्रों में रखा था और उसमें यह प्रावधान था कि जमीन को समतल करने के लिए अमुक देश की या अमुक कम्पनी की मशीनें खरीदनी पड़ेगी। मैंने राज्य सरकार के इस कथन का विरोध किया था। भारी मशीनों से समतल करने का काम हमारे यहां उपयोगी नहीं हो सकता है। आज चम्बल के क्षेत्र में जो अति-रिक्त जन-शक्ति है उसका उस काम के लिये उपयोग करना चाहिये। जमीन को समतल करने के लिये जितनी दक्षता से मामूली पशु समतल कर सकता है उतने लेवल पर भारी मशीनें नहीं कर सकती हैं तो हमारी जन-शक्ति, हमारी ऊंट गाड़ियां, हमारा पशु धन जितना इस काम के लिए उपयोगी हो सकता है उतनी मशीनें नहीं हो सकती हैं। करोड़ों रुपये की आमदनी का स्रोत हमारी अति-रिक्त जन-शक्ति पर लगना चाहिये जो लोग साल में अच्छी वर्षा होने पर भी केवल चार माह काम करते हैं और बाकी के 8 माह बेकार पड़े रहते हैं उनको काम मिलेगा। जोधपुर, जैसलमेर और फलोदी के काश्तकारों ने जिन्होंने ऊंट के गाड़े लिये अच्छा पैसा कमाया है और जो भारी मशीनें राजस्थान नहर को खोदने के लिए आयातित की गई थीं वे सब असफल हुई हैं और छोटे मोटे गधे, ऊंट गाडियों या मनुष्यों की मजदूरी ने इस कार्य को सफलता से किया है और सफलता से किया जा सकता है आज भी।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह धारणा भी गलत है कि भारी मशीनें यहां निर्मित नहीं होती हैं। आज चाहे डेयरी उद्योग की मशीनें हो, चाहे कोई और उद्योग की हो, चाहे स्टीम प्लान्ट की मशीनें हों, चाहे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से सम्बन्धित मशीन हो, मशीन टूल्स से लेकर यदि संयंत्र तक हमारे देश में निर्माण करते हैं और ऐसे साधारण कामों के लिये हमको बाहर से मशीनें आयातित करनी पड़ें और हम अपनी मशीनों का उपयोग नहीं कर सकें यह लज्जास्पद है। इस पर राज्य सरकार को और भारत सरकार को ध्यान देना चाहिये।

तीसरा प्रश्न अगर दीर्घ-कालीन योजना है तो एक गरीब देश अपनी पूंजी लम्बे समय तक लगाकर उसको वहन नहीं कर सकता है। लेकिन आप और हम जानते हैं भूमि को समतल करना, नालियां बनाने का सीम की समस्या के काम में यह नहीं कहा जा सकता है कि क्विक रिटर्न का काम है। आज बनाई और अगली फसल पर फायदा मिल गया। आज हमने जमीन समतल करने के लिए जन-शक्ति का प्रयोग किया तो वह पूंजी मजदूर के पास चली गई और वह वापिस केपिटलाईज हो जाती है और गांव वालों को डालर में देने की जरूरत नहीं और न ही ऐसी मशीनें हैं जिनका पेमेन्ट डालर में करना पड़े। हो सकता है भारत सरकार की जो फारन एक्सचेन्ज की जो पोजीशन है उसको ईज करने के लिये तो यह हो सकता है कि 100-200 करोड़ का ऋण मिल सके लेकिन इन योजनाओं के लिए कर्ज लेना पडता है यह कतई आवश्यक नहीं है। होना यह चाहिये था कि भारत सरकार से उधार लेकर या किसी बैंक से उधार लेकर निर्माण करना चाहिये था, मैं समझता हू राज्य सरकार इसमें स्पष्टीकरण देगी।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

दूसरा सवाल जो आता है–महीने, दो महीने से काफी चर्चा होती है और खास तौर से हमारी पार्टी के लोग और वरिष्ठ नेताओं में कि चरागाह, गोचर भूमि के बारे में इस सदन के 10–15 माननीय सदस्य ऐसे होंगे जिनका शहरी क्षेत्रों से सम्बन्ध होगा बाकी जो 85–90 प्रतिशत है वे गांवों से चुनकर आते हैं, अच्छी तरह जानते हैं और रेडियों में भी सुनते है गोचर भूमि पर बड़े काश्तकारों ने कब्जा कर रखा है। बुरा आदमी कभी किसी समाज में, किसी राज्य में पैदा हो जाता है लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि बड़े काश्तकारों ने कब्जा कर रखा है, ऐसी स्थिति नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का अवैध कब्जा हो और वे काश्त नहीं करते हो–गांव वालों ने भूल से लिख दिया हो या फिर अपने प्रभुत्व के लिए लिखा दिया हो उसमें आप यह नीति बना लीजिये कि जो बड़े काश्तकार के कब्जे में गोचर भूमि है तो उसको तुरन्त छुड़वा दीजिये और छोटे काश्तकारों को रेगूलराईज कर दीजिये लेकिन यह कह देना कि गोचर भूमि बड़े काश्तकारों के लिए काम आती है और उन्हीं का कब्जा हैं और गरीबों को इनसे वंचित करने की नियत से रोक रहे हैं, यह तथ्यों से परे हैं।

ऐसे भी तथ्य मौजूद हैं कि 4–5 गांव वालों ने गोचर भूमि के लिए अपने प्राण तक दिये हैं। जयपुर की परिधि में हजारों की संख्या में ऐसे है जो अपनी भेड़, बकरियों को-जो दुधारू पशु हैं, जिनको फीडिंग कर नहीं सकते हैं दो–चार रुपये देकर बाहर चराने के लिए भेजते हैं। जयपुर शहर के आस पास के हजारों पशु इस प्रकार चरने जाते हैं। आप बड़े काश्तकार की बात करते हैं, किस गांव में कितने होते हैं ज्यादा से ज्यादा 8–10 होते हैं–8–10 प्रतिशत मान लीजिये। वह बड़ा काश्तकार है इसलिए जमीन भी उसके पास होगी, चारा का स्टाक भी होगा, वह चरा भी सकता है लेकिन उसका अवैध कब्जा नहीं हो सकता हैं और अगर है भी कहीं तो आप छुडा लीजिये।

बहुत से माननीय सदस्य यहां बैठे हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि पशु पालन एक लाभ प्रद धन्धा है और किसी खास क्षेत्र में पशु नहीं हो तो उस क्षेत्र की इकोनोमी खतम हो जायगी। जिनके पास ऊंट हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, बढ़िया से बढ़िया भैंसे हैं, गायें हैं चाहे किसी काम का हो लेकिन अगर पशुपालक है तो आज की स्थिति में उनके पास एक बीघा धरती भी नहीं है और वे अपने पशुओं को चराते हैं तो यह कहना कि बड़े काश्तकारों के पास गोचर भूमि का अवैध कब्जा है, उचित नहीं लगता। उन क्षेत्रों में जहां एक साथ बरसात नहीं होती है पशु काफी बड़ी संख्या माईग्रेट होते हैं। माननीय छंगाणी जी चले गये, इनके एरिया में कोल्हू एक गांव है जो मेरे क्षेत्र से 100 मील के करीब दूर पड़ता है तो वहां भी आस पास के सारे भेड़ पालक अपने पशुओं को लेकर वहां जायेंगे और कोल्हू में चरायेंगे। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि इस समस्या को बहुत गहराई से समझना चाहिये नहीं तो पशु धन बरबाद हो जायगा। अकाल में पशु माईग्रेट होंगे और खेतों में ठहरने की जगह नहीं होगी तो मेरा

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

निवेदन यह है कि गांवों में केवल मालदार काश्तकार ही नहीं बसते हैं। मालदार काश्तकार फिर भी फेलो छोड़ देता है लेकिन छोटा काश्तकार नहीं छोड़ता है। गांवों में नाई, अध्यापक, छोटा दुकानदार, छोटा गरीब किसान अपनी अपनी गाय, भैंस बकरियां रखते हैं उनको चराने के लिये भी गोचर भूमि ही काम आती है इसलिये इस बहाव में आकर बात नहीं करनी चाहिये कि जहां पर गरीब लोगों का लम्बे अर्से से जमीन पर कब्जा है या मालदार काश्तकार का कब्जा है तो यह मत कहिये कि मालदार काश्तकार से लेकर गरीब काश्तकार को भूमि दे दी जाय।

मैं आपको कहता हूं कि शांति और व्यवस्था की स्थिति बिगड जायेगी और बड़े भारी झगड़े होने लग जायेंगे और हमारा पशुधन समाप्त हो जायेगा। इसलिए इस समस्या पर सरकार को गहराई से विचार करना चाहिये।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कीमतों में गिरावट की बात भी कही गयी है और रात और दिन रेडियो पर प्रचार रहता है कि कृषि की जो वस्तुएं हैं चाहे तिलहन हो, चाहे सीरियल्स हों, चाहे दालें हों-इनके भावों में गिरावट आई है। बहुत ज्यादा भाव बढ़े हुए थे-यह सही है लेकिन अधिक गिरावट आना हितकर नहीं है। आप सोचिये कि गांव में दस मालदार काश्तकार हैं जिनको पहले बीस हजार का फायदा होता था और अब गिरी हुई कीमतों से उसको 10 हजार ही फायदा होगा लेकिन 80 परसेन्ट आज गांवों में जो काश्तकार हैं, मजदूर है वह गरीब है। चाहे उनको कर्जा लेना हो, चाहे उनको कपड़ा लेना हो, चाहे शक्कर लेनी हो चाहे जो कुछ भी खरीदना हो तो जो उसके पास सरप्लस पैसा है उससे ही खरीदता है। तो 80 परसेन्ट आदमियों की आमदनी गरीबों की खेती पर निर्भर है। 275 के भाव में बीज उधार लिया, को आपरेटिव से उधार लिया और उनकी प्राड्यूस का भाव घट गया तो मैं समझता हूं कि जबरदस्त उनको नुकसान पहुंचा है। इस पक्ष को हमें सोचना चाहिए। और सरकार को चाहिये कि लेवी वसूल करे बफर स्टाक के लिये और ऐसे साल के लिये अवश्य करें लेकिन अत्यधिक कीमतें गिर जायें और गरीबों की इकानामिक हालत पर असर पड़े तो इससे बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। इसलिये एक ही पक्ष सोच लेना कि कृषि से लेना देना नहीं और भाव गिर गए यह अव्यवहारिक होगा। तो इस समस्या की ओर सरकार को गहराई से सोचना चाहिये और अध्ययन करना चाहिए।

ठीक है कीमतें तो गिर गयीं लेकिन सीमेण्ट की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें और दूसरी चीजों की जो कृषि के उपयोग की चीजें हैं उनकी कीमतों में गिरावट नहीं आई है बल्कि सब की दामें बढ़ी हैं। इसलिये इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण जनहित को ध्यान में रखते हुए अपनाना चाहिये। इस बात के लिये तो हमारे देश का जो राजनैतिक नेतृत्व है उसको और प्रशासन को मैं बधाई देता हूं कि देश की गाड़ी पटरी से उतर गयी थी और अव्यवस्था की सी स्थिति पैदा हो गई थी। मजदूर, काश्तकार, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, प्रोफेसर यह देश के निर्माण में अबूधा

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

होने चाहिए थे और इनको अच्छा रास्ता बताना चाहिए था। यह बात मैं नहीं कहता कि सबके अन्दर ही ऐसी हवा पैदा हो गई थी कि सब बुरे हो गए थे लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं कि जिसमें विघटन बहुत तेजी से हमारे देश का हो रहा था और दूसरे देशों में यहां तक कहा गया कि हिन्दुस्तान जो है "इट इज ए लिविंग एनार्की", एक जीवित अव्यवस्था का नमूना है। हमारे देश की प्रतिष्ठा बंगला देश के कारण बनी थी लेकिन अब वह बिगड़ाव की स्थिति में आ गयी। फिर ऐसी स्थिति में आ गये कि हम एक ही जगह रुक गये। हमारी समस्यायें बढ़ गई हैं युद्ध के कारण आर्थिक भार, विस्थापितों के कारण आर्थिक भार और पचासों तरीके से हमारे ऊपर आर्थिक भार बढ़ रहा था। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कुल मिलाकर इमरजेन्सी का यह असर हुआ है कि लोगों का ध्यान कन्सट्रक्टिव कामों की तरफ गया है और बीस सूत्री कार्यक्रम ने एक रास्ता बताया और जो प्रशासनिक ढांचा है, जो सर्विसेज हैं उसके बारे में हमारी बहुत सी धारणायें थीं कि वह अयोग्य है, भ्रष्ट है, वफादार नहीं है। ठीक है कुछ लोग आज भी ऐसे हैं और रहेंगे कुछ लोग लेकिन कुल मिलाकर एक बात के लिए राजनैतिक नेतृत्व को तो बधाई देता हूँ लेकिन प्रशासनिक जो ढांचा है और जो सरदार पटेल ने कल्पना की थी। इतनी कल्पना कीजिए कि इतना बड़ा देश और इतना बड़ा सिस्टम है और गांधीजी ने अंग्रेजों को हराया और उनका विरोध किया, नाम तो सत्याग्रह और अहिंसा और हिंसा की सारी कार्यवाही तो वही शस्त्र आज काम में लाया जा रहा था, तो राजनैतिक तंत्र और इतना लम्बा अनुभव और इतनी ट्रेड यूनियनें थीं, विद्यार्थियों का संगठन और दूसरे भी संगठन, कान्स्टीट्यूशन और बड़ा मुश्किल लगता था कि कैसे काबू में यह सब आ सकता था लेकिन दो दिन के अन्दर इस सबको कब्जे में करके चूं भी नहीं करने दिया-यह बधाई की बात है। इतना सुदृढ़ और मजबूत ढांचा है कि हाथ के ऐसे ठिकाने गोली लगी है कि वह वहीं की वहीं ढेर हो गया। तो इस प्रशासन के अन्दर क्षमता है लेकिन क्षमता एक बात की है प्रशासन करने की। प्रशासन करने की क्षमता है यह तो साबित कर दिया लेकिन खाली प्रशासन चलाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है प्रशासन के माध्यम से जन कल्याण करना। जन कल्याण की भावना जब तक नहीं होगी इसके अच्छे परिणाम होने वाले नहीं हैं। यह तो साबित कर दिया कि बड़ी पावरफुल मशीनरी है। इस प्रशासनिक ढांचे का सदुपयोग जनता के कल्याण के लिए और वैलफेयर स्टेट के लिए किया जाये और इसमें उनका री-आर्गेनाईजेशन होना चाहिए था। जब तक यह री-आर्गेनाइजेशन नहीं होगा, मजबूत शासन तो कर दिया लेकिन आगे जाकर इसके बुरे परिणाम भी आ सकते हैं। यह चीज है।

तीसरी जो बात है

श्री उपाध्यक्ष : अब तो गौण बातें ही रह गयी होंगी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गौण बातें तो अब आयेंगी।

कुछ माननीय सदस्य : अभी तक तो भूमिका ही थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो भूमिका नहीं है पृष्ठभूमिका है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब सवाल यह आता है कि राज्य सरकार ने भूमि सुधार के बारे में पिछले 20–25 सालों में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें बिना कोई पैसा लिये और मुफ्त में सब लोगों को खातेदारी हक दिये और उसके बाद में लाखों एकड़ भूमि सरकार ने मुफ्त में भूमिहीन किसानों को दे दी। इसके अमल में कुछ ढील आ गयी थी सीलिंग कानून के और अब वह ढिलाई भी दूर हुई और सरकार मुस्तैदी से इस काम को कर रही है और यह जमीन भूमिहीनों को दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो भूमिहीन काश्तकार हैं उसके पास न बैलों की जोड़ी है और न उसके पास कृषि के यंत्र हैं, न बीज हैं। पचासों चीजों की कमी है। काश्त सिर्फ जमीन के होने से ही नहीं होती है इसलिए मेरा इसमें सुझाव यह है कि जिसको आप नयी जमीन दें जमीन देकर ही आप सन्तुष्ट नहीं हो जायें उसके लिए उसको प्रशिक्षण मिले और आर्थिक सुविधायें मिलें। लूनी से आने वाले माननीय सदस्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हैं। करीब 2500 ट्रैक्टर उनके यहां होंगे और बरसात होने पर दो दिन के अन्दर हमारे ट्रैक्टर वाले खेती कर देते हैं। बैल को आज कल इकोनोमिकल नहीं मानते इसलिए रखते भी नहीं है और जो हैं उस तरह खेती हो जाती है। गरीब आदमी के पास ट्रैक्टर चलाने का पैसा नहीं होता। सरकार को एक बात तो यह चाहिए कि ट्रैक्टर स्टेशन कायम करे। जो भूमिहीन हैं या जो छोटे काश्तकार हैं उनकी खेती आसानी से हो सके, जल्दी हो सके इसके लिए सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर स्टेशन बनाने चाहिए।

दूसरी बात सामूहिक रूप से जैसे ट्यूबवैल हैं। एक ट्यूबवैल एक छोटे काश्तकार के पास नहीं हो सकता है तो सरकार को चाहिए कि हमारे यहां पर आम तौर से जितने भी खेतों के बंटवारे हुआ करते हैं, इस क्षेत्र में इस जात वाले रहेंगे, इस क्षेत्र में, इस चक में इस जाति वाले के खेत होंगे, तो इस बारे में भी जहां पिछड़े वर्ग के लोगों के खेत हैं या छोटे काश्तकारों के खेत हैं, उनमें 15–20 के बीच में अगर ट्यूबवैल सम्भव हो सकें तो ट्यूबवैल और ट्यूबवैल यदि सम्भव नहीं हों तो दूसरा कुआ एक सामूहिक खोद कर सरकार को इन्तजाम रखना चाहिए और इससे पानी उनको फिक्स्ड रेट पर देना चाहिए।

तीसरी चीज किसानों के मतलब की यह है कि खेतीबाड़ी के जो यंत्र हैं इसके मामले में राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, इसमें कृषि यंत्रों के मामले में इतने आगे बढे हुए हैं कि एक आदमी पांच आदमी का काम कर सकता है और बिल्कुल सस्ते में कर सकता है। जो गांव के लुहार को, गांव के सुथार को एक धन्धा देने की चीज बन जाती है। और आधुनिक खेती सस्ते में दी जा सकती है, तो इस प्रकार से ये तीन चीजें हैं जो भूमिहीन किसानों को, छोटे काश्तकार को उपलब्ध कराने के लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

एक बात खेतिहर मजदूरों के बारे में है। जब से नरोरा कैम्प हुआ उसको संगठित

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

करने की काफी कोशिश की जा रही है। उनका संगठन हुआ भी है लेकिन संगठन सिर्फ राजनैतिक हो सकता है, थोडा बहुत हुआ है, सब जगह फैला भी नहीं है। लेकिन जो असली उनकी तकलीफ है, जो उनका असली मर्म है उस तक न तो प्रशासन पहुंचा है और न ही राजनैतिक कार्यकर्ता पहुंच पाये हैं। खेतिहर मजदूर की मजदूरी आपने साढे पांच रुपया, कहीं पांच रुपया, कहीं छः रुपया कर दिया। बहुत अच्छा किया लेकिन वह मजदूरी तभी चल सकती है जब मजदूर थोड़े एक्सपर्ट हों, उनके पास यंत्र हों, वे आगले को कुछ फायदा पहुंचा सकें। तो इस तरह के यंत्र देना, उनकी कोआपरेटिव बनाना, उनको अच्छी ट्रेनिंग देना, खेती के काम का तरीका हो, जमीन को समतल करने का तरीका हो, खेती के अन्दर नालियां बनाना, खेतों के अन्दर क्यारियां बनाने का तरीका हो, अगर निलाई करने का काम हो तो उसके लिए उनके पास यंत्र हों, साधन हों उनका संगठन हो। उनको अगर मान लीजिए, उनका संगठन नहीं हो या संगठन में कहीं कमजोरी आती हो तो उसको देखना लेकिन हर हालत में आपको कस्टमर को सेटिस्फाईड करना पड़ेगा, उस पक्ष को छोड़ नहीं सकते हैं। काश्तकार तो वही ले जाएगा जो फायदा देखता है। इनमें योग्यता हो, क्षमता हो, कार्य कुशलता हो। यही नहीं जितने भवन निर्माण के कार्य हैं वहुत वैसा रखा हुआ है। गंगानगर इलाके में तो भवन निर्माण के लिए ईंटे बनाना, चूरू में है, सीकर में है झुंझनू में है यहां ईंटों के निर्माण का कार्य बहुत होता है लेकिन जोधपुर डिविजन के छः सात जिले तो ऐसे हैं जहां पर ईंटों को लोग बनाना सीखे ही नहीं हैं और हाउस बिल्डिंग मैटिरियल का एक बहुत बड़ा काम है जिसमें भूमिहीन काश्तकारों को, एग्रीकल्चरल लेवर को अपने आप में एक धन्धा हो सकता है। जब आइडल सीजन हो तो इस तरह के संगठन करके गांवों में काम में नहीं लगायेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे तो यह काम पूरा नहीं हो सकेगा।

सहकारिता के बारे में कहता हूं, इसके अन्दर क्वालिटेटिव चीज है उसमें बढ़ना है। जहां तक कानूनी चीज का सम्बन्ध है वहां तक तो हमने कुछ कर दिया है लेकिन सहकारिता के नाम पर सहकारिता एक जीवन का तरीका है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था....

श्री उपाध्यक्ष : अभी और भी काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसमें कोई अड़चन नहीं होगी, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कितनी ही क्वालिटेटिव चीजें हैं कोआपरेटिव में, खेती की कोआपरेटिव है, उद्योग की कोआपरेटिव है, दूसरे तरीके की प्रवृत्तियां हैं, मार्केटिंग कोआपरेटिव है, जब तक इसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, जब तक इनकी लेटेस्ट टेक्नोलोजी की जो मशीनरी है उसको नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं।

(श्री पूनम चन्द बिश्नोई)

रंगाई का काम है, छपाई का काम है लुहारी का काम है, कसीदा का काम है ये सब काम राजस्थान के अन्दर एक तरीके के बहुत ही ऊंचे काम माने जाते हैं। लोहे का काम है, पीतल का काम है, नक्कासी का काम है, ये सब कारोबार खत्म हो रहे हैं। कोआपरेटिव इसमें बहुत बडी सहायक हो सकती है लेकिन कोआपरेटिव इसमें असफल रही है। तो अब जो आपने यह प्रयत्न किये हैं, ठीक हैं लेकिन हाफ हार्टेड हैं, अधूरे हैं। इसके अन्दर एक्स्टेंशन सेवाओं का, मेरा सुझाव है कि बहुत बडी एक फौज है प्रसार अधिकारियों की इन्डस्ट्रीज के प्रसार अधिकारी खेती के प्रसार अधिकारी, पंचायत राज के ग्राम सेवक, प्रसार अधिकारी, कोआपरेटिव के प्रसार अधिकारी, फेमिली प्लानिंग के प्रसार अधिकारी, लेकिन यह प्रसार अधिकारियों का काम है यह भी बहुत पुराना हो गया है। उनका प्रशिक्षण जब किया गया था जब दुनियां बहुत पीछे थी। छोटी 2 बातें नहीं।

(3 5 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पीठासीन)

समझते थे, उस वक्त की उनको ट्रेनिंग दी हुई है। अब उस काम को जनता समझ गई है, आगे जब तक उनका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक यह बात आने वाली नहीं है और असली जनता को फायदा नहीं पहुँच सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जितने तरीके के एक्स्टेंशन आफिसर्स हैं, प्रसार अधिकारी हैं उनकी सेवाओं का पुनर्गठन होना चाहिए। उनका प्रशिक्षण दुबारा होना चाहिए ताकि समय के अनुसार वे बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार वे जन चेतना ला सकें और साइन्स ने विज्ञान और टैक्नोलोजी ने जो नई उपलब्धियां की हैं उनका फायदा जनता को मिल सके और उनके ज्ञान से लाभान्वित हो सकें।

एक बात है शिक्षा की। हमेशा जब से अंग्रेज गए तब से यह कहते रहे हैं कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए लेकिन आमूलचूल परिवर्तन क्या हो यह अभी तक तय नहीं हो सका। कई कमेटियां गठित कर दीं, बड़े 2 विद्वानों की कर दी लेकिन इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सके। इसमें जो मुद्दे की बात है वह है समझने की। पहली बात तो इस देश में अभी भी गुलामी की बू भरी हुई है। सरकारी अधिकारी ऊंचा है और जो जनता का साधारण आदमी है वह नीचा है। पहले तो सरकारी सेवाओं का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। उनके अन्दर अहम भावना होती है, उनकी शादी का तरीका, विवाह का तरीका, रहने का तरीका, उनके हालचाल, उनका ढंग जो है, जो उनका व्यवहार है उसके अन्दर बदलाव आना चाहिए। जब तक उनका दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक आप कितनी ही कोशिश करलें मजदूर का बेटा है, जो ठेला ढोने वाला है वह छोटा और सरकारी अधिकारी ऊंचा। वह कभी भी यह नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा ठेला चलाये या कोयले की दुकान पर बैठे या शहर की सफाई का काम करे। जब तक हम काम को इज्जत नहीं देंगे, ओहदे की इज्जत हमारे में रहेगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। यह दृष्टिकोण न तो किताबें बदल सकती है और न

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

कोई और चीज। आज स्कूलों की कमजोरी यही हैं। मास्टर हैं वह हों, चाहें किताबें और उनकी चाबियां हों, यह परिणाम नहीं ला सकेंगी। लेकिन चरित्र निर्माण का काम, दृष्टिकोण बदलने का काम है वह शिक्षित करते हैं। उस भावना का प्रभाव है और वह खाली किताबें पढ़ने से नहीं होगा, अन्य प्रवृत्तियां प्रबल करना चाहिए। गेम्स हैं, खेलकूद हैं, स्काउट्स की प्रवृत्तियां हैं इनको प्रोत्साहन हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, स्कूलों में प्रतिद्वन्दिता हो, दूर खेती चल रही हो वहां गांव की स्कूलों के बालकों को खेतों में ले जाकर दूसरे देश में ले जाकर रखा जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। यह जब तक नहीं होगा हमारा दृष्टिकोण बदलेगा नहीं और दूसरा दृष्टिकोण कि यह ऊपर हैं वह नीचे हैं, यह दृष्टिकोण जब तक हमारा नहीं बदलेगा कुछ होगा नहीं।

स्पोर्ट्स के बारे में काफी अच्छा काम हुआ है लेकिन स्पोर्ट्स की ग्रान्ट इन एड वही है। सात साल पहले जो थी वही है। तनख्वाहें बढ़ गई, सामान की कीमतें बढ़ गईं, खाने की कीमतें बढ़ गई लेकिन स्पोर्ट्स कौंसिल की ग्रान्ट-इन-एड वही है जो सात साल पहले रखी हुई थी। जितनी स्पोर्ट्स की प्रवृत्तियां हों, कोम्पीटिशन हो, वहां, दौड़ हों, खेलकूद हों, जब तक कम्पीटिशन की और डिस्टिंक्शन की भावना नहीं बढ़ेगी खेलों की तरक्की नहीं हो सकेगी। खेल कूद तरक्की नही करेंगे तो स्कूलों का वातावरण कभी अच्छा नही बनेगा। न दोस्ताना के ताल्लुकात होंगे, न उनमें सद्भावना होगी, न सहकारिता बढ़ेगी, न भाईचारा बढ़ेगा। तो गेम्स और स्पोर्ट्स, राज्य के मुख्य मंत्री यहां पर बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और स्पोर्ट्स काउन्सल की ग्रान्ट बढ़ायें।

एक पक्ष हम और भूल गये हैं। वह है शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा का। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहूंगा, खास तौर से महिला वर्ष में यह निवेदन करना चाहता हूं कि महिला प्रौढ़ शिक्षा के बारे में हम सक्रिय कदम नहीं उठाएंगे तब तक हमारा सुधार नहीं होगा। ग्रामीण महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करती हैं। प्रातः 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वे काम करती हैं। वे बीमारियों से पीड़ित होती हैं परन्तु उसका इलाज नहीं होता है। इसलिए एडल्ट एजुकेशन खास तौर से महिलाओं में होना चाहिये। महिला वर्ष में एक बात कह दी, दहेज नहीं दिया जाये। दहज नहीं दें तो उनको हिस्सा दिया जाये। बाप के घर से वे आती हैं और जो कुछ उनको मिलता है वह भी आप समाप्त कर रहे है। बीस वर्ष तक वह रही और उसको निकाल दिया। यह तो पुरुषों का दृष्टिकोण है। यह सही बात नहीं हैं। आप यह कहें कि हमें हिस्सा दिया जाये। हम उन्हें जमीन का हिस्सा दें, मकान का हिस्सा दें, हम दहेज नहीं दें। यह गलत दृष्टिकोण है। इसलिए इस चीज को इस महिला वर्ष में देखना चाहिये। एडल्ट एजुकेशन महिलाओं को दिया जाए और कैसा एडल्ट एजुकेशन दिया जाये, जैसे बिजली की मशीन है, इसको कैसे चलाया जाता है, इसकी कैसे मरम्मत होती है, किस तरह से इसकी

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)
रिगें बदली जाती है, इसको सिखाया जाये एडल्ट एजुकेशन में। कोई ट्रैक्टर ले रहा है तो उसको ट्रैक्टर के बारे में ट्रेनिंग दी जाये। याने एडल्ट एजुकेशन को आमदनी और रुपये पैसे के साथ जोड़ा जाये तो बड़ी उम्र के लोग भी इसको सीखेंगे। वरना आप उन्हें क, ख, ग पढ़ाएंगे तो वह वहां पर ऊंघेगा। उसको नींद आ सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एडल्ट एजुकेशन को व्यवहारिक बनाना चाहिये।...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात मैंने सिंचाई के बारे में कही है। सिंचाई के बारे में पुनर्विचार करना चाहिये। हमारे तरीके पिछड़े हुए हैं।

फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं, इसलिए पेय जल योजना के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में अच्छा काम हुआ है। अरबों रुपया ग्रामीण इलाकों के अन्दर लगा है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको एक-दो योजनाएं मिल गई हैं?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पहले आपने भी दी थी और अब इन्होंने भी दी है?

मैं यह निवेदन कर रहा था कि दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश की समस्या भिन्न है। जो योजनाएं बनती है उनके अन्दर अधिकतर मनुष्यों के लिए ही पेय जल की योजना होती हैं। उसके साथ पशुओं के लिए प्रावधान नहीं होता है। जहां मनुष्यों के लिये पेय जल की योजना हो, वहां साथ ही पशुओं के लिए भी डो, गड्डे, तालाबों को साथ साथ रखा जावे। जहां आदमी पानी पीता है, वहां पशुओं के लिए भी पानी मुहैय्या हो। मरुस्थलीय क्षेत्र में खास तौर से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। जिस तरह से आप पानी की योजनाएं बना रहे हैं उससे तो वे क्षेत्र उजड जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि पशुओं की गिनती मरुस्थलीय क्षेत्र में मनुष्यों के साथ की जानी चाहिये। इसके अन्दर एक मैटेरियल कम्पोनेन्ट है। मशीनरी भारी है। इसको आपको अपनी सहूलियत को देखते हुए उपलब्ध कराना चाहिये और सस्ते पेय जल की योजनाएं बनाना चाहिए। मैं यह समझता हूं कि आपकी योजनाओं से तालाब उजड रहे है। इसलिए इसको सुधारना चाहिये। शहरों में प्रति व्यक्ति जो पानी आप दे रहे हैं, वह बहुत है। अगर शहरों को इसी तरह से आप पानी देते चले गये तो 20 साल में वह क्षेत्र ऊजड़ जायेगा और मरुस्थलीय क्षेत्र के अन्दर खेती करना असंभव हो जायेगा। इसलिए इसकी मात्रा को कम करें। इसके लिए सिम्पल सिस्टम होना चाहिये वरना मवेशी प्यासे मर सकते हैं। इसमें हमको सुधार करने की जरूरत है।

एक बात वन के वास्ते में है परन्तु यह काफी लम्बी चौड़ी बात है। फिर कहूंगा।

यह महावीर निर्वाण वर्ष है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वर्ष के अन्तर्गत शिकार करना बंद कर दिया जाये। पिछले वर्षों में काफी पशु, पक्षी मर गये हैं। पंजाब ने शिकार कानूनन बन्द कर दिया है। हरियाणा में भी रोका है। अपने यहां पर कई

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

जगह पशु-पक्षी बचे हुए हैं। मिलिटरी के जोन में, और बाहर से आने वाले लोगों के कारण पशु मर रहे हैं। महावीर निर्वाण वर्ष में हम हमारे यहां भी शिकार पर रोक लगा दें तो अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्रीमती निर्मला कुमारी : सभापति महोदय, हमारा नम्बर कब आयेगा ?

श्री सभापति : आज की सूची में आपका नाम नहीं है।

श्री शंकरलाल (पाली) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के प्रारम्भ में इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारे देश के अन्दर एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था जिसके कारण आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी और इसके बाद राजस्थान ने क्या प्रगति की, उसका भी लेखा जोखा अभिभाषण में बताया है।

सभापति महोदय, जो परिस्थितियां बनी थी और जिनके कारण इमेरजेन्सी की घोषणा करनी पड़ी, उसमें मैं इस बात को और जोड़ना चाहता हूं कि आज भी वे परिस्थितियां उसी प्रकार से और उससे भी ज्यादा गंभीर रूप से हमारे देश के अन्दर और हमारे प्रान्त के सामने है और इस बात को यहां पर और हमारी जनता के सामने इसको स्पष्ट रखना चाहिये। हमारी राजस्थान सरकार को इसके प्रति बहुत ही एक कड़ा रुख लेकर परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए अपने आपको तैयार करना होगा।

सभापति महोदय, कल और आज, कुछ उधर से आनेवाले माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है, फासिज्म के बारे में कहा है, कुर्सी से चिपके रहने और अपने पावर को बनाये रखने के लिये, इमरजेन्सी की घोषणा और इसको फासिज्म कहा है। यह फासिज्म की बात उन्होंने कही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुर्सी और पावर है-डेमोक्रेसी में जनता ने निश्चित समय के लिए चुना है। इसको अगर आप नहीं मानते हैं, डेमोक्रेसी के जरिए नहीं मानते हैं, बल्कि ऐसी चुनी हुई सरकार को हिंसक प्रवृत्तियों के जरिए हटाना चाहते हैं, तो वह फासिज्म है। जनता ने एक मेनडेट दिया कि हमारी प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकारें 5 साल के लिए चुनी गयी हैं। जब तक चुनाव नहीं होते, अपने काल तक ये सरकारें कायम रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के अन्दर क्या आप वोट को उड़ाना चाहते हैं लेकिन आप वोट से नहीं बदल सकते। वोट जनता से लिए जाते हैं और जनता आपको वोट नहीं देती। इसलिए चुनी हुई सरकार को जिसका कि पीरियड अभी समाप्त नहीं हुआ है, उसको दुबारा चुनाव का मौका नहीं दिया और इसको हिंसक प्रवृत्तियों के जरिए उखाड़ना चाहते हैं, हिंसा फैलाकर। यही एक फासिज्म था।

फासिज्म के बारे में हमें उन लोगों को कर्व करना पड़ेगा, उनका पर्दाफाश करना

(श्री शंकर लाल)

पड़ेगा चाहे वह आर. एस. एस. के हों चाहे आनन्दमार्गी हों और जो उनके साथ में जुड़ी हुई शक्तियां हैं चाहे वह जनसंघ की शक्ति हो, चाहे सी. पी. एम. की शक्ति हो और प्रतिक्रियावादी राइटिस्ट जितनी ताकतें हैं उनका पर्दाफोश करना पड़ेगा, और अब वह समय आ गया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री ने जब पाली के अन्दर एन्टी फासिस्ट रैली का हमने आयोजन किया था तो प्रधान मंत्री इन्दिराजी ने मैसेज भेजा था मेरे नाम पर उसका जो रेलेवेन्ट पोर्शन है फासिज्म के बारे में दो–तीन लाइनें पढ़कर सदन के सामने सुनाना चाहता हूं। वह यह है–

"It is time now to educate our people about exactly what Fascism was and is and who had practised it and who encouraged it."

उसके बाद में पूरा विवरण है। लेकिन उन्होंने इस बात की तरफ संकेत किया है कि अब समय आया है कि इनकी प्रवृत्तियों का हमें पर्दाफाश करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ चण्डीगढ़ के अन्दर और कामागाटा मारू नगर के अन्दर जो कांग्रेस ने राजनैतिक स्थितियों बारे में प्रस्ताव पास किया है उसका रेलेवेन्ट पोर्शन राजनैतिक स्थिति के बारे में है उसको सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। उसका जिक्र राज्यपाल महोदय की स्पीच में नहीं है। वह यह है–

"जो भी हो, यह सोचना अभी ठीक नहीं होगा कि घरेलू और बाहरी खतरों से पूरी तरह पार पाया जा चुका है या कि राष्ट्र अपनी चौकसी में ढील ला सकता है। इसके विपरीत हर दिन नई जानकारी मिलती है कि अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतें देश में और देश के बाहर से अभी तक सक्रिय हैं। पड़ौसी देशों और दूर की घटनाएं हमारे देश पर अपनी अपशकुनकारी छाया डाल रही है और हमारी सुरक्षा एवं स्थिरता को प्रभावित कर रही है। अपनी सीमाओं पर तथा साथ ही अपने घरेलू मोर्चे पर और अधिक सतर्कता अधिकाधिक आवश्यक हो गई है। जब खतरे मौजूद हैं और हमारे अन्दरूनी काम अभी अधूरे हैं, आपात स्थिति को जिसकी घोषणा तत्कालीन खतरों का सामना करने के लिए की गई थी तब तक कायम रखना होगा जब तक कि वह पूरा आश्वासन प्राप्त न हो जाय कि इन खतरों को कारगर तौर पर रोका जा सका है।"

यह रेलेवेन्ट पोर्शन मैंने इसलिए पढ़कर सदन के सम्मुख रखा है कि आज हमारे देश की परिस्थितियां गम्भीर हैं और इसलिए इमर्जेन्सी को कन्टीन्यू रखने का फैसला किया है, क्योंकि इमर्जेन्सी के जो परिणाम आये हैं, जिस काम को हमने हाथ में लिया है, चाहे किसी कौने में देश के लिए लिया हो, राजस्थान में जिस प्रोग्राम को हमने हाथ में लिया है, और जो देश में काम हुआ है और जो अधूरे काम रह गये हैं उनको पूरा करने के लिए और जिस डिसिप्लिन के साथ हम जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनके लिए आज की परिस्थितियों में हमें उसको रखना पडेगा।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि गांधी जयन्ती के रोज कुछ पर्चे गांधीजी की तस्वीर के

(श्री शंकर लाल)

साथ में प्रकाशित हुए, और राजस्थान के अन्दर यह पर्चे मैंने घूमते हुए देखे, अपने हाउसिंग बोर्ड का जो दफ्तर है और हाउसिंग बोर्ड में जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर भी एक पर्चा उसी प्रकार का चिपका हुआ मैंने आज ही देखा है। उसके अन्दर गांधी जी के नाम से लिखा था कि अन्याय के सामने और असत्य के सामने झुकना कायरता है और गांधी शताब्दी के नाम पर इन चीजों को लेकर 2 अक्तूबर को आर.एस.एस. के कुछ लड़के दूसरे रोज गांधीजी के चित्र के साथ में गन्दी बस्तियों में गये और कांग्रेस के बारे में और इन्दराजी के बारे में लोगों को भड़काया। वह चीज पाली में भी सामने आई और यहां पर भी सामने आई। यह जो प्रतिक्रियावादी ताकते हैं जिनको हमने कब किया है वह कुछ तो कांग्रेस के अन्दर घुसकर, कुछ को तो कांग्रेस के अन्दर घुसा दिया है, बहुत से घुसे हुए हैं और बहुत से लोग घुसना चाहते हैं, और कांग्रेस की आड़ लेकर अपना काम करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के लोगों से हमें आगाह रहना पड़ेगा।

इसी प्रकार से कल हमारे पी.सी.सी. के प्रेसीडेन्ट ने कल अपने भाषण में कहा था कि राज्य सरकार के अन्दर भी ऐसे कर्मचारी हैं जो कि आनन्दमार्गी हैं उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है जिसके ऊपर कि हमने प्रतिबन्ध लगा रखा है। उसके लिए राज्य सरकार को सोचना चाहिये। पी.सी.सी. के प्रेसीडेन्ट ने यह बात कही थी कि इस प्रकार के जो हमारी राज्य सरकार के अन्दर लोग हैं, तो इन ताकतों के बारे में जो कुछ ढिलाई है उस ढिलाई को खत्म करने के लिए ताकत से काम करना पड़ेगा इन्दिराजी ने कामागाटामारू नगर में 31 दिसम्बर को बड़े जोर के साथ कहा था कि यह ताकते अमेरिका के रूप में भी हो सकती है और दुनिया की ऐसी ताकतों को उन्हें कब्र करना पड़ेगा चाहे वह किसी कौने से हों। उनको इस प्रकार से कब्र करना पड़ेगा ताकि वह किसी प्रकार से देश की प्रगति में बाधक न हों। इस प्रकार के सख्त कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन्हीं शब्दों के साथ में रखना चाहिए था कि वह उन स्थितियों को समझें और अपनी चीज में ढिलाई न लायें कि हमने कुछ कर लिया है और कर गुजरेंगे, लेकिन आगाह के रूप में इसके बारे में काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इसके बारे में बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए जगह जगह कमेटियों का गठन किया गया है। राज्यस्तर पर कमेटी हुई, फिर जिला स्तर पर हुई और अब ब्लाक लेवल पर होने जा रही है। आपात स्थिति की घोषणा को 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया। जिला लेवल पर कमेटी गठित हुई है। ब्लाक लेवल पर कोई गठन नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि लेवल पर जो कि ग्रास रूट है कमेटियां नहीं बन रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के अन्दर कितनों से बात हो सकती है और कौन से सारी समस्याओं पर बात कर सकते हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम पर इसीलिए पूरी बात नहीं हो पाती है। इसलिए ब्लाक लेवल की कमेटियों का गठन होना जरूरी है।

(श्री शंकर लाल)

सीलिंग के इम्प्लीमेन्टेशन के लिए जो गाइडलाइन्स कांग्रेस हाई कमाण्ड ने दी थी कि रेवेन्यू सर्किल वाइज कमेटियां बनना चाहिये । मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि सीलिंग के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेवेन्यू सर्किलवाइज कमेटियों का गठन हो । हमारे यहां राजस्थान के अन्दर केवल नेही आंकडे दिये हैं कि इतनी जमीन ले ली है. लेकिन वास्तव में गांवों में कौन से ऐसे लोग हैं जो छूट गये हैं, इम्पलीमेन्टेशन कहां पर ठीक नहीं हुआ है, यह तो जब आप रेवेन्यू सर्किल वाइज कमेटियां बनायेंगे कांग्रेस के हाई कमाण्ड के अध्यक्ष के आदेश के अनुसार तब मालूम होगी और सीलिंग के इम्पलीमेन्टेशन की सही क्रियान्विति होगी और सही रूप से जमीन लेकर उन लोगों को दे पायेंगे ।

बीस सूत्री कार्यक्रम की कमेटी के अन्दर जो कुछ लोग लगे हैं उनके बारे में मेरे से पूर्व बोलने वाली सुमित्राजी ने बताया था। मुझे भी इस प्रकार का अनुभव है, सभापति महोदय । मैं इस बात के लिए नहीं कहता कि अमुक आदमी को लें या न लें, लेकिन प्रश्न यह है कि जिन आदमियों को जिला कमेटी में लेते हैं वह प्रोग्राम के प्रति आस्था तक रखते हैं या नहीं यह देखना चाहिये। यदि ऐसे आदमियों को लेते हैं, मेरे जिले में ऐसा उदाहरण है, सभापति महोदय, कि जो लोग राजाओं ने जो जमीन दाब रखी है उसके लिए उनकी पैरवी करने के लिए वकील हैं, उनके सीलिंग के कैसेज के वकील हैं, उनको इम्पलीमेन्टेशन कमेटी का मेम्बर बनाया गया है । हम जो शुरू से ही सीलिंग की बात करने वाले लोग हैं वे सीलिंग की इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी के मेम्बर नहीं हैं । इस प्रकार की क्या नीति है सरकार की यह समझ में नहीं आती है । आज भी इसके अन्दर ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से निकाले गये हैं अनुशासन के कारण और उनका अनुशासन का पीरियड खत्म नहीं हुआ है, ऐसे इन्डिसिप्लिन्ड आदमियों को मैम्बर बनाया गया है और कांग्रेस के मैम्बर्स को एवायड किया गया है कमेटी के गठन में से । बीस सूत्री कार्यक्रम के इम्प्लीमेन्टेशन में आप किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं तो मैं समझता हूं, सभापति महोदय, कि वह एक गलत बात होगी । यह गलत बात ही नहीं है आप बीस सूत्री कार्यक्रम को सेबोटेज कर रहे हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम की सफलता के लिए आप तैयार नहीं हैं । ऐसी कई मिसालें कई जगहों की हमारे सामने आई है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो कमेटियों का गठन हो उसमें सही रूप से जो आदमी उस पालिसी में आस्था रखते हैं उन आदमियों को गठन में लिया जाना चाहिए ।

मैं, सभापति महोदय, सीलिंग के बारे में आप से निवेदन कर रहा था कि रेवेन्यू सर्किलवाइज कमेटी बने । मैं थोड़ा सा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस सीलिंग के लिए जहां इतनी बात कही गई कि हमने इतनी जमीन ले ली है, 20 हजार एकड ले ली है, लेकिन उस बीस हजार एकड में से आपने अपने कब्जे में एक्चूअली कितनी जमीन ली है, और कब्जा लेने के बाद उसको बांटने में क्या दिक्कत है । यह आंकड़े तो सही हैं जो आपने गवर्नमेंट से लिये हैं कि एलाटमेंट इतना कर दिया है । बहुत अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन राजाओं की जमीन सीलिंग के अन्दर

(श्री शंकरलाल)

लेकर आपने कितनी बांट दी है। जो कुछ ली है उसके आंकड़े मालूम नहीं हैं। वह अपने कब्जे में आप ले सके हैं अथवा कागजों में ही ले पाये हैं या वास्तविक कब्जा ले पाये हैं, क्योंकि मैंने यह देखा है और मैंने सुना भी है कि लैण्ड रिफार्म्स के मामले में गवर्नमेंट आफ इंडिया के रिप्रेजेन्टेटिव्ज आये थे उनके सामने यह बात रखी गई है। इसमें आंकड़ों की ही बात बताई है। कि हमने इतनी जमीन बांटी है। लेकिन वह बांटने की जमीन गवर्नमेण्ट लैण्ड है। राजाओं की जमीन ली है, लेकिन बांटी कितनी है? दूसरा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी जमीन पर अतिक्रमण कर रखे हैं। एक बाम्बेलाई गांव है पाली तहसील में, वहां 2196 बीघा जमीन है। इसके लिए मैंने पहले विधान सभा में प्रश्न रखा था। उसके उत्तर में कहा गया था। प्रश्न सं. 203 पर कहा गया था कि वह भूतपूर्व जोधपुर राज्य ने गलत एण्टर करा ली है। यह सरकारी जमीन है। इसके लिए तहसील ने आर्डर पास कर दिया। यह कब्जे में ले ली जाये। लेकिन उस पर स्टे आ गया। 2196 बीघा जमीन हैं। दयालपुरा है वहां पर 500 बीघा है। पहले वहां पर विजयसिंह जी कलेक्टर थे जो कि अब मेडिकल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने जो कब्जे किये हैं ...

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं कुछ मिनट और बोलूंगा।

श्री सभापति : 5 मिनट के अन्दर कह लें।

श्री शंकरलाल (पाली) : मैं यह कह रहा था 91 के अन्दर कब्जा लेते हैं। जो काश्त है, 500 गज है। 150 गज तक लोगों को प्लाट दिये जा रहे हैं। जिनके पास आलरेडी हैं तो कुछ पुराने सर्कुलर हैं। उस बाले में निवेदन करूंगा कि जहां तक 150 गज जमीन हाउस के लिए देने की बात है, 150 गज तो बहुत कम होती है। कोई आदमी गांव में इतने में मकान बना सके यह सम्भव नहीं है। सभापति महोदय, जिस जगह जमीन नहीं है, वहां के लिए भले ही 150 गज की बात करें लेकिन जहां जमीन पडी हुई है वहां 150 गज की बात करें। 150 गज जमीन लेकर लोग आपस में मिलकर मकान बनाते हैं। यह स्थिति है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि गेहूं कि लेवी के अन्दर खरीफ की लेवी। पाली तहसील में मंडिया के अन्दर गये साल की लेवी ले ली। इसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लिखा, उन्होंने इसको सही माना। उन्होंने कहा कि एक्शन लेंगे। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। गये साल की लेवी ले ली। जो ऐसी जगह बताई गई है, वहां न तो कारपोरेशन है और न डीलर है। ऐसी जगह पर सरकार द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। सभापति महोदय, कर्ज के बारे में हमारी सरकार ने जो लागू करने के लिए कहा है, वह बहुत कम है राजस्थान में उसकी घोषणा कर दी है। ज्यों ही हमारी प्रधान मन्त्री इन्दिराजी ने घोषणा की वैसे ही गांवों के साहूकारों ने कर्ज देना बन्द कर दिया। पचायत समितियों ने तकावी दी नहीं। साथ ही साथ सभापति महोदय, रिकवरी चालू हो गयी है। सभापति महोदय, आप समय कम दे रहे हैं।

(श्री शंकरलाल)

मेरे पास लेटर पड़े हुए हैं। रिकवरी इस प्रकार की की गई है कि लोगों के साथ में मार-पीट की गई है। गेलडा गांव के अन्दर पिटाई की गई है। लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाये तो सरकार को इस बारे में आदेश देना चाहिए। इसकी इन्क्वायरी है करानी चाहिए। सभापति महोदय, मैं इर्रीगेशन के बारे में निवेदन करूंगा। कहा गया है कि हम 50 लाख हैक्टेयर, 5 लाख मिलियन एकड में सिंचाई करेंगे। राजस्थान कैनाल और माही योजना का नाम लिया है। लेकिन साही योजना का नाम नहीं लिया है। जो फीडर आ रही है, उसका कोई नाम नहीं लिया है। पाली जिले में पीने के पानी की समस्या है। उससे पानी के पीने की समस्या और सुमेरपुर जिले की सिंचाई की समस्या हल हो सकती है। उसका नाम नहीं है। राजस्थान सरकार को मैं कहूंगा कि हमारे यहां गंगा का पानी आ सकता है। राष्ट्रपति महोदय, ने 5 तारीख को जो अभिभाषण दिया है। राज्य सभा और लोक सभा में उन्होंने कहा है–

"We aim to extend irrigation to five million more acres before 1979, Disputes between States have delayed a number of projects The Government will try to get acceptance of the concept of water as a national asset to be utilised to the best advantage of the people, A national Resources Council to prepare a master plan for river basins will be constituted"

तो उन्होंने ऐसी रीवर के पानी को नेशनल सोर्स माना है। किसी एक स्टेट का उन्होंने नहीं माना है। हमारी राजस्थान सरकार को चाहिए कि दूसरी जगह की नदियों का पानी आने में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। राजस्थान कैनाल का पानी जिस तरह से मुहैया कर सकते हैं इसी तरह से गंगा का पानी आ सकता है। इससे राजस्थान की समस्या हल हो सकती है। राजस्थान का सुधार हो सकता है। सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा, यह घोषणा की गई है कि पेय जल की समस्या के निवारण के लिए एक जलबोर्ड का गठन होगा। गत सत्र में इस बात को रखा था। माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई का गैर सरकारी प्रस्ताव था। लेकिन जब मांग की तो मिनिस्टर ने अस्वीकार कर दिया। कल जैसी कि मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है, यह जो निगम बनाने के लिए होता है, जैसा कि यू. पी. में निगम बना दिया गया था। इस बात का केवल राजनैतिक दृष्टिकोण है कि अमुक आदमी को निगम में बनाकर रखना है जिससे वह मुखालफत नहीं करे और हमारे साथ रहे तो सभापति महोदय, इसमें मुझे बहुत आपत्ति है निगम बनाने में। निगम आप बनायें लेकिन कुछ काम तो होना चाहिए। कई निगम बना दिये, डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड बना दिया, कृषि निगम बना दिया, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन बना दिया, हैन्डलूम बना दिया, आदिवासियों का बोर्ड बनाया, अच्छा है कि आपने आदिवासी बोर्ड बनाया, जिससे आदिवासी भाइयों की कुछ सेवा हो सके लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे निगम बनाने के बाद भी नतीजा क्या निकला। हमारे आदिवासी भाई कहते हैं कि नतीजा कुछ नहीं निकला।

(श्री शंकरलाल)

तो सभापति महोदय, इस प्रकार के बोर्ड और निगम गठन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। केवल किसी आदमी को मोटर देने के लिए, किसी को बंगला देने के लिये निगम बना देते हैं। जल बोर्ड का आपने निगम नहीं बनाया। एक तरफ तो सरकार कटौती की बात करती है और दूसरी तरफ इतने सारे निगम बनाकर हाथी से खर्चे बांध लिये हैं। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर धन का, जनता के धन का दुरुपयोग नहीं चाहिए। सरकार ने बहुत सारे अफसरों को नौकरी से निकाल दिया, कई पदों को भी समाप्त कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत से अफसर ऐसे हैं जो बहुत ही भ्रष्ट हैं लेकिन वे बने हुए हैं किसी वजह से, घर वे गये हैं जो भ्रष्ट नहीं थे. तो उनके लिये भी कोई प्रावधान होना चाहिए। कर दिया सो कर दिया, किस लिए कर दिया क्योंकि सी.आर. खराब थी। सी.आर. का मतलब कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट, गोपनीय प्रतिवेदन। आप जानते हैं सभापति महोदय, सी.आर. किसकी आज अच्छी होती है जिस किसी भी तरह से अफसरों को खुश रख सके, खास तौर से अफसर की बीवी को सब्जी ला सके, और उसके प्राइवेट काम कर सके तो चाहे वह दफ्तर में नहीं भी गया हो। आज की बात तो, अब इमरजेन्सी के बाद की बात दूसरी है। मुझे मालूम है उपाध्यक्ष (सभापति) महोदय, मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं पर समय इतना नहीं हैं। जो भ्रष्ट आदमी हैं उनकी सी. आर. गुड और काम्पीटेन्ट और जो अपने काम से काम रखते हैं, चमचागिरी नहीं करते हैं और दिन भर दफ्तर में काम करते हैं उनकी सी आर. होगी पुअर, इन्काम्पीटेन्ट, बिलो एवरेज। इस प्रकार का अन्याय हुआ है इमरजेन्सी के अन्दर। इसलिए मैं कहूंगा सभापति महोदय, कि जो ईमानदार अफसर हैं उनके लिए भी प्रावधान रखें आप केवल सी.आर. के आधार पर ही जो ब्रिटिशर्स के जमाने से चली आ रही है लोगों को निकाल रहे हैं, यह कोई ठीक बात नहीं है। हो सकता है, कई बुरे लोग भी हैं जिनको निकाला गया है, लेकिन कई जो भ्रष्ट नहीं थे. उनको भी इसका शिकार होना पड़ा है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : I have to regulate, please

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : जिसको आप चाहते हैं उसको रिव्यू तो अभी भी कर सकते हैं कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं।

श्री शंकर लाल : एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के बारे में अभिभाषण में कहा गया है कि अपने अध्यक्ष जो हैं, श्री रामकिशोर जी व्यास की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है और उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दी है लेकिन वह रिपोर्ट सदन में आनी चाहिये थी जिससे यह मालूम हो सके कि एडमिनिस्ट्रेशन में राज्य सरकार के सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं. यह भी हम जानना चाहेंगे। इण्डस्ट्रियल · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

Page No 84

(84)

श्री सभापति : ग्रापको ग्रौर मौका मिलेगा, तसल्ली रखिये, ग्रभी ग्राप पूरी बात नहीं कह पायेंगे ।

श्री मलचन्द सामरिया : हाउस चाहता है कि बोलें, बोलने दीजिये ।

श्री सभापति : मै जानता हूं. हाउस की भावना को कि हाउस क्या चाहता है ।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर जिस समय बहुत से माननीय सदस्य शिड्यूल्ड कास्टस ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं ग्राये थे, उसका क्या हुग्रा । उसका इस प्रोग्राम में कोई डिस्कशन का टाइम नहीं रखा गया है । क्या शिड्यूल्ड कास्टस ग्रौर शिड्ल्ड ट्राइब्स के लोग जो हमारे साथी हैं, माननीय सदस्य बहुत ज्यादा सख्या में ग्राज हमारे हाऊस में हैं उन्होंने सारी बात लिखकर दी है ग्रौर उन्होंने सदन का बायकाट किया उनकी कोई चिन्ता नहीं है, इमरजेन्सी का मतलब यह नहीं है. इनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है । उनकी जो मांगें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा ग्रौर उनकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी डिस्कशन करना पड़ेगा, उन्होंने क्यों बायकाट किया था इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा ।

सभापति महोदय, एक बहुत जरूरी बात फेमिली प्लानिंग के बारे में कहनी है ग्रौर सिर्फ इतना ही कहना है कि कामागाटमारू नगर में ग्रौर ग्रभी हमारे प्रेसिडेन्ट साहब ने भी कहा इसके बारे में इस ग्रभिभाषण में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि इतने ग्राप-रेशन हुए हैं । ग्रौर कल कमलाजी ने कहा था कि 147 गाडियां–एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, कि इतनी गाडियां बेकार पडी हैं । इसलिए इसको भी एक मूवमेन्ट के रूप में चलाना पड़ेगा । इसके बारे में एक छोटा सा पोरशन जो ग्रभी प्रेसिडेन्ट साहब ने 5 तारीख को कही थी, लोकसभा ग्रौर राज्य सभा के सामने वह मैं रिपीट करता हूं–

"We aim to reduce the birth rate to 30 per thousand in the next three years, To achieve this the faimly planning will have to assume a mass movement. New Schemes of incentives and disincentives are being evolved to effect the occeptance of a small family."

तो यह ग्रापको एक ग्रान्दोलन के रूप में चलाना पड़ेगा । हाउस टैक्स चाहे कितना ही दे दें, पापूलेशन बढ़ती जायगी इसलिए फेमिली प्लानिंग का एक बहुत ही इम्पार्टेन्ट प्रोग्राम है । सभापति महोदय, इसके बारे में निवेदन किया है, इसको करना बहुत ही जरूरी है ।

सभापति महोदय ग्रब मैं मेरे क्षेत्र की एक बात• • •

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

जो बहुत ही जरूरी है । वह यह है कि एक पोल्यूशन बोर्ड बना है. हमारे भार्गव साहब जो चीफ इन्जिनियर थे उनकी ग्रध्यक्षता में एक पोल्यूशन बोर्ड बनाया गया है । पाली के ग्रन्दर जिस प्रकार की इण्डस्ट्रीज छोटी-मोटी रंगाई-छपाई की शहर में लगाई गई है, मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी किया है कि राज्य सरकार ने इसमें रोड़े

(श्री शंकरलाल)

अटकाये हैं और केमिकल की वजह से शहर में इतना पोल्यूशन हो गया है कि आखिर यह जो पोल्यूशन बोर्ड बना है वह इस ओर क्या काम कर रहा है और राज्य सरकार इसके लिये क्या करने जा रही है। अगर यही रफ्तार रही तो पाली नगर जो एक बहुत ही सुन्दर नगर है, वहां पर इतनी गन्दगी और पाल्यूशन हो जायगा कि कोई भी वहां पर रहना पसन्द नहीं करेगा। कई तरह की बीमारियां फैल जायंगी, वहां पर आदमी जलने लग रहे हैं इस पोल्यूशन की वजह से। इसलिए पाली की समस्या पोल्यूशन की यह एक बहुत ही अहम समस्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, और सभापति महोदय, बार बार आपसे नहीं कहलाना चाहता बैठने के लिये, फिर मौका मिलेगा तो कहूंगा···

श्री सभापति : मैंने बैठने को नहीं, मैंने अवसर के लिये कहा है।

श्री नाथूराम !

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। हमारे देश में फासिस्ट शक्तियों द्वारा जो कार्यवाही की जा रही थी, हमारी प्रधान मंत्रीजी ने बहुत ही दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से देश को बचाने के लिये 26 जून को संकटकालीन स्थिति की घोषणा की, इससे सारे देश में एक शान्ति की लहर फैल गई और हमारी 80 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है उनको राहत मिली। सभापति महोदय, मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूंगा कि हमारी प्रधान मन्त्रीजी ने देश में गरीबी मिटाने के लिये बीस सूत्री कार्यक्रम देश के सामने रखा। इस बीस सूत्री कार्यक्रम में, मैं आदिवासी और हरिजनों की समस्या के बारे में निवेदन करूंगा। हमारी प्रधान मन्त्रीजी ने देश की जनता को सावधान किया है कि देश में और बाहर से भी देश को खतरा हो गया है तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जहां स्वार्थी लोग देश में गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिये हमारी सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनका साथ दें। सभापति महोदय, आज 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी हुई लेकिन आदिवासी और हरिजनों की जो समस्या है, वह मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं। जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाडा और प्रतापगढ़ को मिलाकर राष्ट्रपति ने शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है उसमें लाखों आदिवासी रहते हैं वहां उनकी स्थिति यह है कि आज भी कई भूमिहीन हैं, उनको 20 सूत्री कार्यक्रम का फायदा नहीं मिला। राज्य सरकार की तरफ से कई भूमि धारक कानून बने हुए हैं लेकिन उनका पालन आज तक नहीं हुआ। आदिवासी क्षेत्र में हरिजन और आदिवासियों को गांधी जयंती पर भूमि देने का था, अन्य जिलों में जरूर दी होगी लेकिन हमारे क्षेत्र में कडाना बांध से 200 गांव प्रभावित हैं, वहां राज्य सरकार से आदेश थे कि कोई गांव जो कडाना बांध से प्रभावित होता है, भले 5 बीघा जमीन हो या 10 एकड भूमि डूब में हो लेकिन सारे गांव का विकास रोक दिया। वहां कुछ हरिजनों को गांधी जयंती के दिनों में भूमि नहीं मिली और प्रधानमंत्री के आदेशानुसार 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार ने भूमिहीन

Page No 86

(86)

(श्री नाथूराम)

आदिवासियों को आबादी के प्लाट्स दिए, लाखों की संख्या के लिए घोषणा कर दी लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो 200 गांव आते हैं वहां पर विकास विभाग का पत्र है कि जो डूब में गांव आते हैं वहां भूमि आवंटन न किया जाए न भूखंड दिए गए न जमीन दी गई। तारीखें जो सरकार ने निश्चित की थीं, उनके हिसाब से, पंचायत ने जिनके पास मकान नहीं थे, भूखंड दे दिए लेकिन राज्य सरकार के लिखित आदेश न होने से उन लोगों को पट्टे नहीं मिले। सरकार एक तरफ घोषणा कर देती है लेकिन जो आदिवासी हैं, हरिजन हैं, आबादी के प्लाट्स भी उनको नहीं मिले। जो जमीन डूब में नहीं आती है, लेकिन जिस गांव में डूब के बाद भी 10 हजार बीघा जमीन है वहां तो विकास होना चाहिए। मैंने राज्य सरकार को पत्र लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ।

इसलिए जहां पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे भूमि आवंटन का प्रश्न हो या नामांकन का प्रश्न हो, चाहे रेग्यूलराइजेशन का प्रश्न हो, आपने जो भूमि सुधार के कानून बनाये उनके तहत सुविधा मिलनी चाहिए। जहां जमीन डूब में नहीं आती है वहां पंचायतों ने भूखंड दिए लेकिन उन्होंने भी पट्टे नहीं दिए। बांसवाड़ा में मैंने देखा वहां पर आदिवासी हरिजनों के लिए मकान बनाने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी। उन्होंने 4,000) रु. ऋण मंजूर किए, 400) की पहली किश्त के रूप में स्वीकृत होकर आए हैं लेकिन जो गांव में रहते हैं वहां अपने रहने के लिए, मवेशी बांधने के लिए और कृषि का सामान रखने के लिए, अपने ढंग का मकान बनाते हैं लेकिन हाऊसिंग फाइनेन्स सोसाइटी का जो नक्शा मिला है वह 10–15 हजार रुपए से मकान नहीं बना सकते। मैंने मुख्य मंत्री को भी लिखा था। इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ हमारी प्रधानमंत्री का 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम है, आदिवासी हरिजन के उत्थान के लिए, उस प्रोग्राम के तहत इन लोगों को राहत मिलनी चाहिए। चाहे फाइनेन्स सोसाइटी का नक्शा हो चाहे कहीं का हो, राज्य सरकार को इस नक्शे को चेंज करके उन लोगों को अपने ढंग के मकान बनाने के लिए आज्ञा प्रदान करें नहीं तो न तो वे लोग मकान बना सकेंगे न कर्जा ले सकेंगे। इसलिए यह कठिनाई आज बांसवाड़ा जिले में है।

इसी तरह से 31 दिसम्बर 1973 से पहले जिन भूमिहीनों ने कब्जा किया था, उनके लिए पटवारी को पैसा खाने को नहीं मिला तो उन्होंने खाते में इंदराज भी नहीं किया जिससे लोगों को बेदखल किया जा रहा है। पेनल्टी के लिए कई वक्ताओं ने कहा कि 50 गुना पेनल्टी बड़े बड़े जमींदारों के लिए थी लेकिन जो हजारों आदिवासी भूमिहीन थे उन पर हजारों रुपए पेनल्टी लग रही है। इसलिए सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो कानून बना है उसका पालन करने की कोशिश करनी चाहिए नहीं तो 20 सूत्री कार्यक्रम सफल नहीं होगा। आज यह भी देखना होगा कि हमारा जो सेटलमेन्ट हुआ, बांसवाड़ा में आजादी से पहले हुआ था। देश आजाद हुए 28 साल हो गए लेकिन बांसवाड़ा में सेटलमेन्ट न होने से आदिवासियों के नाम जो खाते हैं उनमें 30 बीघा जमीन है, 4 लड़के हैं।

(श्री नाथूराम)

4 लड़के अलग अलग रहते हैं, उनमें बंटवारा भी बाप ने कर दिया लेकिन सैटलमेन्ट का जो खाता है वह चेंज न होने से वह भूमि-हीन की तारीफ में नहीं आता है इसलिए उनको जमीनें भी नहीं मिलतीं। इस तरह से राज्य सरकार ने कई भूमि सुधार कानून बना लिए लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। मैं हर साल इस विषय को सदन में रखता हूं। आज भी बांसवाड़ा में हजारों केसेज ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, न तो उनको समय पर भूमि आवंटित की गई न नायायज के रेग्यूलराइजेशन का फायदा मिला। इसलिए मैंने जो सुझाव दिए हैं उस बारे में सरकार विचार करे।

इसी तरह से शिक्षा का है। आजकल बेरोजगारी की शिक्षा दी. जा रही है। आदिवासी क्षेत्र में व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए। पिछले समय मैंने मांग की थी कि जहां राज्य सरकार ने कई मिडिल स्कूलों को. सेकेन्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत किया लेकिन बांसवाडा जिले में 6,54,000 की आबादी है, केवल दो ही सेकेण्ड्री स्कूल इस वर्ष खोले हैं। इसलिए जहां आदिवासी क्षेत्र है वहां पर, उनके लिए शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए और व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए। वहां व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ बालिका शिक्षा भी होनी चाहिए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हजारों आदिवासी रहते हैं, राज्य सरकार का कृषि उत्पादन का प्रोग्राम है। पिछड़े हुए जिलों में बांसवाड़ा भी है, डी. पी. ए. पी. का प्रोग्राम है। आज आदिवासी सूखी जमीन में पानी चाहता है लेकिन 28 साल के बाद भी सूखी जमीन को पानी नहीं दे पाए। डी.पी.ए.पी. में सड़कों पर पैसा न खर्च करके लिफ्ट योजना में खर्च करनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्र में जहां नदी नाले बहते हैं वहां बिजली के द्वारा लिफ्ट योजना में ज्यादा से ज्यादा सूखी जमीन में पानी देकर कृषि उत्पादन के कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। ट्यूबवेल्स कहां खोदे जाते हैं? जहां सूखी जमीने हैं वहां नहीं खोदे जाते हैं। जहां खोदे हैं वहां एक कठिनाई है। भू-जल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि पहले हम छोटे किसानों को लेंगे। लेकिन बड़ौदा बैंक में जो ऋण देने की व्यवस्था है वह छोटे किसानों को नहीं मिलता। जैसे अन्य प्रान्तों में हैं वैसे ही राज्य सरकार को ट्यूब-वेल्स खोदने चाहिए नहीं तो यदि काश्तकार खुदवाएगा तो न तो समय पर कर्जा मिलेगा, हर अधिकारी की खुशामद करता फिरेगा। इसलिये राज्य सरकार को जहां पर कृषि के लायक भूमि है वहां पर ट्यूब वेल खोदना चाहिये और रेवेन्यू के जरिये किसानों से ऋण वसूल करना चाहिये।

भू-जल बोर्ड ने बताया है कि डेढ हजार गैलन पानी जहां आ जाता है वहां कुआ सफल मानते हैं। 10 घंटे भी एक एकड़ भूमि खेती को सिंचित नहीं करेगा। 1½ इंची पाइप लगता है। 14 हजार रुपया किसान को कर्ज के रूप में मिलेगा, तो उसका कितना ब्याज होगा। और न वह कर्जा भी पूरा चुका सकेगा और न ही खेती वाड़ी भी पूरी कर सकेगा। डेढ़ हजार गैलन का जो प्रावधान है वह कम से कम 5 हजार गैलन होना चाहिये वरना खेती नहीं हो सकेगी और किसान कर्जा नहीं चुका सकेगा।

सभापति महोदय, इसी तरह से हमारी प्रधान मंत्री ने जहां जहां आदिवासियों की

(श्री नाथूराम)

ज्यादा आबादी है उसके लिये एक नयी दिशा दी है। राज्य सरकारों को आदेश दिये हैं कि आदिवासियों के लिये उप योजना बनायी जाय। राजस्थान सरकार ने उप योजना बनायी है उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन कोई योजना बन जाती है तो उसके बन जाने के ऊपर भी आदिवासियों को फायदा नहीं मिलता है। ट्राईब सब प्लान हमारे यहां पर बना है। अफसरों की नियुक्ति हो जाती है, लेकिन फंड नहीं है, बोर्ड क्या काम कर रहा है, फण्डस है भी नहीं, आदिवासियों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। कोई भी नियम बनाया जाय, बोर्ड बनाया जाय या कोई योजना बनाई जाय, भारत सरकार की योजना अच्छी है, राज्य सरकार उसको पहले अच्छी तरह से स्टडी कर लेवे, अफसरों के साथ साथ फण्ड्स देकर ज्यादा से ज्यादा काम आदिवासी क्षेत्र में हो सके ऐसा करना चाहिये।

इसी तरह से खेतीहर मजदूरों के लिये राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कानून बनाया उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। प्रचार भी कर दिया कि पालन हो रहा है। इसमें कुछ खामियां रह गयी हैं। 5 रुपया रेट मजदूरी का है उसके लिये तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। कोई आदमी खेती के लिये या किसी काम पर जाता है तो कम से कम वह सुबह, दोपहर और शाम को खाना तो खाता है। उसको कपड़ा भी चाहिये। साधारण कपड़ा होना चाहिए। कानून में इसकी व्यवस्था नहीं है। गरीबी बहुत है। बेरोजगारी आज भी बढ़ रही है। इर्रीगेशन के कार्य पर पांच रुपया और 4) 25 रेट रखी। लेकिन इर्रीगेशन विभाग की ओर से उनको पूरी रेट नहीं मिलती है। महिला और पुरुष के लिये समान रेट रखी उसके लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

यह भी निवेदन करता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र में नदी नाले बहुत हैं, माइनर प्रोजेक्ट और लिफ्ट योजना बनाई जाती है, विद्युतीकरण हो जाता है लेकिन बिजली नहीं पहुंचती है। पीपलखूंट क्षेत्र और भूखिया क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंची है। आज के इस युग में बिजली नहीं पहुंचे तो वहां तरक्की का काम नहीं हो सकेगा। कोई फायदा नहीं उठा सकेगा। नदी नाले हैं, बिजली के द्वारा पानी नहीं पहुंचेगा खेती का तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। मैं इसलिये निवेदन करूंगा कि जहां आदिवासी क्षेत्र में शिड्यूल एरिया घोषित किया है वहां पर ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहिये इससे कृषि उत्पादन होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

वनों की सुरक्षा के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। डूंगरपुर बांसवाडा में ऐसे जंगल थे जहां पर सूर्य की किरण भी नहीं दिखाया देती थी। ठेकेदारी प्रथा के कारण नष्ट हो गये। अब तो वह प्रथा खत्म कर दी है। डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा नहीं होगी तो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स सफल नहीं होंगे। जिस आदिवासी के पास में थोड़ा बहुत भी जंगल है तो वह उसकी रक्षा करता है। रिजर्व जंगल हैं वहां पर पहाडियां नंगी हैं। डी.पी.ए.पी. के

(श्री नाथूराम) ... अन्तर्गत वनों के लिये फण्ड्स कायम करने चाहिये। वनों की सुरक्षा नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी और प्रोजेक्ट्स भी सफल नहीं होंगे।

इसी तरह से, चेयरमैन महोदय, वनों की सुरक्षा के साथ साथ यह भी निवेदन करता हूं कि जहां जंगलों की सुरक्षा होती है, सरकार की ओर से फोरेस्ट चौकियां नहीं बनेंगी तो उनकी रक्षा नहीं होगी। जंगलों से आमदनी होती है। फिर समझ में नहीं आता है कि फोरेस्ट चौकियां क्यों नहीं बनायी जाती हैं। गार्ड को रहने का स्थान नहीं होगा तो वह जंगल की रक्षा भी नहीं कर सकेगा। आदिवासियों की जहां आबादी है और यदि उनके पास में छोटे छोटे जंगल हैं तो वे उनको दे देने चाहिये। वे उनकी रक्षा करेंगे और वन सम्पदा को बढ़ाकर माली हालात को सुधारेंगे, उससे सरकार को भी फायदा होगा।

एक और निवेदन कर दूं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बी.ए. और एम.ए. तक कई लड़के पढ़े हुए हैं। फोरेस्ट विभाग ने किसी भी नवयुवक को फोरेस्टर, रेन्जर या डी.एफ.ओ. की ट्रेनिंग में मौका नहीं दिया है। वे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लेने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा काम कर सकेंगे।

28 परसेन्ट की सुविधा दी है लेकिन समाज कल्याण विभाग भी उसका पालन नहीं करता है। कानून जो भी बनता है उसका पालन करना चाहिये। आज भीलों के लड़के लेक्चरर होने के लिये आते हैं। उनको हायर प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। दिया जाता है तो उनको आगे मौका नहीं दिया जाता है। 28 परसेन्ट पूरा करने के लिये चतुर्थ श्रेणी के लिये जाते हैं। उनको कई सुविधायें दी हैं उसके लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी प्रधान मंत्री जी ने आदिवासियों और हरिजनों के उत्थान के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम रखा है उसमें कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिये। सरकार से निवेदन करता हूं कि ज्यादा पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिये।

एक बात रह गयी है। आदिवासी क्षेत्र में जहां काश्त की भूमि कम है, वहां पर पशुधन देने के लिए व्यवस्था करनी चाहिये। गाय बकरी वगैरा आदिवासी लोग पालते हैं। सब प्लान बने भूमिहीन लोगों के लिये तो उनको बकरी, गाय, भेड़ आदि खरीदने के लिये धन सबसिडी के रूप में देना चाहिये। डेयरी फार्म खोलें, दूध वितरण से कर्जा वसूल होना चाहिये। भेड़ बकरी के लिये ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना चाहिये। जिनके पास जमीन कम है, यदि उनको पशुधन दिया जावेगा तो उनकी माली हालत भी सुधरेगी।

सभापति महोदय, रेवेन्यू की पास बुकें पूरी तरह से नहीं मिली हैं। रेवेन्यू मन्त्रीजी पास बुकें दिलाने की पूरी व्यवस्था करेंगे।

आदिवासी भूमिहीनों पर हजारों रुपया पेनेल्टी के लगे हैं वे माफ हो जाने चाहिये। धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री मीठालाल मीणा।

श्री मीठा लाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, 26 जून के पश्चात हमारे देश में राजनैतिक और आर्थिक तथा अन्य कई प्रकार की स्थितियों में भारी बदल आया है। 26 जून के थोड़े दिन बाद जब राजबहादुर जी भरतपुर आये थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि सम्भवतः अब देश में प्रजातन्त्र की वह परिस्थिति जो 26 जून से पहले थी वह शायद हीं आये। जो 26 जून के पहले देश में प्रजातन्त्र था वह हालत देश में होना मुश्किल है। सभापति महोदय, देश में 26 जून के बाद में इमरजेन्सी लगी और देश में एक फासिस्ट विरोधी नारा लगा और देश में जो विरोधी पार्टियां थी उन पर कई प्रकार प्रतिबन्ध लगाये गये और गिरफ्तारियां हुई तथा उनके खिलाफ में जगह जगह मीटिंगें हुई। सभापति महोदय, मेरा स्पष्ट दृष्टिकोण यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी अपने देश में किसी भी प्रकार से दूसरे देश से मिलकर साजिश करता है मैं उसे गलत मानता हूं। उसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिये। लेकिन अगर सरकार कोई अच्छा कदम उठा रही है और विरोधी पक्ष अगर उसका साथ देते हैं तो उनका सहयोग लेना चाहिये। लेकिन आज हमारे देश के प्रजातन्त्र में विरोधी दल अगर कोई अच्छी बात सही तरीके से कहता है तो भी उसे हमारी सरकार फासिस्ट कहती है। आज एक ऐसा वातावरण सत्ता पक्ष के द्वारा बनाया जा रहा है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है चाहे वह किसी भी तरीके से करता है चाहे कुछ अच्छे मामलों में सरकार का साथ भी देता है तो भी हमारी सरकार के नुमायन्दे उसे फासिस्ट ही कहेंगे और विरोधी पार्टियों को हर प्रकार से कुचलने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्हें तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है। उनके खिलाफ में फासिस्ट कह कर प्रचार किया जाता है। सभापति महोदय, मेरे एक बात समझने में यह नहीं आती है कि मैं अगर सभी बातें जो बनवारी लालजी कहें या और कोई कांग्रेसी सदस्य कहे मान लेता हूं तो मैं फासिस्ट नहीं हूं लेकिन अगर मैंने किसी भी कोई बात का विरोध कर दिया तो मैं सामन्तवादी हो गया, फासिस्ट हो गया और प्रजातन्त्र का विरोधी हो गया। यह बात गलत है। हो सकता है मुझे आपकी कोई गलत बात पसन्द नहीं आई और मैं आपको प्रजातान्त्रिक ढंग से विरोध करता हूं तो यह तो आपका ढंग उचित नहीं कि आप मुझे फासिस्ट बतायें। आज सभापति महोदय, विरोधी पक्ष वालों को आये दिन अखबारों में रेडियों में, मीटिंग में ताड़ना मिलती रहती है और विरोधियों को हर तरह से परेशान किया जाता है क्या यह बात उचित है? अगर मैं आपका साथ दूं तो न तो मैं फासिस्ट हूं, न मैं सामन्तवादी हूं। तो मेरा कहना यह है कि जो यह भावना फैलाई जा रही है यह गलत है अगर कोई व्यक्ति आपकी सही बात पर भी खिलाफत करता है और गलत करता है तो आपको समझाना चाहिये। क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि आप उसे सही ढंग पर लाने के प्रयत्न करें?

श्री ओंकारलाल चौहान : हमने इसकी बहुत कोशिश की। पिछले 27 सालों से कोशिश कर रहे हैं।

श्री मीठालाल मीणा : मैं आपसे यह पूछ रहा हूं ओंकारलाल जी आप पिछले 27

(श्री मीठालाल मीणा)
सालों से क्या कर रहे थे ? आज मैंने चेतराम जी या ओंकारलालजी की बात नहीं मान कर सही आलोचना करता हूं तो क्या मैं फासिस्ट हो गया ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय सदस्य को फासिस्ट की कन्स्ट्रक्टिव परिभाषा समझ में नहीं आयी।

श्री मीठालाल मीणा : मेरे तो सारी बात समझ में आ गयी, आपके समझ में नहीं आ सकी है। आपकी सिर्फ बात नहीं मान लेने से ही फासिस्ट हो गया क्या ? लेकिन यह बात सही है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश के लोगों से मिल कर अपने देश के खिलाफ में साजिश करता है तो यह बहुत ही खराब काम है। लेकिन अगर कोई सरकार के अच्छे कार्यों में मदद करना चाहता है कोई आपके 20 सूत्री कार्यक्रम के अमल में राज्य सरकार की मदद करना चाहता है तो आपको मदद लेनी चाहिये। यह 20 सूत्री कार्यक्रम आपने लागू किया है, देखने की बात यह है कि कौनसी पार्टी आपके 20 सूत्री कार्यक्रम को सहयोग नहीं दे रही है आपके इस प्रोग्राम के आखिर खिलाफ में कौन है? कौनसा दल आपके 20 सूत्री कार्यक्रम का विरोध कर रहा है। आपने जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो थोड़े समय में कार्यान्वित करके जो कुछ प्रगति आपने की है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं यह एक अच्छा कदम है लेकिन समझता हूं कि जब विरोधी दल आपको इस कार्यक्रम के लिये असहयोग नहीं करते हैं तो आप उन्हें साथ लेकर क्यों नहीं चलते ? जो भी आपके अच्छे कार्य में साथ देना चाहते हैं तो आप उससे सहयोग लें आखिर आपका 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है। सभापति महोदय, आज आपने अपने 20 सूत्री कार्यक्रम के अमल के लिये पहले तो स्टेट लेवल पर एक समिति बनायी है और अब आपने जिला स्तर पर कमेटियां बनाई हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अमल के लिये उसमें आपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही क्यों लिया है विरोधी पक्ष के लोगों को क्यों नहीं लिया ? क्या कांग्रेसी विधायक ही उसका अमल कर सकते हैं। विरोधी पक्ष के सदस्यों को क्यों नहीं लिया ?

एक माननीय सदस्य : आप साथ नहीं देते रोड़े अटकाते हो।

श्री मीठालाल मीणा : यह कार्य अब आप कर रहे हो पहले आपने क्यों नहीं किया ? यह बीच बीच में बोलना छोड़ो, जरा गम्भीरता से समझो। छोरपना छोड़ो। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रोग्रेस आपने की है वह अच्छी है जो समितियां आपने बनायी हैं उसमें आपको चाहिये था कि आप अपोजीशन के लोगों का भी सहयोग लेते तो ठीक रहता। सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि 26 जून के पश्चात् हमारे यहां पर हड़तालें, तालाबन्दी वगैरह नहीं हुई हैं जिससे हमारे देश में उत्पादन बढ़ा है। स्कूलों में जो आये दिन हड़तालें होती थीं जिसमें कि वहां पढ़ाइ नहीं होती थी वह भी बन्द हुई है यह एक अच्छी बात है। इसका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन यह तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिये था। इतने समय बाद आपने क्यों की। लेकिन यह जो आपने हर समय रेडियो में एनाउन्समेन्ट कराना, मीटिंगें करना, अखबारों में देना क्या

(श्री मीठालाल मीणा) :

बात है। अगर आप वास्तव में कोई अच्छी बात करना चाहते हैं तो उसके लिये इतना आवश्यकता से अधिक एडवरटाईजमेन्ट करने की क्या जरूरत है ? आपको देखना चाहिये था कौन पहले विभाग में काम नहीं कर रहा है या कौनसा सरकारी अधिकारी आपको सहयोग नहीं कर रहा है उसके लिये आपने आज दिन तक कोई कार्यवाही पहले क्यों नहीं की ? आज तो काश्तकार आपका पहले से साथ देते आ रहे हैं जिनके बलबूते पर आप जीत कर यहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं वास्तव मे आपने उनके हकों को बढ़ावा नहीं दिया है बल्कि आपने उनके हकों को नुकसान पहुंचाया है। आज सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो काश्तकार को, क्योंकि आज आपने कह तो दिया कि कीमतें घटी हैं ठीक है; कीमतें घटी हैं इसमें केवल ऐसी बात ही नहीं है कि आपके कार्य क्रम की वजह से घटी हैं इसमें एक बड़ा कारण यह भी है कि पैदावार बहुत ज्यादा हुई थी। दूसरी तरफ सरकार ने भी कीमतें घटाने का प्रयास किया है। सही है, पर अकेले आप ही उसका श्रेय नहीं ले सकते हैं। आज कीमतें घट गयीं लेकिन दूसरी तरफ किसान की हालत क्या है आज काश्तकार जो काश्त करता तो उसका खेती का धन्धा एक घाटे का धन्धा हो गया है आज किसान की जो दैनिक आवश्यकताओं की चीज है वह आप उसको सस्ती कीमत पर मुहैया नहीं कराते हैं ? जब किसान ने गेहूं के बीज खरीदे थे उस वक्त गेहूं के बीज 300 रुपये क्विन्टल था और आज बाजार में जो गेहूं का भाव है वह 100 रुपये क्विन्टल है। पैदावार से उसे जो पैसा मिलना चाहिये वह उसे रुपये में सिर्फ 4 आना या 6 आने ही मिल पा रहा है। क्या आपने काश्तकार को सस्ता डीजल दिया या सस्ती बिजली दी, सस्ते बीज या खाद दिया कीमतें गिरी। काश्तकार को गेहूं का बीज आपने 275) रुपये प्रति क्विंटल के भाव से दिया है। आपका यह एन. एस. सी. 275 रु. के भाव बीज काश्तकार को देता है। जबकि वह बाजार से 125 या 130 रुपये के भाव से गेहूं खरीदता है। सिर्फ आपके एन. एस. सी. की मोहर लग जाने से ही 100 रुपये बढ़ गये। आपको अगर 100 रुपये का मुनाफा मिल जाता है तो कुछ नहीं लेकिन अगर व्यापारी अगर गेहूं के बीज पर 5.00 रुपये भी कमा लेता है तो आप उसे गैर कानूनी मानते हैं और आपका एन. एस सी. सौ रुपये सिर्फ एक मोहर लगाने के ही ज्यादा ले लेता है। वहीं गेहूं आप काश्तकार को पौने तीन रुपये किलो के भाव से बीज बेचते हो, इसी प्रकार चना वगैरहा के भावों में है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान कुछ भी पैदा करता है उसको अपने उत्पादन का सिर्फ चार आना या 6 आने मिलते। काश्तकार को उसकी कीमत पूरी नहीं मिलती है। एक तरफ तो कीमतें गिरी हैं दूसरी तरफ आप काश्तकारों से लेवी भी लेना चाहते हैं उसमें भी आप कोई कमी नहीं करना चाहते हैं। गत साल बाजरे पर लेवी थी और इसमें यह भी बाद में निर्णय लिया था कि बाजरा नहीं है तो गेहूं लिया जा सकता है। कई बड़े लोगों ने जिन्होंने लेवी नहीं तोली उनके खिलाफ केस नहीं है लेकिन कई गरीब लोगों के विरुद्ध आपने झूठे मुकदमें दायर

(श्री मीठालाल मीणा) कर दिये। सभापति महोदय, चाकसू में जो माननीय जय कृष्ण लाल जी की कान्स्टीट्यूएन्सी है, उन किसानों ने लेवी तोलने के लिये बिल्कुल मना नहीं किया जबकि सरकार की तरफ से वहां पर तुलवाने वाला कोई नहीं गया था, कोई सेन्टर भी नहीं खोला था और सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि पटवार सर्किल पर तुलायेंगे। उन गरीब किसानों ने कहा चाकसू नजदीक पड़ता है यहां तुलवा लीजिये। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आदेश दिया कि ऐसे सभी मामले वापिस ले लिए जावें। वे किसान 20-20 तारीख साथ चुके हैं लेकिन उनके मामले आज तक नहीं निपटे। आज तक कोई किसान ऐसा नहीं जो तारीख पर नहीं आया हो। लेवी उन्होंने टाइम पर तोल दी लेकिन आज तक वे केस वापिस नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्या बात है मुख्य मंत्री जी ने भी कई बार लिखे दिया और इसके विपरीत सभापति महोदय, जिन्होंने लेवी आज तक नहीं तोली उनके खिलाफ कुछ नहीं और जिन्होंने टाइम पर तोल दी उनके केस आज तक वापिस नहीं लिए यह कहां तक उचित है। इसके साथ ही, सभापति महोदय, किसानों के साथ ऐसा व्यवहार भी किया कि उन्हें हथकड़ी डाल कर घुमाया गया।

किसानों को जो बिजली देने की बात है उसमें भी यही हाल है। विरोधी दल के सदस्यों के क्षेत्र में बिजली देने का काम बहुत कम होता है। हमारे लालसोट क्षेत्र में माननीय फारूक साहब पधारे थे और मैंने उनसे कहा भी था कि सोच समझ कर घोषणा करें। अध्यापकों के बारे में घोषणा की वह भी पूरी नहीं हुई। 18 जून को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा कुएं को बिजली के कनेक्शन देने का उद्घाटन था वह किसी तरह फेल हो गया और वह प्रोग्राम आज तक दुबारा नहीं बना और उन किसानों को आज तक बिजली नहीं मिली। अगर 18 तारीख को उद्घाटन हो जाता तो उनको बिजली मिल जाती। न दुबारा प्रोग्राम बना और न उनको बिजली मिली। हम, सभापति महोदय, विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से भी मिले थे। उनसे निवेदन किया कि हमें बिजली माननीय मंत्री द्वारा उद्घाटन होगी तब ही मिलेगी या बिना उद्घाटन हुये भी मिल सकती है, उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, पहले ही मिल जावेगी, आदेश भी किये गये कि इनको बिजली दी जाय, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं दिये गये।

दूसरी तरफ बिजली विभाग से, माननीय सभापति महोदय, इस 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से जहां सुधार करने की बात है, वहां मेरे क्षेत्र में गत 15 दिनों में 500 से 1500 किलोवाट के तीन ट्रान्सफार्मर फूंक गये और हमने सूचना भी दी और यह भी कहा कि अब कम से कम आगे जलने से तो बचा लीजये और जो ट्रान्सफार्मर जल गये उनको बदल दीजिये लेकिन आज तक ट्रान्सफार्मर नहीं बदले गये। ट्रान्सफार्मर जलने से खेतों को पानी नहीं मिल रहा है और खेती सूख रही है। आज तक विद्युत विभाग की ओर से कोई इन्तजाम नहीं हुआ है और दिनों दिन ट्रान्सफार्मर भी फूंक रहे हैं।

(श्री मीठालाल मीणा)

इसके अतिरिक्त कृषि उपज मण्डी टैक्स के बारे में, प्रश्न काल में तो मुझे लिस्ट मिली नहीं थी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप ऐसे जिन्सों पर टैक्स लगाये जो न्याय-संगत हो। आपने दालें-उड़द, चना-तुवर आदि को एक चीज माना है फिर धान या चावल को कैसे अलग-अलग मान लिये। जब इस प्रकार की अन्य चीज एक मान रहे हैं तो धान और चावल कैसे अलग-अलग मान लिये ? ऊंट, बकरी, भेड़ पर कृषि उपज मण्डी टैक्स आपने लगाया है।

श्री परसराम मदेरणा : ऊंट और जट पर होगा····

श्री मीठालाल मीणा : आपने बकरी, दूध, मक्खन, गधे और घोड़े पर भी टैक्स लगाया है। आपने बैठकर इस तरह का विचार नहीं किया कि जो मुनासिब है उन पर टैक्स लगाये। अगर आप टैक्स लगाना ही चाहते हैं तो···

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : गधे के टैक्स पर विशेष ऐतराज है क्या ?

श्री मीठालाल मीणा : नहीं मुझे तो नहीं, आपको ऐतराज हो गया है। आपको ऐतराज हो गया तो आगे नहीं बोलता हूँ।

सभापति महोदय, कृषि उपज शुल्क जो ढूंढा है वह तकनीकी दृष्टि से बहुत अच्छा है। किसान और उपभोक्ता को डाइरेक्ट तरीके से नुकसान नहीं है–इन डाइरेक्ट तरीके से घाटा है। आज व्यापारी माल खरीदता है तो वह अपना हिसाब लगा लेता है कि मुझे इतना देना पड़ेगा उसके बाद वह माल खरीदता है। अगला व्यापारी खरीदता है तो वह भी इसी तरह का अपना हिसाब लगाता है–उसको तो कोई घाटा होने वाला नहीं है क्योंकि जिस दर पर वह खरीद करेगा अपना मुनाफा लगाकर उसको बेचेगा। अब इसका असर पड़ेगा तो उपभोक्ता व किसान पर पड़ेगा।

मूंगफली, गिरि, मूंगफली का तेल और डालडा एक ही चीज है लेकिन आपने इस पर चार बार टैक्स लगा दिया। एक मण्डी से दूसरी मण्डी में वह चीज गई तो वापिस उस पर टैक्स लग गया। इस प्रकार अगर 10 मण्डियों में एक जिन्स जाती है उस पर 10) रु. कृषि उपज टैक्स लगा और वह उपभोक्ता पर चढ़ गया, उपभोक्ता को वह वस्तु उतने ही मंहगे भाव पर मिली इसलिये किसानों और उपभोक्ताओं पर जो यह कृषि उपज शुल्क हैं उसको सही नहीं लगाया है। उत्तर प्रदेश में यह शुल्क एक बार लिया जाता है। जिस प्रकार एक बार सेल्स टैक्स लग जाने पर वह माल सेल्स टैक्स पेड हो जाता है इसी तरह का यह टैक्स होना चाहिये। राजस्थान में भी कहीं भी किसी भी मण्डी में चला जाय एक बार शुल्क लग गया तो पुन: उस पर शुल्क नहीं लगना चाहिये। यह शुल्क भी पहले चार आना था फिर आपने एक रुपया कर दिया और आज 5) रु. कर दें तो कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बराबर शुल्क बढ़ाते जाय। आखिर इसको कहीं तो रोकें।

आज ऐसी कई कृषि उपज मंडियां हैं जहां रोजाना 50 हजार रुपया शुल्क का आ रहा है लेकिन उसका इस्तेमाल करने के

(श्री मीठालाल मीणा)
लिये कोई निश्चित तरीका नहीं है। बाबू लोगों को बिठा दिया है जो जैसा चाहे वैसा कर रहे हैं सभापति महोदय, भविष्य में यह बहुत बड़ा आय का स्रोत बन जायगा, आपको सोचना चाहिये कि किस ढंग से इसे खर्च करने की व्यवस्था करें......

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : आपके दल का एक घंटा 15 मिनिट का समय है। दूसरे भी बोल सकते हैं।

श्री मीठालाल मीणा : सभापति महोदय, चारागाह के बारे में निवेदन करना है। जैसा आपने कहा अलग-अलग जिलों की अलग-अलग स्थिति है। मेरा निवेदन यह है कि एक ही तहसील के अलग-अलग गांवों की अलग-अलग स्थिति आपने बना दी है। एक गांव में आपने अलाट कर दिया और एक गांव को नहीं किया, एक ही तहसील में। पूरे अलवर जिले में कर दिया जयपुर जिले में माननीय सदस्यों ने विरोध किया तो उसको छोड़ दिया, सवाई माधोपुर में पहले ही कर दिया-फिर आपने अपने अधिकारियों को चार्जशीट भी दी है कि बिना इजाजत क्यों कर दिया। कहीं पर कब्जा है कहीं पर छोड़ दिया, कहीं पर अलाट कर दिया कहीं पर 300) रु. दे दिये--इस ढंग की जो गलत कार्यवाही हो रही है उसको दूर करना चाहिये फिर आपके कानून किसलिये हैं।

कई जगह पर, माननीय सभापति महोदय, चूंकि एमरजेन्सी है इसलिये विरोध नहीं किया है और विरोध इसलिए नहीं किया है कि उठाकर जेलों में रख दिये जावोगे। जरा खिलाफ बोलें कि हथकड़ी डाल कर जेलों में ठूंस देंगे। आपने कभी यह भी सोचा कि भेड़ और मवेशियों को चराने के कोई साधन नहीं है।

बहुत से माननीय सदस्य उदाहरण दे सकते हैं कि उस प्रोग्राम में भी था किसान फसल पैदा करके और हरा चारा पैदा करके मवेशियों को चरायें और हरियाणा और पंजाब का उदाहरण देकर कहा कि वह अपने पशुओं को चरा सकते हैं और ज्यादा दुधारू बना सकते हैं तो राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप उनकी होड नहीं कर सकते। उनके पास चौबीसों घंटे बिजली है, चौबीसों घंटे पानी है, उनके पास उपजाऊ खेत है, खाद है और आपके पास एक भी सुविधा नहीं है। आप हरा चारा पैदा नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जिलों की स्थिति अलग-अलग मानते हैं उसी ढंग से यह है कि हरियाणा और पंजाब की स्थिति अलग है। इसलिये सारे चारागाहों को समाप्त करके और उनको नष्ट करके पशुधन को समाप्त करते जा रहे हैं। आपके हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है, आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे लेकिन फिर भी गम्भीरता से सोचें कि करना क्या है। आप निश्चित नीति बतायें कि आप किस तरह से करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, अभी सरकार ने आदिवासियों के लिए और मरुस्थल क्षेत्र के विकास के लिए काफी रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। रेगिस्तानी इलाके के लिए 6।।। करोड़ और आदिवासियों के लिए 17 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान

(श्री मीठालाल मीणा)

आपने रखा है। रखना भी चाहिए और मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन जहां आदिवासी इलाका है और रेगिस्तानी इलाका है उनकी कई तहसीलें छोड़ दी हैं जिनको कि इसमें आप को शामिल करना चाहिए। क्या आदिवासी लोग सिर्फ इन्हीं एक दो जिलों में ही रहते हैं? आदिवासी लोग सभी जिलों और पूरे राजस्थान में हैं। मैंने शक्तावत साहब से निवेदन किया था कि सभी आदिवासियों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से आदिवासी लोग उधर के बहुत समृद्ध लोग हैं लेकिन उदयपुर में भी बहुत खूबसूरत और पैसे वाले भीखा भाई जैसे करोड़पति वहां बैठे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भीखाभाई जैसे खूबसूरत।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनकी सुन्दरता आप ले लें और अपनी बुद्धि आप उनको दे दें।

श्री मीठालाल मीणा : सवाई माधोपुर और जयपुर जिले की चाकसू, लालसोट और दौसा वगैरह ऐसी तहसीलें हैं कि जहां आदिवासियों की हालत उन तहसीलों की आदिवासियों की हालत से ज्यादा अच्छी नहीं है। मेरा निवेदन है कि आदिवासियों के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है यह किसी एक जिले में खर्च नहीं करके दूसरी जगह भी खर्च किया जाये। जहां तक रिजर्वेशन वगैरह की बात है उसमें भी सुधार होना चाहिए। चाहे अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, बहुत से अनुसूचित जन जाति के ऐसे लोग हैं और इनके अतिरिक्त ऐसी जातियां हैं कि उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। आज ऊंचे वर्ग में ही ब्राह्मण या बनियों में और दूसरे सवर्ण लोगों में भी ऐसे लोग हैं कि जिनको सहायता मिलनी चाहिए। इनमें भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको आज न सर्विस मिल रही है और न कोई वजीफा ही मिलता है, और उनकी हालत खराब हो रही है। मेरा निवेदन है कि आदिवासियों के लिए पैसा किसी एक क्षेत्र में खर्च नहीं होकर सारी जगह जहां ऐसी आर्थिक स्थिति लोगों की खराब है तो वहां भी पैसा खर्च होना चाहिए। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी जिन तहसीलों की हालत खराब है उनको भी सहायता मिलनी चाहिए।

आप जो कर्जा माफी का कानून ला रहे हैं उसका काफी प्रचार किया गया। आपने ग्रामीण बैंक भी खोले लेकिन आखिर व्यवहारिकता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। जिस समय किसानों को बीज की आवश्यकता थी उस समय लोन नहीं दिया। अब पंचायत समितियों में आदेश गये हैं कि सोसाइटीज कोई किसानों को बीज देना चाहती है तो दे सकती है। सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं है और घोषणा आपने कर दी कि गरीब आदमियों को कर्जा माफ कर दिया। आप तो देते नहीं हैं फिर आखिर कौन देगा? बोहरा अब क्यों देगा क्योंकि वह देते समय सोचेगा कि मेरा पैसा डूबेगा। आपका उद्देश्य कुछ सीमा तक बिलकुल सही है कि बहुत से आदमी आज बीस, बीस सालों से कर्ज में डूबते आ रहे हैं और इससे उनका छुटकारा होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिकता में आपकी तरफ से क्या इन्तजाम हुआ? मैं तो यह कहूंगा कि

(श्री मीठालाल मीणा)

आपने कर्जा माफ करने का किया है तो जो ईमानदार आदमी थे वह तो आपका कानून बन जायेगा तब भी वापिस देगा क्योंकि वह जानता है कि उनका काम उसी बोहरे से चलेगा और सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पायेगी। सरकार चाहे आगे कोई व्यवस्था कर दे लेकिन आज नहीं कर पाई है। जिसको देने की इच्छा थी तो आप चाहे कानून बना दें तब भी वह रुपया लौटायेगा। आपने इस कानून को बनाकर प्रमाण-पत्र दिया है उनको कि जिनकी नीयत देने की नहीं थी और ऐसे बदमाशों और दादा लोगों को जरूर आपने प्रमाण-पत्र दे दिया। गरीब लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है और उसका कारण यह है कि आपने व्यवस्था नहीं रखी कि आज की तारीख में या आने वाले 6 महीनों के अन्दर आपकी तरफ से क्या व्यवस्था होगी। बीज या और सारी वस्तुएं कौन देगा। इसके लिए आपकी तरफ से कोई सहयोग उनको नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, सिंचाई के साधनों के बारे में भी मैं निवेदन करूंगा। गत बार अकाल राहत कार्य का मामला था और सभापति महोदय, जयपुर जिले में लालसोट तहसील में पहले भी मांग की थी कि अकाल राहत कार्य खोले जायें लेकिन वह व्यवस्था नहीं हुई। गत बार जरूर लालसोट तहसील में अकाल घोषित किया गया और उसमें कुछ कार्य सरकार ने मन्जूर किये। उस समय केवल दस कार्य मन्जूर किये और जो काम मन्जूर किये वह सारे के सारे सिंचाई के थे। किसानों के फायदे के थे लेकिन यहां जयपुर में अधिशासी अभियन्ता एक्स-ई-एन पर एक मिस्टर चावला थे उन्होंने केवल 3 महीने इस कारण से निकाल दिये कि व्यवस्था नहीं हो रही है। आप कहते हैं कि आदेश दे दिये और सहायक अभियन्ता दौसा कहता है कि आदेश नहीं आये। इसी बात में उसने 3 महीने निकाल दिये और अकाल राहत कार्य बन्द हो गये। सिर्फ दो कामों पर ही काम हुआ और बाकी के 8 काम नहीं हुए। आज अधिकारियों की नीयत है कि जिन कामों में पैसा पैदा हो वह तो कर दो और दूसरों को नहीं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपको तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि लोगों में इस ढंग की भावना पैदा हो कि उनको काम करना है।

वृद्धावस्था, अंधों के लिए सहायता पहुचाने का काम इस बीस सूत्री कार्यक्रम में नहीं लिया गया है। जब वह प्रार्थना-पत्र देते हैं उस पर शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए। आप तहसीलदारों को हिदायतें दें और जिला स्तर पर मीटिंग रखें कि कितने लोगों को पेन्शन दी। इन लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। बाढ़, सूखा वगैरा के बारे में काफी समय से चर्चा चली आ रही है। कि इसके लिए अलग से फण्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो टैक्स लगा दें परन्तु आपके पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास ऐसा फण्ड रहे जिससे तत्काल अकाल या सूखा हो या बाढ़ आए, तुरन्त व्यवस्था हो जाय और लोगों को राहत दी जा सके। यह नहीं कि जिस समय अकाल पड़े और आप केन्द्रीय सरकार के सामने हाथ खड़ा करके उनकी तरफ

(श्री मीठालाल मीणा)

देखें। उसके लिए आपको एक कोष बनाना चाहिए जिससे उनको तत्काल सहायता दी जा सके।

उद्योगों के मामले में आप विकास की बात करते हैं कि बड़ी 2 योजनायें तैयार की हैं लेकिन बड़ी योजनाओं के मामले में केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी नहीं दी। वर्ल्ड बैंक से और दूसरे, बैंकों से सुविधा लेकर आप करने जा रहे हैं डैयरी वगैरा के लिए, लेकिन जहां तक उद्योगों का सवाल है, इन उद्योगों के लिए आपकी सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिला। आपकी सरकार के नुमायन्दे अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता गए थे। बम्बई भी जाते हैं और वहां के मारवाडी उद्योगपतियों से मिलते हैं। उनका एक ही जवाब होता है कि हमारी एक भी फाइल ऐसी नहीं है····

श्री दीपंकर : साहब, एक ही व्यक्ति को कितना टाईम मिलेगा।

श्री मीठालाल मीणा : आप समझते नहीं है मैंने आपको पहले ही बताया था।

श्री दीपंकर : आप नहीं समझते हैं और मन माने तरीके से बोले जा रहे हैं····

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! कृपया शीघ्र समाप्त करेंगे।

श्री मीठालाल मीणा : उनकी एक ही शिकायत है कि हमारा काम कोई भी तत्काल टाईम पर नहीं हो पाता है। हमारी फाइलें बरसों से पेंडिग चली आ रही हैं। जो सहयोग हमको अन्य राज्यों में मिलता है वह नहीं दे पाते हैं आपके यहां····

श्री दीपंकर : केवल चावल का धन्धा करने वाले उद्योगों में क्या समझते हो। खाली लोगों को बहकाते हो और फालतू सदन का समय जाया करते हो।

श्री मीठालाल मीणा : अगर उनके काम को तत्काल निपटाया जाय, तत्काल कार्यवाही करके फाइलों को जल्दी निपटाया जाय तो यहां पर उद्योग लग सकते हैं। मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और देश के अन्दर नए तरीके की आमदनी का कार्य हो।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

दूसरा अन्त में मैं सभापति महोदय, ज्यादा टाइम नहीं लेकर दो तीन बातें आयुर्वेद और शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अभी शिक्षा विभाग की ओर से गत साल में कुछ नई नई सैकेंड्री स्कूलें और मिडिल स्कूलें खोली गई हैं और आपके बीस सूत्री कार्यक्रम में भी यह है। इसमें इस ढंग से होना चाहिए कि जहां जरूरत है वहां पर हों, यह नहीं हो कि कहीं के समृद्धिशाली व्यक्ति पहुंच जायं तो वहां पर हो जायं और बाकी रह जायं, यह कार्य तो नही होना चाहिए। इस ढंग से रूटिन वे में व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां पर जरूरत हो वहां पर अपने आप समय पर खुल जायं। आपने जो स्कूलें खोली हैं उनमें कई जगह पर ऐसी हैं जैसे सवाई माधोपुर जिले के अन्दर ऐसी स्कूलें रह गई हैं जहां पर गत वर्ष भी घोषणा की गई थी कि यहां

(श्री मीठालाल मीणा)

पर मिडिल स्कूल खुलेंगी। जिसमें सबसे ज्यादा अध्यापक हैं, सबसे ज्यादा छात्रों की संख्या है, पांच सौ छात्रों से अधिक की संख्या के जो स्कूल हैं जिन स्कूलों में बीस से ज्यादा अध्यापक हैं उस जगह पर स्कूल नहीं खोली गई और जहां पर केवल छठी, सातवीं और आठवीं मिलाकर केवल तीन छात्र हैं, वहां पर स्कूल चल रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह बात खुद लालसोट की मीटिंग में मानी थी कि इस तरह के स्कूल खोलने पड़े। जहां पर तीन छात्र मौजूद हैं वहां पर मिडिल स्कूल चल रहीं हैं। इस ढंग का तरीका है। अब ये किस वजह से खोली गई हैं, राज्य मंत्रीजी ने खोली हैं या किसी अधिकारी ने खोली हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। सरकार का काफी पैसा इसमें खर्च होता है। जहां पर जरूरत है वहां पर नहीं खोली गई हैं इसकी जांच होनी चाहिये। और दोषी अधिकारियों को दण्ड देना चाहिए।

इस प्रकार से आयुर्वेद औषधालय 10 3 खोले हैं। ये आयुर्वेद औषधालय भी सही तरीके से नहीं खोले गए हैं। जहां पर आवश्यकता थी वहां पर नहीं खोले हैं और जहां पर आवश्यकता नहीं थी वहां पर खोल दिये गए हैं।

मैं आपसे अनुसूचित जाति और जन जाति के सम्बन्ध में भी निवेदन कर दूं कि इसकी रिपोर्ट पर जिसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, इस सत्र में विचारार्थ जरूर ले ले अन्यथा बजट सैशन में तो आप लेंगे ही। लेकिन इसको अगर दुबारा टालना चाहें जैसी सरकार की नियत मालूम पड रही है, बहुत बुरी बात है। अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए आपने किया है कि सूटेबल कैंडीडेट नहीं हों तो वे पद खाली रहेंगे लेकिन अब तो कानून भरने लग गए हैं। इसी तरह से आदिवासियों के लिए अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम रखा है इसमें भी उनके सुधार के लिए कुछ होना चाहिये हालांकि आप कुछ कर रहे हैं लेकिन यह सब बीस सूत्री कार्यक्रम ऊपर ही ऊपर है। आप जो कुछ करें उससे लोगों को यह तो मालूम होना चाहिये कि आप कुछ कर रहे हैं।

श्री सभापति : श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, देश की राजनैतिक आजादी के बाद जो इस देश का आर्थिक ढांचा बदलने के लिए योजना आयोग का गठन हुआ उस योजना आयोग का जिस तरीके का ढांचा बनाया उसके संबंध में गांव में रहने वाला औसतन एक दस्तकार से उसका सम्बन्ध नहीं जुड़ पाया था। इसलिए उन्होंने जो योजनायें बनाई वह ऊपर ही ऊपर बनाई, काफी बड़ी योजनायें बनाई और बड़े शहरों में काम आने लायक योजनाए बनाई। इससे देश का आर्थिक ढांचा समृद्ध हुआ और काफी उत्पादन भी बढ़ा और कई चीजों का उत्पादन बढ़ा परन्तु हमारे गांव जिनकी हम इमदाद करना चाहते थे, जिस तरीके से कोई जमाने में

(4.45 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

(श्री दीपंकर)

आजादी के पहले हमारे गांव जो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल स्वावलम्बी थे गांव के रहने वाले आदमी को वहीं पर जूता मिल जाता है, वहीं पर कपड़ा मिल जाता था, अन्न वहां पैदा हो जाता था हर चीज वहां मिलती थी, शिक्षा वहां मिलती थी। अगर कोई बड़ा त्यौहार मनाना हो तो शहर में जाते थे अन्यथा बिल्कुल स्वावलम्बी थे। हमारा जो आयोग बना उस आयोग ने अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के इन छोटे मोटे संगठनों से जाकर जानकारी की होती, नीचे के लोगों से सलाह लेकर योजना बनाई होती तो मैं समझता हूं कि गांवों के लोग भाग कर शहरों की तरफ नहीं जाते। शहरों की जन संख्या इतनी अधिक नहीं होती। गांव उजडते नहीं। परन्तु दुर्भाग्य था कि देश की आजादी के बाद सब तरह के लोग आए, जो इस तरह के नजरिये के लोग थे, जिनके दिमाग में बडी योजनायें थीं, और छोटे ग्रामीण उद्योगों के प्रति लघु उद्योग धन्धों का महत्व कम था। ऐसा हुआ कि संयोग पाकर हमारे भूतपूर्व भारतीय प्रधान मंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके पंचायती राज की स्थापना की तो पंचायत समितियों में एक इन्डस्ट्रीज को गांवों की इन्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए एक इन्डस्ट्रीयल एक्सटेंशन आफिसर पंचायत समितियों में दिया। इन्डस्ट्रीज एक्सटेंशन ऑफिसर कुछ अर्से तक रहा परन्तु सरकारी अधिकारियों ने जो कि उस वक्त शहरों में रहते थे, गांवों में शहरी वातावरण नहीं मिलता था इसलिए उन्होंने कहा कि ये गांवों के लोग इन्डस्ट्रीज के बारे में समझते नहीं हैं, इसलिए इण्डस्ट्रीयल एक्सटेंशन ऑफिसर्स को विथड्रा कर लिया जाय और अलग से योजना बनाई जाये। यह विथड्रा कर लिया गया और इंडस्ट्री विभाग ने अपने देश के, प्रदेश के स्तर पर बात करने लगा। आखिर भारत सरकार की रूपरेखा के आधार पर सरकार के दिमाग में यह आया कि पंचायत समितियों से हालांकि इन्डस्ट्रीज एक्सटेंशन ऑफिसर तो जरूर ले लिए हैं परन्तु हमें एक परीक्षण के तौर पर इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए ग्रामीण उद्योगों के विकास को करने के लिए। इस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए और वह प्रोजेक्ट भी खोलें। परन्तु उस प्रोजेक्ट का चेयरमैन भी कौन बना? जिलाधीश। उसके अन्दर नॉन-आफिशियल एक दो व्यक्ति रहे लेकिन अमूमन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शहरों से बाहर जाना उचित नहीं समझा। गांवों में जहां पर सड़कें नहीं थीं गांवों में रहने के लायक पक्के मकान नहीं थे, शहरों की तरह के उनके खाने के लिए बर्तन नहीं थे, खाने की, रहने की जगह नहीं थी, इसलिए म्युनिसिपल एरिया तक ही इसको सीमित रखा और वहां पर जो मशीनें थीं, जो छोटे छोटे धन्धे चलते थे उनको लाइसेंस और कोटा दिया गया। छोटे मोटे धन्धे वहां पर चले लेकिन गांव वैसे के वैसे ही रह गए। सरकार ने उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई। कोई भी गांव का कोई भी धन्धा किसी वक्त तभी पनप सकता है जब अलग से कोऑपरेटिव बनाई जाय। गांव में एक लुहार रहता है, एक कताया रहता है, चमार रहता है, गांव में बुनकर रहता है, वह कहां से कोआपरेटिव बनावे, कहां से साधन जुटाये। वह बिल्कुल फुरसत में हो गया और बिल्कुल मुंह ताकता रह गया और अपने बच्चों को देखादेखी पढ़ा कर

(श्री दीपंकर)

उसी तरीके से बाबू बनाने की फिराक में रह गया। तो आज गांवों की स्थिति इस तरह की हो गई कि गांवों के अन्दर बेकारी है। गांवों में दस्तकार बेकार हैं। गांव में दस्तकार नहीं संभला। तो इस तरह की स्थिति में बेकारी बढ़ी और शहरों की आबादी बढ़ी और गांवों के अन्दर कुछ लोग ऐसे दस्तकार थे जो अपनी दस्तकारी के घमण्ड में जमीन भी नहीं ले सके। न उन्होंने जागीरदारों से जमीन ली, न जमींदारों से जमीन ली और न सरकार से जमीन ली। दस्तकारी करते करते लोग निराश हो गये और बिल्कुल बेकार हो गये। उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई इस तरह के बेकार लोगों की संख्या भारी जो आमदनी की एक सीमा रेखा है उससे नीचे तक तीस चालीस प्रतिशत तक पहुंच गई। ऐसी स्थिति में एक सवाल खड़ा हो गया देश की राजनैतिक परिस्थिति के अन्दर। देश में यह हालत हुई की जो लखपति थे वे करोड़पति बन गए, जिनके पास कुछ भी नहीं था वे इन शहरों में सरकारी अधिकारियों के साथ में मिल कर इस तरह के धन्धे करते रहे। पूंजी को बढ़ाने में लग गये और गांव बिल्कुल ऋणी हो गए और गांव की आर्थिक हालत बेकार लोगों की हालत में परिणत हो गई। शहरों में आबादी बढ़ती गई और शहरों में भी जो गरीब लोग धन्धे में थे उनका शोषण हुआ। इस तरह से शोषित और शोषक वर्ग का निर्माण होने की स्थितिमें देश में एक आबादी गरीब होती चली गई इस हालत में यह देखा गया, एक आवाज उठी, कुछ लोगों ने और कांग्रेस ने, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने काफी सोचा कि अगर हम इस बारे में नहीं सोच पायेंगे, इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब विधान बना तो उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा था कि विधान चन्द लोगों ने बनाया है। परन्तु उसमें दो बातें खास तौर से रह गई। एक तो हर आदमी को वोट का अधिकार और दूसरा यह दिया कि रहने के लिए और दवा के लिये भी व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही व्यक्तिगत प्रोपर्टी की भी विशेष बात रखी-यह भी इसके साथ जोड़ दिया और इसके आधार पर सेठों और अधिकारियों ने मिल कर आपस में पूंजी को बढ़ाने का प्रयत्न शुरू कर दिया और पूंजीवाद का विस्तार करके इस समाज के ऊपर बिना श्रम के पूंजी के आधार पर श्रम का शोषण करना शुरू कर दिया। एक आवाज उठी-श्रम बड़ा या पैसा? इस धन का, धरती का बंटवारा होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां बनीं और इस बात के ऊपर, इस देश के अन्दर कांग्रेस के रहनुमायी में आजादी मिली और दूसरे काम शुरू किये परन्तु देश की जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने समझा कि इस तरह से कांग्रेस काम करती रही तो उन्हें वोट नहीं मिलेंगे और उनको राज्य करने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए उन्होंने दूसरों से, दूसरे मुल्कों से पैसा लेकर और अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों की सहायता से देश में एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की कि इस देश के अन्दर इस कांग्रेस को सत्ता से हटाया जाये, इन्दिरा गांधी को हटाया जाये और हिन्दुस्तान में साम्राज्यवादी ताकतों के इशारे पर पूंजीवाद को और गहरा बिठाया जाये। इस प्रकार का एक षडयन्त्र इस देश के अन्दर इन विरोधी पार्टियों ने शुरू किया।

(श्री दीपंकर)

यह जो हमारे गवर्नर महोदय का अभिभाषण है, वह इस बात को प्रकट करता है कि देश की राजनैतिक परिस्थितियां कैसी बन गई थीं, जिसका उन्होंने इसमें वर्णन किया है। 26 जून 75 और 1 जुलाई 75, ये दो दिन हमारे समक्ष हैं जब देश में यह स्थिति हो गई थी। राजनीतिक पार्टियां और हमारे विरोधी दल यह बात जानते हैं परन्तु वे यहां यह कहते हैं उनका भी सहयोग लिया जाना चाहिए, प्रजातन्त्र में विरोधी दल होना चाहिए, उनसे भी सलाह ली जानी चाहिए, उनकी यह बात सही है किन्तु प्रजातन्त्र में उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए, उनका विचार विमर्श देश के इन्टरेस्ट में होना चाहिए, देश के, समाज के कल्याण के हित में उनको काम करना चाहिए। उनको राजनीतिक विचार, कार्य निजी हित या व्यक्तियों के हित में नहीं सोचना चाहिये। आज पूंजी के बलबूते पर निजी स्वार्थों के ऊपर बिना श्रम के आराम से ये लोग, पूंजीपति गरीबों का शोषण कर रहे हैं। आज गरीब दबता चला गया है। इसलिए इन गरीब लोगों की रक्षा करने के लिए, देश को गुमराह न होने देने के लिये ही यह इमरजेन्सी लागू की गयी है। विरोधी दलों को दबाने के लिए यह इमरजेन्सी नहीं लगाई गई है या दूसरों को दबाने के लिए यह लगायी गयी है, यह बात गलत है। और इस इमरजेन्सी के लागू होने के बाद लोगों ने यह कहा कि यह तो कभी की लागू हो जानी चाहिए थी। बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा हमारी प्रधान मंत्री ने की है। यह सारा कार्यक्रम गरीब लोगों के हित में है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे देश को श्रीमती इन्दिरा गांधी नेतृत्व के लिए मिली हुई हैं जिन्होंने प्रगतिशील विचारों को लेकर प्रगतिशील विचारधारा के मुल्कों से सहायता लेकर ऐसा वातावरण बनाया है और इस देश के गरीबों को ऊपर उठाने के लिए यह 21 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में हमारा प्रान्त देश में सबसे आगे है। नरौरा केम्प के बाद इस ओर हमारे प्रदेश में काफी काम हुआ है। मैं यह बात कह सकता हूं कि हमारा प्रान्त हिन्दुस्तान भर में इस कार्यक्रम को लागू करने में आगे है और इसका प्रसार हिन्दुस्तान भर में है। यह काम सारी पार्टी कर रही है। यह कहना कि यह कार्यक्रम कोरा कागजों पर है यह गलत है। या यह कहे कि घोषणायें सिर्फ रेडियो पर ही होती हैं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इस दिशा में हमारे यहां पर काफी काम हुआ है, जो सराहनीय है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी तो मैंने शुरू किया है। दो दिन से इन्तजार कर रहा हूँ....

श्री रघुनाथ विश्नोई : तीन चार मिनट में समाप्त कर दें।

श्री दीपंकर : अगर समय हो जाता है तो मेरा कन्टीन्यु रह जायेगा ?

श्री ओंकारलाल चौहान : आप तो समाप्त कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : इनका सुझाव भी ठीक है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पांच बजे तक समाप्त कर लें।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि देखा जाय तो इसमें कोई शक नहीं है हमारे यहां पर इस बीस सूत्री कार्यक्रम पर काफी काम हुआ है, लाखों की तादाद में लोगों को रहने के लिए आवासीय भूखन्ड एलाट किए गये हैं। आवासीय भूखन्ड में एक दो ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर कोई दिक्कत हुई हो परन्तु हम यह मान कर चलते हैं कि लाखों लोगों को रहने की जगह दी गई है और उनके लिए वहां पर मकान बनाने के लिए व्यवस्था भी की गयी है। इसी तरह से कई कानून बनाये गये हैं और कई चालू कानूनों में संशोधन भी किये गये हैं। जो कानून 21 सूत्री कार्यक्रम के रास्ते में आयेंगे, आड़े आयेंगे उन पर सख्ती से कार्यवाही की जायेगी। सागड़ी प्रथा को आज हमारे यहां पर समाप्त कर दिया गया है। देशी राज्यों के समय से गांवों में यह प्रथा थी। लिखित में कुछ नहीं होता था और परिवार के परिवार सागड़ी प्रथा के अन्तर्गत गांव के बनिये, जमींदार के यहां बिना किसी प्रकार के वेतन के काम करते हैं। आज भी छिपे तौर पर कई लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं। इस कानून का नतीजा धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता सामने आयेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि गुलामी प्रथा से आज के इन्सान को मुक्ति मिली है और कोई जबर्दस्ती से काम नहीं करा पायेगा। इसके लिए राजस्थान सरकार, मुख्य मंत्री और मंत्रि-मण्डल के सदस्य बहुत बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर दिशा में काम किया है। जहां तक जमीन की अवाप्ति का सवाल है कृषि भूमि राजाओं से लेकर भूमि हीनों को बांटी गयी है और जो जन प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं उनकी प्रदेशस्तर, जिला स्तर पर कमेटियां बनायी गयी हैं और हो सकता है कि ऐसी कमेटियां पचायत समितियों के स्तर पर भी बनें, इनमें कोई शक नहीं है। यह कार्यक्रम एक तरह से आर्थिक नव निर्माण की भूमिका अदा करेगा। यह नहीं मानना चाहिए कि इससे समाजवाद और गरीबी बिलकुल ही मिट जायेगी परन्तु यह माने सकते हैं कि गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, हारा हुआ है, पहिनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है उसके लिए कुछ प्रबन्ध अब हो सकेगा और उसमें कुछ हिम्मत आ जायगी कि वह भी इस देश का नागरिक है और एक प्रकार का विश्वास उसके अन्दर पैदा होगा। मैं समझता हूं कि यही एक बड़ी उपलब्धि है। परन्तु इस उपलब्धि से ही काम नहीं चलने वाला है। जिन लोगों के नाम किसी गांव में थे, वे किसी गांव में रहते थे, उनके लिए तो व्यवस्था हो गयी परन्तु ऐसी भी जातियां है जिनका कोई गांव नहीं है, जिनकी कोई बस्ती नहीं है और ऐसे परिवार एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं या फिर जंगली जानवरों को शिकार कर के उनको भून करके अपना पेट भरते हैं उनके लिए भी हमें रोजगार का बन्दोबस्त करना होगा जिनका कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को पकड़ कर किसी गांव में बैठाना होगा और उन्हें यह अनुभव कराना होगा कि वे भी हिन्दुस्तान के नागरिक हैं और इस काम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लोगों को आगे आना होगा। विरोधी पक्ष का यह कथन है कि जो कमेटियां गठित की गयी हैं उनमें उनका सहयोग नहीं लिया जा रहा है। उनका स्वागत है। वे अगर 21 सूत्रीय कार्यक्रम का स्वागत करते हैं तो उनका स्वागत है। परन्तु यह सहयोग केवल शाब्दिक नहीं होना चाहिये। उनको

(श्री दीपंकर)

इस कार्यक्रम के अन्दर सक्रिय होना होगा। इसके लिए यह जरूरी है कि वे पहले एक क्षेत्र को चुनें और वहां पर ऐसे लोगों को बसा कर उन्हें रोजगार दें। पहले गाडोलिया लुहारों को बसाया गया था किन्तु उनको वहां पर रोजगार नहीं दिया गया जिससे उनको वहां से जाना पड़ा और आज भी उनकी बस्ती सूनी पड़ी है। इसलिए एक बात पहले यह हो कि उनको बसाने के साथ साथ, मकान देने के साथ साथ वहीं पर काम भी दिया जायेगा। यह समझ कर काम करेंगे तो इन जातियों का उत्थान हो सकेगा उस गरीब को वहीं पर मकान दें, वहीं पर रोटी दें ऐसी व्यवस्था करें और इसके लिए जनता का सहयोग लिया जाये। अभी पंचायत समितियों के प्रधानों, जिला प्रमुखों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। उसके साथ ही साथ म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन का भी सम्मेलन बुलाया गया था और उनके जरिए यह प्रचार करने की कोशिश की गयी कि आप के सहयोग की आवश्यकता है...

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 9 जनवरी, 76 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बजे शुक्रवार दिनांक 9 जनवरी, 1976 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न सं. 34 की सूची)

राजस्थान की मण्डियों में नियमित कृषि जिन्सों की सूची।

1. तन्तु:— 1. कपास 2. रूई 3. मेस्ता 4. सन।

2. धान :— 1. गेहूं 2. जौ (घाट सहित) 3. ज्वार 4. मक्का 5. बाजरा 6. धान 7. चावल 8. बेजर 9. गोचना 10. गोजरा।

3. फली वाला धान :— 1. मूंग व इनकी दालें 2. अरहर व इनकी दालें 3. उड़द व चौला व इनकी दालें 4. बटला व इनकी दालें 5. चना व इनकी दाले 6. मूंगफली, मूंगफली के दाने 7. गवार व गवार चूरी 8. कुलथी 9. मसूर व इनकी दालें 10. मोठ व इनकी दालें।

4. तिलहन व तेल:— 1. तिल व इनका तेल 2. सरसों व इनका तेल 3. राई व इनका तेल 4. तारा व इनका तेल 5. अलसी व इनका तेल 6. विनौला व इनका तेल 7. अरण्डी व इनका तेल 8. सोयाबीन व इनका तेल 9. सूर्यमुखी व इनका तेल 10. रायला व इनका तेल 11. मूंगफली का तेल 12. वनस्पति तेल।

5. अामलिक :— 1. तम्बाकू 2. अफीम 3. भंग 4. गांजा 5. चरस।

6. फल:— 1. नीम्बू 2. माल्टा 3. संतरा 4. सीताफल 5. पपीता 6. अमरूद 7. आम 8. खरबूजा 9. तरबूज 10. अनार 11. सिंगाड़ा 12. केले 13. बेर 14. मौसमी 15. अंगूर 16. फालसा 17. खीराककड़ी 18. सेव 19. शहतूत 20. खिरनी 21. चीकू 22. लीची 23. लोकाट 24. आंवला 25. खुरमानी 26. अन्य फल।

7. सब्जियां:— 1. आलू 2. शकरकन्द 3. प्याज 4. टमाटर 5. कद्दू 6. फूलगोभी 7. बन्द गोभी 8. गाजर 9. बैंगन 10. मूली 11. हरी व लाल मिर्च 12. हरी मटर 13. पालक 14. लहसून 15. पत्ते वाली सब्जियां 16. टिन्डा 17. लोकी 18. अरबी 19. तोरई 20. करेला 21. हरी चौलाई

Page No 106

(106)

22. हरी हल्दी 23. करोंदा 24. जामुन 25. केरी 26. सलगम 27. चुकन्दर 28. परवल 29. अन्य सब्जियां।

8. पशु पालन उत्पादन:— 1. अण्डा 2. कुक्कुट 3. पशु (गाय, बैल और बछड़े) 4. भेड़ 5. बकरी 6. दूध 7. मक्खन 8. घी 9. ऊन 10. बाल 11. खाल 12. चमड़ा 13. मत्स्य 14. ऊंट 15. घोड़े 16. गधे।

9. मसालें:— 1. जीरा 2. धनिया 3. सूखी मिर्च 4. मेथी 5. सौफ 6. अजवाइन 7. अदरक 8. सूजी।

10. वन उपज:— 1. शहद 2. गोंद 3. इमारती लकडी 4. तेंदू के पत्ते 5. कत्था।

11. विविध:— 1. पोस्त के दाने 2. पोस्त के डोडे 3. समालिया 4. मेहन्द 5. सब्जी 6. घास 7. गुड 8. चारा 9. चीनी 10. तुम्बे के बीज 11. गन्ना 12. खाण्ड 13. इसबगोल 14. तरबूज के बीज।

12. मेवा:— 1. खजूर 2. काजू 3. रतालू 4. पिस्ता 5. बादाम 6. चिरगोजा 7. किशमिश 8. अखरोट 9. अंजीर।

Page No 107

(107)

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 36 की सूची)

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा
8	368–18
12	114–18
14	72–04
34	34–17
53	280–03
71	18–00
107	9–02
114	289–13
143	61–00
149	54–16
168	446–10
183	11–18
236	41–06
13	1804–10

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटपूतली की ए. आर. सी. स्कीम

40. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली की ए.आर.सी. स्कीम बनाई जा चुकी है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक हो जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के कार्य हेतु बैंक से भी बात हो चुकी है? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू हो जायेगा तथा यह योजना कितनी राशि की है ?

उत्तर

(1) जी हां। जो कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम के विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। योजना की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। प्रस्तावित योजना की कुल धन-राशि रुपये 68,22,750/– है।

फिदूसर खनिज क्षेत्र की सड़क

41. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर नगर के फिदूसर खनिज क्षेत्र में केवल 2 किलो मीटर लम्बाई की सूरसागर डाइवरसन रोड पिछले 2 वर्षों से निर्माणाधीन है ?

(2) उपरोक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा एवं उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उपरोक्त निर्माण कार्य की वर्ष 1976–77 तक पूर्ण होने की आशा है तथा इस पर कुल 4,47,000 रु. व्यय होने का अनुमान है।

भू–तल जल का सर्वे

42. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या मंत्री भू-तल जल विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान प्रान्त के किन-किन जिलों से भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में अभी तक भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से सिवाना एवं छोटीमनी पंचायत समितियों के अलावा दूसरी पंचायत समितियों में विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उन पंचायत समितियों में कब तक विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लेकर कब तक सम्पन्न कर दिया जायेगा।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में सहायक अभियन्ता, भू-तल जल विभाग का कार्यालय नहीं है। यदि हां, तो उक्त जिले की राज्य सरकार द्वारा क्यों उपेक्षा की जा रही है। कब तक सहायक अभियन्ता का कार्यालय स्थापित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रान्त के किसी भी जिले में भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। बाड़मेर जिले की तीन पंचायत समितियों—सिवाना, धोरीमाना तथा शिव का अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण कर लिया गया है। शेष पांच पंचायत समितियों—पचपदरा, बायतू, सिन्धरी, बाड़मेर तथा चोहटन का अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण वर्तमान वर्ष (1975-76) में किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

(3) जी हां। बाड़मेर जिले में पर्याप्त मात्रा में कार्य न होने के कारण सहायक अभियन्ता, भू-जल विभाग का कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है।

सीकर जिले में लेवी की वसूली

43. श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के काश्तकारों से लेवी के रूप में गेहूँ की वसूली की गयी थी ? यदि हां, तो कितनी वसूली हुई तथा क्या सारी वसूली की गयी गेहूँ की बोरियों का पेमेंट कर दिया गया है ? यदि नहीं तो, कहां-कहां किन-किन काश्तकारों को पेमेंट करना बाकी है ?

(2) क्या यह सही है कि विलम्ब से पेमेंट करने में काश्तकार के मन में जहां अविश्वास पैदा होता है, वहां उसे आर्थिक हानि होती है ? यदि हां, तो ऐसे विलम्ब पर क्या एक्शन लिया जावेगा तथा उनका पेमेंट कब तक हो जायेगा।

उत्तर

(1) सीकर जिले में 31-12-75 तक 26398 क्विन्टल गेहूँ की वसूली लेवी में की गई है। जिले में केवल मात्र तहसील श्री माधोपुर के ग्राम सरगोठ, चीमारला तथा बस्सी के 31 काश्तकारों को भुगतान नहीं किया गया है जिसकी रकम अब तहसील में प्राप्त हो चुकी है एवं भुगतान अविलम्ब कर दिया जावेगा।

(2) तहसील श्री माधोपुर के ग्राम सरगोठ, चीमारला एवं बस्सी के काश्तकार जिनका भुगतान शेष है उन्होंने बाद में स्वेच्छा से लेवी दी है, उनकी रकम आर. एम. डब्ल्यू. सी. से प्राप्त करली गई है भुगतान अविलम्ब कर दिया जावेगा इसलिये विलम्ब से भुगतान करने, आर्थिक हानि होने तथा अविश्वास पैदा होने का प्रश्न नहीं उठता।

पाटन माइन्स का सर्वे

44. श्री गोपाल सिंह (खंडेला) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नीम-का-थाना (सीकर) में रामपुरा के पास जिसे

(श्री गोपाल सिंह)

पाटन माइन्स के नाम से जाना जाता है, के क्षेत्र का राज्य सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग की संभावनाओं के लिये सर्वेक्षण कराया गया था ? यदि हां, तो कब कराया गया था और उस सर्वेक्षण पर कितना खर्चा हुआ था ?

(2) उपरोक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार क्या राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को सीमेंट उद्योग के लिये सुरक्षित कर दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र को सुरक्षित कर देने के बाद इसी क्षेत्र में से कुछ भाग ओरियन्टल हाल प्रोडक्ट्स, उदयपुर को लीज पर दे दिया गया ? यदि हां, तो कम्पनी के मालिक का क्या नाम है और सुरक्षित क्षेत्र में से लीज देने के क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही है कि इस कम्पनी को बीच का क्षेत्र लीज पर दे देने से किसी भी उद्यमी के लिये वहां सीमेंट का कारखाना लगाना सम्भव नहीं रहा है और अब वहां सीमेंट का कारखाना लगाने की सम्भावना समाप्त हो गयी है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इसी क्षेत्र की श्री बिहारीलाल की डेढ़ लाख रुपये की उच्चतम बोली स्वीकार कर विभाग ने उससे 37,500 रु. जमा भी कर लिये थे और उसके बाद उदयपुर की उपरोक्त कम्पनी को केवल 45,000 रुपये की लीज पर दे दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। जून 1961 से अगस्त 1962 तक कराया गया था और उक्त सर्वेक्षण पर रु. 1,46,829.60 पैसे खर्च हुये थे।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। उपरोक्त क्षेत्र सुरक्षित नहीं किया गया था। क्षेत्र को रिक्त घोषित करने के बाद 200 एकड़ मैसर्स ओरियन्टल टाल प्रोडक्टस, उदयपुर को एम. सी. आर. 1960 के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्णय के अनुसार लीज पर दिया गया था कम्पनी के बोर्ड आफ डाईरेक्टर के चेयरमैन श्री बी. के. अग्रवाल हैं। सुरक्षित क्षेत्र में लीज नहीं दी गई।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(5) जी नहीं, क्षेत्र को नीलाम नहीं किया गया।

राज्य पथ परिवहन निगम की आय

45. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अब तक कितनी पूंजी लगाई जा चुकी है ?

(2) प्रतिवर्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को कितनी आय होती है ? गत 3 वर्षों के आंकड़े बताने की कृपा करें।

(3) उक्त आय में शुद्ध आय कितनी है (ग्रास इनकम नहीं) पेट्रोल एवं डीजल, प्रशासनीय व्यय निकाल कर बताने का कष्ट करें।

Page No 111

(111)

उत्तर

(1) निगम में अब तक पूंजी निम्न प्रकार लगाई जा चुकी है :—

राज्य सरकार द्वारा	313.00 लाख
केन्द्र सरकार (रेल्वे) द्वारा	128.00 लाख
कुल	441.00 लाख

(2) निगम की गत 3 वर्षों में कुल अर्जित आय निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	लाख रुपयों में
197:-73	373.88
1973-74	573.94
1974-75	अन्तिम लेखे अभी तैयार नहीं हुये हैं।

(3) निगम की गत 3 वर्षों में लाभ (शुद्ध आय) निम्न प्रकार रही :—

वर्ष	लाख रुपये
1972-73	6.93
1973-74	34.76
1974-75	अन्तिम लेखे अभी तैयार नहीं हुये हैं।

खरीफ की फसल और खाद्यान्नों के भाव

46. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में इस वर्ष खरीफ की खाद्यान्न की कुल कितनी पैदावार हुई है? जिन्सवार आंकड़े (अनुमानित यदि सही उपलब्ध न हों तो) सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कतिपय खाद्यान्नों के बाजार भाव सरकार द्वारा निश्चित खरीद मूल्यों से भी नीचे चले गये हैं? और इससे किसानों को एक ओर तो हानि हुई है और दूसरी ओर "अधिक अन्न उपजाओ" अभियान में उसकी रुचि कम हुई है?

(3) किसान को खाद्यान्न का उचित मूल्य मिले और अधिक अन्न पैदा करने में उसकी रुचि कम न हो इस हेतु सरकार ने क्या कोई कदम उठाये हैं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला कृषि अधिकारियों के अनुमान के अनुसार वर्ष 1975 में खरीफ खाद्यान्न की अनुमानतः कुल पैदावार 31.70 लाख टन होने का अनुमान है। अनुमानतः जिन्सवार आंकड़ों की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) कहीं कहीं पर गेहूं, मक्का तथा पैडी के भाव निश्चित खरीद मूल्य से नीचे गये हैं। परन्तु सन् 1974-75 की पैदावार के क्षेत्रों के आंकड़ों (संलग्न हैं) से स्पष्ट होता है कि इससे "अधिक अन्न उपजाओ" अभियान पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

(3) इस हेतु जहां भी भाव निश्चित मूल्य से कम हुये हैं किसानों से गेहूं, पैडी एवं मोटा खाद्यान्न निश्चित दर पर खरीदने की व्यवस्था कर दी गई है।

सूची (अ)

सन् 1975 में खरीफ की पैदावार के अनुमानतः आंकड़े

नाम जिन्स	लाख टनों में
चावल	1.40
ज्वार	3.60
बाजरा	15.00
मक्का	7.30
खरीफ दालें व अन्य	4.40
योग	31.70

सूची (ब)

पैदावार का क्षेत्रफल

(हज[illegible] हैक्टरों में)

	1975–76	1974–75
बाजरा	5912.602	4220.119
मक्का	792.719	772.726
चावल	134.466	115.220
ज्वार	943.759	[illegible]92.826

ज्वार को छोड़कर और सभी जिन्सों में पैदावार के क्षेत्रफल ब[illegible]तरी हुई है ।

113

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, 7 जनवरी, 1976)

[illegible]ख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
	नीचे से 9·10	(तारांकित प्रश्नोत्तर सं. 26 के लिए कृपया आगे देखें)	—
	नीचे से 15	श्री मीठालाल (मीणा)	श्री मीठालाल मीणा
	ऊपर से 15	occeptance	acceptance
[illegible]2	नीचे से 8	हृढ़तालें	हड़तालें
[illegible]2	नीचे से 7	पढ़ाइ	पढ़ाई
[illegible]3	नीचे से 16	बड़ा	बड़ा
[illegible]213	अन्तिम	सारी वसूली की गयी	वसूली हुई तथा क्या सारी वसूली की गयी